खण्ड-310, अंक-9
मंगलवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1896
(13 अगस्त, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ अगस्त, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७७

अंगने लाल श्री,
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट) ।
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैजशाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमा नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए ० सी ० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
का०मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद ,श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायणसिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती ,श्री मती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर,श्री (अतरौलिया,जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर सिंह श्री (मेहनगर,जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री

पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल श्री, (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचनराम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवत प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूम सिंह केन, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मुहम्मद, खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफ़ी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्रप्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्म, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री

शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
संत सिंह यूसुफ, श्री
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीता राम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सर्वसम्मत एक भावना से उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो सके, इस बात में विचार विमर्श एक सर्वसम्मत नाम के लिये हो सके, इस भावना से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस सदन द्वारा पारित दिनांक ७ अगस्त, १९७४ के प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन यह निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये दिनांक १४ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके उक्त निर्वाचन दिनांक २० अगस्त, १९७४ को कराया जाय और उन नामों के अतिरिक्त जो प्राप्त हो चुके हैं, नाम-निर्देशन दिनांक १९ अगस्त, १९७४ को मध्याह्न तक प्राप्त किये जा सकेंगे ।"

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूं जो तिवारी जी ने पेश किया है कि लेकिन जो सर्वसम्मत शब्द का जिक्र कई बार पहले भी हुआ था, किया, मैं यह समझता हूं कि सर्वसम्मत से अगर अपोजीशन कर ले तो अच्छी बात है, न हो तो फिर जो दूसरा रास्ता है, वही अपनाना है । अगर सर्वसम्मत शब्द या गवर्नमेंट की टेक लगती रही, तो मुझे कभी-कभी उनकी नीयत पर शक हो जाता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी कोई बात नहीं है । अगर आवश्यकता पड़ी तो निर्वाचन होगा ही । इसमें शक की कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस सदन द्वारा पारित दिनांक ७ अगस्त, १९७४ के प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन यह निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये दिनांक १४ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके उक्त निर्वाचन दिनांक २० अगस्त, १९७४ को कराया जाय और उन नामों के अतिरिक्त जो प्राप्त हो चुके है, नाम निर्देशन दिनांक १९ अगस्त, १९७४ को मध्यान्ह तक किये जा सकेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष, महोदय, कमेंटियों के सम्बन्ध में भी बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

कमेंटियों के बारे में आ जाय तो बाद में करूंगा ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार दिनांक १३ अगस्त, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री राम सिंह उर्फ कल्लू निवासी ग्राम कमईपुर जिला इलाहाबाद की हत्या

**१—श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद थाना नवाबगंज में श्री राम सिंह उर्फ कल्लू माली, निवासी, कमईपुर की हत्या दिनांक ९/१० जुलाई, १९७४ को कर दी गई जिसमें नामजद रपट दर्ज हुई परन्तु अभी तक पुलिस द्वारा मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

ग्राम कमईपुर थाना नवाबगंज जिला इलाहाबाद निवासी श्री राम सिंह उर्फ कल्लू की लाश एक खेत में पड़े होने की सूचना दिनांक १०-७-१९७४ को थाना नवाबगंज में प्राप्त हुई । प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था । इस सूचना के आधार पर मुकदमा धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई । जांच के दौरान एक अभियुक्त प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रगतिशील है ।

राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था, उन्नाव में प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत ट्रेड्स

**२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

दिनांक २५ जुलाई, १९७४ के प्रश्न संख्या ६५–६६ (नत्थी–घ) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र १९७४–७५ के प्रारम्भ में हो जायेगी ? यदि हां, तो किस तिथि से और वहां पर किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा और क्या वर्ष १९७४–७५ में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के भर्ती करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्था की स्थापना के आदेश १ अगस्त, १९७४ से हो गये हैं । इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, फिटर, शीटमेटल तथा वेल्डर व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के भर्ती करने के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं ।

कन्नौज जिला फर्रुखाबाद स्थित जैन मन्दिर की मूर्तियों की चोरी

**३—श्री झामलाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज जिला फर्रुखाबाद में दिनांक २७/२८ जुलाई, १९७४ की रात्रि में श्री दिगम्बर जैन मन्दिर की मूल्यवान अष्टधातु की कुछ मूर्तियों की चोरी हो गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कन्नौज जिला फर्रुखाबाद में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर से दिनांक २७–२८ जुलाई रात में किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मूर्तियों की चोरी किये जाने की सूचना दिनांक २८–७–७४ को प्रातः थाना कन्नौज पर प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा धारा ३७९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई । अब तक की जांच से चोरी गई मूर्तियों और अपराधी का पता नहीं चला है । मूर्तियों तथा अपराधियों का पता लगाने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है ।

श्री झाम लाल अहिरवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चोरियों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

चोरियों का पता लगाने के लिए यह कुछ जान माने और जगह जहां उत्तर प्रदेश में मूर्ति चोर हैं आगरे पुलिस में कहीं नाम दर्ज हैं, उनसे पूछ-तांछ हो रही है । बाकी जितनी भी शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है वह की जा रही है, गो कि वैसे किसी का नाम है नहीं, पहले पता चला लें कि रेकार्ड में किनके नाम हैं, उनकी जांच की जायगी!

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

जैसा प्रश्न में है कि मूल्यवान मूर्तियों की चोरी हुई, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मूर्तियों की चोरी हुई है और उनकी आंकी हुई कीमतें क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कीमत के बारे में कोई सूचना नहीं है । लेकिन एक अष्टधातु की महावीर की मूर्ति है जिसका वजन लगभग ३० किलोग्राम है । इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी मूर्तियां हैं अष्टधातु की, एक पत्थर की प्रतिमा तीर्थांकरों की चोरी हुई है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह सवाल सिर्फ कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद का नहीं है । मूर्ति चोर बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, जो बहुमूल्य मूर्तियां तीर्थ स्थानों पर हैं, हमारे प्रदेश की बहुत सी मूर्तियां बाहर को चली जा रही हैं और बड़े पैमाने पर वह बाहर के देशों में बेंच रहे हैं । तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है और मूल्यवान मूर्तियां जिनकी चोरी हो रही हैं इनको रोकने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सरकार काफी सतर्क है इसलिये इन केसेज में जितने भी मूर्ति चोर जहां कहीं भी पुलिस रिकार्ड में हैं उनके ऊपर निगरानी रखें और अपने इंफारमेशन को भी सक्रिय करें । चोर का पता लगाने के बारे में सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहे हैं और सरक्युलर भी जारी हो चुका है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री बतायेंगे कि इस जिले में और भी मूर्तियों की चोरी हुई हैं और जो चोरी ज्यादा हो रही है तो इस जिले में चोरी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री राज मंगल पांडेय—

इनके अलावा और मूर्तियों की चोरी की सूचना मुझे नहीं मिली है । इसमें किसी चोर का नाम दर्ज नहीं है इसलिये विवेचना के बारे में थोड़ा समय लग सकता है और जैसा कि संकेत किया गया है कि जो भी इस किस्म के चोर हैं उनसे पूछ-तांछ करने में पुलिस सक्रिय है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो चोरी करने वालों का रिकार्ड पुलिस में है उनके ऊपर पुलिस निगाह रखे हुए है जो मूर्तियां को खरीदने वाले हैं, वे भी ऐसे ही लोग हैं और वे विदेशों में भी मूर्तियां भेजते हैं । क्या उनकी भी कोई फेहरिस्त पुलिस के पास है और उनके ऊपर भी उसकी निगाह है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, उनकी फेहरिस्त मेरी समझ से शासन के पास नहीं है। लेकिन जो सूत्र मिला है उससे मालूम होता है कि भारत सरकार के पास लिस्ट है जो मूर्तियां पकड़ी गई हैं और विदेशों में भेजी गई थीं ।

श्री ए० पी० शिण्डे, मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रदेशों के सहकारिता मन्त्रियों की कांफ्रेन्स में लिये गये निर्णय

**४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या देहली में २७-२८ जुलाई, १९७४ को सब प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की कोई कांफ्रेन्स भारत सरकार के मंत्री श्री ए० पी० शिण्ड की अध्यक्षता में हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हर प्रदेश में कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाव देकर एसेंशियल कमोडिटीज का वितरण किया जाय ? यदि हां

तो इस कान्फ्रेंस में और आय क्या-क्या निर्णय लिये गये और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसमें किसने भाग लिया?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां । प्रश्नगत कान्फ्रेंस हुई थी । उसमें जिन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी उनकी सूची संलग्न है।

उक्त चर्चा के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है जिन्हें अभी केंद्र सरकार ने नहीं भेजा है । अतः निर्णयों की जानकारी शासन को नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्री, संयुक्त सचिव, सहकारिता, तथा निबन्धक, सहकारी समितियो ने भाग लिया था ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२४६ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी इस कान्फ्रेन्स में शरीक हुये थे क्या वह बतायेंगे कि उन्होंने इन विषयों पर केंद्रीय सरकार को क्या-क्या सुझाव दिये ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन् सुझाव बहुत लम्बे हैं । जैसी हमारी स्टेट की हालत है उसको देखते हुये सुझाव दिये गये । जैसे मिसाल के लिये प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ऐसा है कि खास तौर से चुनकर आदमी रखे जाने चाहिये । हमारे यहां पहले से ही हो चुका है । इसलिये मैंने कहा कि हमारे यहां यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सेवा मंडल पहले से ही हमारे यहां है। इसलिये हर चीज पर अलग-अलग स्थिति को देखते हुए सुझाव दिये गये । वैसे दो दिन की इस कान्फ्रेन्स में जो सुझाव दिय गये वह काफी लम्बे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कोई निर्णय हुए थे, तो वे क्या थे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जितने भी विषय आते हैं, उन पर चर्चा हो जाती है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

कानपुर में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर छापे

*१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री राम चरण शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ७-७-७४ को कानपुर में कुछ सहकारी उपभोक्ता भंडारों पर छापा मार कर अवैधानिक रूप से जमा उपभोक्ता सामग्री बरामद की गयी? यदि हां, तो पूर्ण जानकारी क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । मामले की जांच की जा रही है।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर बड़ा अधूरा दिया है मैंने पूछा था कि पूरी जानकारी क्या है । कानपुर के कौन-कौन से उपभोक्ता भंडार थे जिन पर छापा मारा गया और क्या-क्या माल बरामद हुआ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कानपुर कोआपरेटिव स्टोर्स, लि० रामपुरवा उपपोक्ता सहकारी समिति लि०, तथा कानपुर हलवाई दूकानदार सहकारी समिति । इन पर खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था और उनके द्वारा ही जांच हो रही है इसलिये और अधिक जानकारी नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

संचालक मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं और क्या उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

हर एक का नहीं है । जो गिरफ्तार हुए हैं, कानपुर कोआपरेटिव स्टोर्स के अध्यक्ष श्री पूरनमल कानौडिया, सहायक मंत्री श्री चन्द्र कांत गुप्त, बिक्रेता श्री द्वारिका प्रसाद व राम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और श्री मदन लाल गुप्त अवैतनिक मंत्री फरार बताये जाते हैं ।

श्री कल्याण सिंह—

इसका संबंध खाद्य एवं रसद विभाग से है तो क्या इसकी सारी जानकारी करके मुझे बतायेंगे तथा जो माल बरामद हुआ है उसका मूल्य क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरे उत्तर का जवाब नहीं आया । जो सामग्री बरामद हुई है वह कितने मूल्य की थी और उसका क्या किया जा रहा है और क्या उसका वितरण किया जा रहा है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मूल्य, तो जैसा मैंने निवेदन किया, पता नहीं है। ताले अभी बन्द हैं, उसके बाद का पता नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग इसकी छानबीन कर रहा है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जो लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या उनका संबंध किसी राजनैतिक पार्टी से है अगर है तो किस पार्टी से है ?

श्री लक्ष्मी शंकर याद—

श्रीमन, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाटी—

यह डिनाई कर दें कि हमारी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

गोरखपुर सदर अस्पताल में कथित गलत इंजेक्शन लगने से मृत्यु

*२—श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया), तथा श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जून, १९७४ के अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के बड़े बाबू की पत्नी की मृत्यु गोरखपुर के सदर अस्पताल में एक्सपायर डेट की स्टेप्टोमाइसीन दवा के इन्जेक्शन लगने के कारण हो गई? यदि हां, तो इस गम्भीर घटना के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जून, १९७४ के अन्तर्गत अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर सदर अस्पताल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अतएव प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमंत इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल कम्पनी लिमिटेड द्वारा दवाओं के मूल्य में वृद्धि

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की दवा कम्पनी इंडियन ड्रग फार्मास्युटिकल लि० द्वारा आम इस्तेमाल की दवाओं के दाम जुलाई, १९७४ में दुगने से अधिक एकाएक बढ़ा देने से उत्तर प्रदेश में दवाओं के मूल्य में जो भारी वृद्धि हुई है तथा मूल्य और बढ़ने की सम्भावना में दवा निर्माता दवा नहीं बेच रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप सरकार ने केंद्रीय सरकार से आपत्ति प्रकट की है? 'यदि हां, तो कब तथा क्या आपत्ति प्रकट की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमंत इंडियन ड्रग्स ऐंड फार्मास्युटिकल कम्पनी लिमिटेड द्वारा आम इस्तेमाल की दवाओं के मूल्यों में ३० जुलाई, १९७४ से कोई वृद्धि नहीं की गई है। दवा निर्माताओं द्वारा दवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना से दवाओं को न बेचने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई विरोध प्रकट नहीं किया है क्योंकि वृद्धि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर आधारित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जुलाई के आस-पास २–१ महीने पहले क्या दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

३० मई, १९७४ से प्रभावी दवाओं के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सस्ते दामों पर दवायें मिल सकें ?

श्री राज मंगल पांडेय—

अस्पतालों में जो दवायें दी जाती हैं, उनका वसूल ही यह है कि जहां तक सम्भव हो गरीबों को ही दी जायं। सब्सीडाइज करने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया वह सही नहीं है। अस्पतालों में डाक्टर्स दवाओं के पर्चे लिख देते हैं और गरीब लोगों को बाजार से दवा खरीदनी पड़ती है। आज कल दवायें

बहुत महंगी हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी अस्पतालों में इस प्रकार का प्रबन्ध करा दें कि दवायें कन्ट्रोल रेट पर मिल सकें ?

श्री राज मंगल पांडेय---

ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यह कहा था कि जहां तक अस्पतालों में दवायें देने के नियम हैं, उनमें यही है कि जहां तक सम्भव हो सके वह गरीबों को दी जायं लेकिन जब स्टाक में दवायें नहीं होती हैं, तब तो बाजार में खरीदनी ही पड़ेंगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पर्चा लिख कर कहा जाता है कि बाजार से खरीद लो जो उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है तो आपकी जो जिम्मेदारी है उनको जीवित रखने की क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन गरीबों को सस्ते दाम पर बाजार में मिल सके ?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सब्सीडाइज करने का सरकार के पास कोई प्राविधान नहीं है ।

कानपुर स्थित अपर इण्डिया शुगर इक्सचेंज जच्चा-बच्चा अस्पताल में ग्राम इटरा निवासी श्रीमती रामरानी की मृत्यु

*४—श्री मोहन लाल लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक १३ अथवा १४ जुलाई, १९७४ को कानपुर स्थित अपर इंडिया शुगर इक्सचेंज जच्चा-बच्चा अस्पताल में जिला के इटरा ग्रामवासी श्री राम की पत्नी श्रीमती राम रानी की मृत्यू हो गई। यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त महिला की मृत्यु दूषित रक्त चढ़ाने से हुई है । यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां । इनकी मृत्यु १३ जुलाई, १९७४ को हुई थी ।

यह अभी विवेचनाधीन है कि मृत्यु वास्तव में किस कारण से हुई ।

इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कक्षाओं को चालू रखना

*५—श्री तीरथ राम कोहली (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट जुलाई, १९७४ से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र से अपनी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स की कक्षायें समाप्त कर रहा है? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन कक्षाओं को जारी रखने का कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

जी नहीं । प्रश्न नही उठता।

प्रिंसिपल, इलाहाबाद एग्रीचल्चरल इंस्टीट्यूट को बी०एस०सी० तथा एम०एस०-सी० को कृषि अभियंत्रण कक्षाओं के चालू रखने तथा उनमें विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही तुरन्त करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

कन्नौज नगरपालिका (फर्रुखाबाद) में पानी का अकाल

*६—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में जो म्युनिसिपैलिटी है वहां गत एक हफ्ते से पानी का अकाल पड़ गया है और दोनों वाटर पंप खराब हो चुके हैं यदि हां, तो पानी की तुरन्त व्यवस्था के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और कौन व्यक्ति इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राजमंगल पांडेय—

कन्नौज नगरपालिका का नलकूप नम्बर-दो ८ जुलाई, १९७४ को अचानक खराब हो गया। उस नलकूप के ठीक होते ही १३ जुलाई, १९७४ से बराबर नियमित रूप से जल वितरण हो रहा है। इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही और दोषी कर्मचारी को यथाविधि दंडित किया जायगा।

श्री अनवार जमील—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज नगरपालिका में दिसम्बर, १९७३ और जनवरी, १९७४ में ट्यूबवैल का ओवर हालिंग हुआ था और वहां के वाटर वर्क्स इंजीनियर ने रिपोर्ट भी दी थी कि सही हो गया है तो फिर कैसे खराब हो गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इस प्रकार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। मेरी जानकारी में वहां पर एक ट्यूबवैल खराब हो गया था। १३ दिसम्बर, १९७३ को ठीक कर दिया गया था जिससे जल वितरण होने लगा था।

श्री अनवार जमील—

अप्रैल और मई में फिर यह ट्यूबवैल खराब हो गया था। और ११ दिन खराब रहा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वाटर वर्क्स इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

एक बार जो और खराब हुआ इसकी जांच कराई जा रही है।

लखनऊ में मेहरा सिनेमा के निकट स्थित होटल की जीर्ण-शीर्ण इमारत एवं उसका लाइसेंस रद्द किया जाना

*७—श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) श्री केशरी लाल तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला कानपुर)—

द्वितीय सत्र १९७४ के ७वें मंगलवार, दिनांक २३ जुलाई, १९७४ के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं० १४ के उत्तर के संदर्भ में प्रश्नकर्ताओं की सूचना को सही मानते हुये कि संबंधित होटल हालांकि उसका लाइसेंस दिनांक ५-७-७४ को नगरमहापालिका द्वारा रद्द किया जा चुका है अभी भी बदस्तूर चल रहा है और उसके भवन की दशा इतनी जीर्ण-शीर्ण एवं सोचनीय है कि वर्षा ऋतु में किसी भी समय गिर सकता है और कोई भयंकर दुर्घटना घट सकती है एवं सैकड़ों यात्री जो उसमें आकर टिकते हैं चपेट में आ सकते हैं, तो क्या सरकार तत्काल संबंधित नगरपालिका अधिकारियों को इस संबंध में ठोस कदम उठाने का आदेश प्रसारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह सही है कि होटल का लाइसेंस रद्द होने पर भी होटल को बदस्तूर चलाया जा रहा है इसके लिए होटल के मालिक का दो बार चालान किया जा चुका है । प्रशासक को आदेश दे दिया गया है कि अगर होटल मरम्मत के बाद सुरक्षित और सही प्रकार रहने के काबिल हो सकता है तो धारा ३९२ नगरमहालिका अधिनियम, १९५९, के अन्तर्गत होटल के मालिक को नोटिस दिया जाये कि क्यों न उसको आदेश दिया जाए कि निर्धारित अवधि के अन्दर वह भवन को ठीक प्रकार रहने के काबिल बना ले और अगर विस्तृत मरम्मत के बाद भी वह रहने के काबिल नहीं हो सकता है तो प्रशासक धारा ३९३ के अन्तर्गत २१ दिन की नोटिस देकर मुनासिब आदेश पारित करें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि इस होटल के मालिक का जो २ बार चालान किया गया, यह किस बात के लिये किया गया?

श्री राज मंगल पांडेय--

होटल को गन्दगी के बारे में, पानी का ठीक तरह से बहाव न होने के कारण और जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण जिससे अन्देशा था उसके भवन को कोई क्षति न पहुंच जाये और कोई घटना न हो जाय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बिल्डिंग ओपेरेशन्स ऐक्ट के अन्तर्गत नगर महापालिका ऐक्ट की धारा ३९२ व ३९३ सस्पेंडेड है या इनको सस्पेंड कर दिया गया । इसके कार्यान्वियन की कार्यवाही के लिये क्रिमिनिनल प्रोसिजर कोड की धारा १३३ के अन्तर्गत पहले हुआ करती थी । तो जब होटल इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसका भवन किसी भी वक्त गिर सकता है और सैकड़ों की जान जा सकती है तो आज तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है जबकि होटल मालिक मरम्मत वगैरह नहीं कर सकता है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसके लिये इंजीनियर की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि अगर बिल्डिंग की ठीक से मरम्मत हो जाय और बाहर की जो दीवार है वह तुड़वाकर बनवा दी जाय तो ठीक हो सकता है । इसलिये दफा ३९२ में नोटिस दी गई है कि पहले जो मरम्मत का काम है, वह पूरा करा दिया जाय और बाहर की दीवार तुड़वाकर फिर से बनवा दी जाय । अगर फिर भी कुछ न हुआ तो दफा ३९३ की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, इसमें २ प्रश्न हैं । एक तो होटल का लाइसेंस रद्द होना और जब होटल का लाइसेंस रद्द होगा तो बाद में उसकी मरम्मत कराना और उसको ठीक कराकर चलाना मैं जानना चाहता हूं कि होटल का लाइसेंस जो रद्द किया जाना है उस पर कुछ अमल किया गया या नहीं बजाय इसके कि इसको मरम्मत कराकर फिर से उसको चलाने की बात है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

स्वास्थ्य अधिकारी ने इसका २ मर्तबा चालान किया। इस मामले में रिपोर्ट है कि लाइसेंस कैन्सिल करने के बाद होटल का काम बन्द कर दिया जाना चाहिये था । इंजीनियर का यह कहना है कि यह होटल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था लेकिन अगर मकान की मरम्मत सुचारु रूप से हो सके और बाहरी दीवार को तोड़ कर बनवा दी जाय तो यह होटल काम के लायक

हो सकता है । तो अगर वे इस होटल को चलाना चाहते हैं तो इसको ठीक करायें और अगर ठीक नहीं करते हैं तो दूसरी नोटिस दी जायगी और दफा ३९३ में कार्यवाही होगी, जो प्रक्रिया है वह अपनायी जा रही है ।

श्री रामसेवक यादव--

मेरा उत्तर साफ नहीं आया । मैं साफ मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब होटल का लाइसेंस रद्द हुआ तो या तो वह निरस्त हो या सस्पेंड हो । कोई इस तरह का प्रार्थना-पत्र गुजरा था उसकी मरम्मत का? बजाय होटल का लाइसेंस रद्द होने के, लाइसेंस अपनी जगह पर कायम रहता है और आपने दूसरी चीज कह दी कि मरम्मत करा दें । तो यह जो कार्यवाही की तो कैसे की, इंजीनियर ने कैसे आदेश की अवहेलना की?

श्री राजमंगल पांडेय--

होटल का लाईसेंस रद्द करने के बाद अगर होटल चलाता है तो प्रासीक्यूट कर सकते हैं । अब उसके बारे में मैंने स्वत: कहा कि अगर ऐसा है तो प्रासीक्यूट करेंगी । जहां तक होटल गिराने की प्रक्रिया होती है, भवन गिराने की, तो उसको अपनाने के लिये ३९२-३९३ का जो सेक्शन है उसको देखना पड़ेगा, जैसा कि मालवीय जी ने कहा । यह सही है कि जब लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो चलाना नहीं चाहिये था।

श्री रामसेवक यादव--

यह प्रक्रिया आती ही नहीं है । इसकी शुरुआत का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस लिये उत्तर बहुत साफ आना चाहिये । वरना मैं मानने के लिए तैयार हूंगा कि मंत्री महोदय, सरकार, इस तरह के कामों को प्रश्रय देती हैं और अधिकारियों को बजाय दंडित करने के उनका बचाव करते हैं और डिफेंस कौंसिल की तरह से मंत्री महोदय खड़े हो जाते हैं । इसलिये पहले आदेश के रहते हुए जो दूसरी चीज की गयी है उसका अख्तियार ही नहीं था, यह तो उसके कंट्रावेंशन में है, खिलाफ हो जाता है ।

श्री राजमंगल पांडेय--

चूंकि एक प्रक्रिया है और इससे शासन से सीधा संबंध नहीं है, यह प्रक्रिया ३९२-३९३ की है, शासन इंडायरेक्टली पिक्चर में आता है । उन्होंने उनको नोटिस दी है कि पहले ठीक कराइये नहीं तो फिर गिराने की कार्यवाही शुरू की जायगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए कि वह इमारत इस काबिल है नहीं कि उसमें एक आधे दिन भी रह सकें, सब लोग मर सकते हैं और मालिक उसको गिराने के लिये तैयार हैं, तो क्या होटल के मालिक और इंजीनियर ने आपस में तय कर लिया कि मरम्मत के नाम पर होटल चलता रहे और मरम्मत कराने के लिये सिफारिश गवर्नमेंट से कर दो, क्या इसकी जानकारी कराने को तैयार हैं?

श्री राजमंगल पांडेय--

इसको निश्चित करा लेंगे कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी सच्चाई है कि इंजीनियर केवल बेईमानी के कारण होटल को चलाने का प्रयास कर रहे है तो निश्चित ही हम कार्यवाही करेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अगर मालिक इमारत नयी बनाने को तैयार है तो सरकार उसकी मदद करेगी या नहीं? मेरा कहना है कि इमारमे का मालिक दूसरा है, होटल का मालिक दूसरा है तो मकान मालिक की मदद करेंगे नयी इमारत बनाने में?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस किस्म के मसले बड़े विवादास्पद होते हैं। मकान की जीर्णावस्था का बहाना लेकर होटल के मालिक को निकालने की गरज से भी नयी इमारत बनाने की बात कही जा सकती है। इसलिये यह शासन को देखना पड़ेगा। अगर इमारत जीर्ण-शीर्ण है, काम चलाने के लायक हो जाय मरम्मत से तो यह मौका मकान मालिक को हो देंगे कि होटल के मालिक को बाहर निकाल दे।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

क्या मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि जितने भी कानून हैं उनके अन्तर्गत मरम्मत किरायेदार को मरम्मत कराने का स्वयं, या स्वयं निर्माण करने का अधिकार नहीं है। यदि हां, तो इमारत के मालिक को क्यों नहीं नोटिस दिया गया मरम्मत करने का? यह होटल लखनऊ में स्थित है और अगर गिर जायगा तो सैकड़ों लोग मर जायेंगे, तो निर्माण करने या मरम्मत करने के लिए जो नोटिस दी गयी वह मकान मालिक को क्यों नहीं दी गयी बजाय होटल के मालिक के?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जहां तक मुझे ख्याल है इस प्रकार का एक संशोधन बिल यहीं पर आया था रेंट कंट्रोल में कि किरायेदार को मकान में रिपेयर करने का या अगर उसका कोई पोर्शन डैमेज हो गया है तो उसको ठीक कराने का अपने खर्चे पर अधिकार है लेकिन किराये में काटने का अधिकार नहीं है। इसलिये कहीं-कहीं पर दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें किरायेदार तो चाहता है लेकिन मकान मालिक नहीं चाहता है। इसी अन्तर्द्वन्द को खत्म करने के लिये नियमों के अन्तर्गत जो सम्भव होगा वह किया जायगा।

इटावा नगरपालिका के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत की जांच

*८--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा) श्री नत्थू सिंह यादव (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका इटावा, के भू०पू० उपाध्यक्ष (श्री प्रतिभा रंजन दीक्षित) के विरुद्ध नगरपालिका के लाखों रुपये के घोटाले से संबंधित शीशम कांड जांच पिछले दो वर्ष में सरकार द्वारा करायी गई थी? यदि हां तो जांच किसके द्वारा की गई और उसकी रिपोर्ट क्या है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज मंगल पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

बड़ा अफसोस है कि जब सत्तारूढ़ दल का कहीं भ्रष्टाचार से सम्बन्ध होता है तो "सूचना एकत्र की जा रही है।" यही बहाना ढूंढ़ा जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्र करके इसी सेशन में उत्तर देंगे? दूसरे, यह सूचना एकत्र क्यों नहीं हुई और जिन अधिकारियों ने सूचना एकत्र नहीं होने दिया है क्या उनको दंडित किया जायगा?

श्री राज मंगल पांडेय--

माननीय सदस्य अगर अपना सवाल खुद ही देखें कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका इटावा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष (श्री प्रतिमा रंजन दीक्षित) के विरुद्ध नगरपालिका के लाखों रुपये के घोटाले से सम्बन्धित शीशम कांड जांच पिछले दो वर्ष में सरकार द्वारा करायी

गई थी, तो यह तो सवाल से ही स्पष्ट है कि सरकार इसकी जांच करा रही है । अगर सरकार किसी तथ्य को छिपाना चाहती तो फिर जांच क्यों कराती । यह तो शीशम के पेड़ों के बारे में है । वह कई जगह के होंगें । कुछ पेड़ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे । तो यह एक बहुत बडी चीज है । इसकी सूचना एकत्र की जा रही है तो कौन सी ऐसी बात है कि छिपाने की कोशिश कर रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा मंत्री जी ने कहा कि सवाल ही सिद्ध करता है कि सरकार जांच करा रही है तो मैंने यह भी कहा है कि दो साल से लगातार जांच चल रही है । एक सरकार खत्म हो गयी और यह भी खत्म होने वाली है । तो यह जांच क्या इसी सेशन में समाप्त कर के मुझे उत्तर देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अगर यह सरकार खत्म ही होने वाली है और उनकी आने वाली है तब तो वह जांच तेजी से करा देंगे फिर परेशानी क्या है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह दो वर्ष से जो जांच चल रही है उसका कारण एकमेव यही है कि सम्बन्धित व्यक्ति कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

चाहे वह कांग्रेस से सम्बन्धित हों या किसी से सम्बन्धित हों अगर जांच से आरोप सिद्ध हो जाता है तो जितनी खख्त कार्यवाही हो सकती है वह सरकार करेगी यह मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं ।

कानपुर नगर के वायु दूषण का सर्वेक्षण

*९--श्री मधुकर दिधे, (जिला गोरखपुर),(अनुपस्थित) श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने जो कानपुर नगर के वायु दूषण का अध्ययन और खोज करने को आई थी, इस नतीज़े पर पंहुची कि कानपुर नगर की ७५ प्रतिशत वायु दूषित है, जो देश के बड़े औद्योगिक नगरों में सर्वाधिक है ? यदि हां, तो इसके रोक थाम के लिये अबिलम्ब क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, एक बेचारे राज मंगल पांडेय जी, पर ही तमाम विभागों का भार डाल दिया गया है, इसलिये उत्तर हां, या नहीं, में लिख दिया जाता है ताकि उनका यहां उत्तर न देना पड़े । जो सूचना एकत्र हुयी हो कृपया वही बता दें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, शासन को जो सूचना प्राप्त होती है उसी के आधार पर यहां उत्तर दिया जाता है । भारत सरकार की वैज्ञानिकों की कोई टीम कानपुर आयी थी, इसकी जानकारी जहां तक मुझे है वह यह है कि नहीं आयी थी । वैसे नगरमहापालिका के स्वास्थ्य विभाग तथा सम्बन्धित अधिकारी इसकी जांच करते रहते हैं कि चिमनियों से जो धुंवां निकलता है उससे वायु दूषित तो नहीं हो रही है । हम इसके नियमों में एक संशोधन भी लाने का विचार कर रहे

है कि जो जुर्माना १०० रुपये रखा गया था उसको कुछ बढ़ा दिया जाय और उसकी प्रक्रिया ऐसी बना दें जिससे वायु दूषित न हो सके। लेकिन भारत सरकार की टीम आने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री राम सेवक यादव---

आपने कहा सूचना एकत्र की जा रही है, मैंने कहा था कि जो सूचना आ गयी हो वही बताने की कृपा करें ? आपके विभाग ने कोई इसका अध्ययन किया हो तो वही बता दें ? क्या आपने सम्बन्धित विभाग से यह जानकारी प्राप्त की कि नही कि कोई टीम आयी थी या नही ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मैंने पहले ही कह दिया कि टीम के आने के बारे में शासन के पास कोई जानकारी नही है। हमने लेटेस्ट सूचना मांगी है, वह अभी नहीं आयी है। जहां तक मेरी सूचना है कोई टीम नहीं आयी है, प्रश्न के बाद अगर आयी हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, अभी बजट के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि कानपुर शहर के अन्दर बहुत से कारखाने कायम है जिसके धुंवे से वहां का वायु मंडल दूषित हो रहा है, इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि कानपुर में या उसके आस पास १५ किलोमीटर के अन्दर कोई कारखाने नहीं लगाये जायेंगे। अब मंत्री जी कहते ह कि वायु दूषित होने के सम्बन्ध में उनके पास कोई सूचना नहीं है, सूचना एकत्र की जा रही है। तो कौन सा उत्तर सही है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना सोचे समझे ही घोषणा कर दी थी कि वायु मंडल दूषित हो रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस सदन में बात कही थी और मेरी बात में कोई अन्तर नहीं है। यहां तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि टीम आयी थी ? यहां से उत्तर यह दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है कि कोई टीम आयी या नहीं। शासन की जानकारी में नही है कि कोई टीम आयी, उसके लिये कानपुर नगर महापालिका से पूछा गया है।

रुद्रपुर जिला नैनीताल के काश्तकारों को नकली जिंक सलफेट खाद का विक्रय

*१०---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मुख्य मंत्री को जुलाई, १९७४ में दिनांक ५ से २४ के बीच इसकी जानकारी मिली कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल में बडे पैमाने पर नकली जिंक सलफेट खाद काश्तकारों में बेची गई है जिसका उपयोग तराई के अधिकांश किसानों ने पैंडी में किया ? यदि हां, तो पूरी सूचना क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और क्या यह सही है कि उपरोक्त खाद की जांच करके पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय ने यह निर्णय निकाला है कि उपरोक्त खाद में जिंक सलफेट की मात्रा शून्य है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

कुलपति, गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला नैनीताल का एक पत्र दिनांक २९-८-७४ को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह सूचित किया है कि उन्होंने ३०.१ टन जिंक सलफेट मेसर्स प्रकाश पेस्टीसाइड्स, रुद्रपुर से क्रय किया। विश्व-विद्यालय की प्रयोगशाला में उसकी जांच की गयी और यह पाया गया कि उसमें जिंक की कोई

मात्रा नहीं थी बल्कि जिंक के बजाय मैगनेशियम सलफेट था । मैसर्स प्रकाश पेस्टीसाइड्स मे इस टेस्ट के आधार पर पूछ तांछ की गयी तो उन्होंने सूचित किया कि यह माल मैसर्स गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी (वाठी ब्रादर्स), ६६६ गली तैलियान (नाविल्टी सिनेमा के पीछे), दिल्ली के द्वारा सप्लाई किया गया था । विश्वविद्यालय ने मेसर्स प्रकाश पेस्टीसाइड्स, रुद्रपुर तथा मेसर्स गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी, दिल्ली के विरुद्ध गलत माल देकर धोखा धढ़ी करने की रिपोर्ट रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि यह सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है और इसका हर मिनिस्टर एक दूसरे की मदद को आ जाता है । वास्तव में पांडेय जी के ऊपर बहुत भार है । सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब ही नहीं दिया गया । मैंने सवाल किया था—"क्या मुख्य मंत्री को जुलाई, १९७४" में दिनांक ५ से २४ के बीच इसकी जानकारी मिली कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल में बड़े पैमाने पर नकली जिंक सलफेट खाद काश्तकारों में बेंची गयी है जिसका उपयोग तराई के अधिकांश किसानों ने पैडी में किया ? इसका कोई जवाब नही है । जवाब केवल यह है कि यह खाद पंत नगर यूनिवर्सिटी ने खरीदी थी । चाहे यूनिवर्सिटी ने खरीदी हो या किसी डिपार्टमेंट ने खरीदी हो, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि कितनी खाद किसानों को दी गयी और किसानों ने उसको लिया और उसका उपयोग किया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं माधव बाबू का दिल से बहुत सम्मान करता हूं लेकिन कभी-कभी वे ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे बहुत अफसोस होता है। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। असल बात यह है कि एक खैरा रोग हो जाता है जिसमें काश्तकार इस जिंक सलफेट का इस्तेमाल करते हैं । यह फर्टिलाइजर में नहीं आता है इसलिये सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं निकलता हैं । पंत नगर यूनिवर्सिटी ने इसे लिया था और जब यह तथ्य सामने आये तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में की गयी ।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जिंक सलफेट की कमी होने की वजह से तराई क्षेत्र में धान की फसल को नुकसान होता है और जब वहां धान की फसल को क्षति होगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी और जो नुकसान होगा उसे कौन देगा ? साथ ही जो गल्ले की कमी होगी उससे कितना सरकार और पब्लिक का नुकसान होगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जब सरकार ने दिया ही नहीं, तो क्षति पूर्ति का प्रश्न कहां उठता है । यह तो यूनिवर्सिटी ने दिया । जिंक सलफेट के नाम पर जिस फर्म ने यह सप्लाई किया उसके ऊपर बेईमानी करने के आरोप में मुकदमा कायम किया गया है, क्रीमिनल प्रोसीज्योर कोड के अन्तर्गत, इसके अलावा दूसरी सूरत मेरे पास क्या है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिन दो फर्मों का नाम लिया गया, उनके मालिक कौन हैं और उनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि ये बड़े-बड़े नेता लोगों से सम्बन्धित है इसीलिये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुये हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इनके डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं, इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा कि इनके कौन-कौन डाइरेक्टर्स हैं और किस-किस पार्टी से सम्बन्धित हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इन फर्मों के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने लाखों की सम्पत्ति का नुकसान किया और कई वर्षों से पब्लिक को धोखा देते रहे हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, गिरफ्तारी के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । चूंकि मामला दिल्ली से सम्बन्धित है । जिस फर्म से यह खरीद की गयी थी उसने दिल्ली से खरीद की थी । इन दोनों फर्मों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है । इसकी विवेचना करना पुलिस का काम है । पुलिस के पास एक यही काम तो है नहीं । यह भी काम जरूरी है कुछ समय लग सकता है । इस सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही कर रही है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करायेंगे कि यूनीवर्सिटी के अलावा जो अगल बगल के किसान हैं क्या उन्होंने इसकी खरीद की है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से एक अनुरोध करना चाहूंगा, कि सरकार ने इन चीजों को बेचा नहीं, काश्तकारों ने इन चीजों को दूकानदारों से खरीदा है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, कम्पनी से यूनिवर्सिटी ने खरीदा । यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्ट भी हो गयी । मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि यूनिवर्सिटी के अलावा कम्पनी से किसानों ने भी इसकी खरीद की है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर मेरे पास काश्तकारों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत आती है तो मैं निश्चित ही इसकी जांच कराऊंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानते हुये क्या मंत्री महोदय जांच करायेंगे कि इन दो फर्मों के अलावा और भी बहुत सी फर्में हैं जो जिंक सलफेट को बेचती हैं पर उसमें इसका प्रतिशत शून्य के बराबर होता है । हजारों एकड़ धान की फसल में इसका छिड़काव करने से खैरा रोग लग गया है । तो क्या सरकार दूसरी और फर्मों की जांच करायेगी जो मिलावट करने का कानून है क्या उसके अनुसार कानूनी कार्यवाही करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी है और अगर वह उसे लिखकर दे देते है तो मैं फौरन कार्यवाही करूंगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमा कायम हुआ है वह किन-किन लोगों कि खिलाफ कायम हुआ है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, दो फर्में हैं, इन दो फर्मों के जो डाइरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, वह कौन-कौन आदमी है जिनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, नाम तो मेरे पास है नहीं । धोखाधड़ी के कानून के अन्तर्गत जो इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर्स है, जो डाइरेक्टर्स है उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा । यह तो दिल्ली से पता चलेगा कि इनके मैनेजिंग डाइरेक्टर्स और डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित यह बात साफ है कि एडल्ट्रेशन है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह सरकार का दायित्व है कि जिन फर्मों ने इसकी सप्लाई की है तुरन्त उसकी जांच करे ताकि फरदर ऐसी मिलावट वह न करें । और यह सारी चीजें सरकार के सामने आनी चाहिये । क्या इस बात की जांच करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठायें हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में तो सूचना की आवश्यकता होगी । यूनिवर्सिटी ने इसकी रिपोर्ट की है कि धोखाधड़ी की गयी और उसकी जांच हो रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रिपोर्ट किस तारीख को हुयी और किस थाने में दर्ज करायी गयी, और किसने दर्ज करायी, यह तीन बातें बतायेंगे ? और यह किस दफा में दर्ज की गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है । जो सूचना थी वह मैंने दे दी ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मान्यवर, इसमें तो काफी समय लगा है....।

श्री अध्यक्ष--

यह तो ५ और २४ जुलाई के बीच का सवाल था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुकदमें की रिपोर्ट देख लें, कोई रिपोर्ट तो निश्चित होनी चाहिये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, एफ०आई० आर० हमारे पास नहीं है । अभी भेजी नहीं गयी है । सूचना एकत्र की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका इलाहाबाद पर सरकारी ऋण का बकाया

*१---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका इलाहाबाद पर सरकार का कितना कर्ज दिनांक २५-६-७४ तक बाकी है और उसकी धनराशि किस-किस मद से सम्बन्धित है ? कर्ज की वसूली के लिये क्या प्रयत्न किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मेरा प्रश्न २७ जून, १९७४ का है । ३० जुलाई, १९७४ को स्थगित किया गया । तो मेरा प्रश्न स्पष्ट यह है कि नगर महापालिका इलाहाबाद के ऊपर राज्य सरकार का कितना कर्ज बाकी है और उसकी धनराशि किस-किस मद से सम्बन्धित है ? कर्ज की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? मेरे कहने का आशय यह है कि इन सब का उत्तर यहीं सचिवालय में मौजूद है और मंत्री जी के कमरे से स्वायत्त शासन विभाग बहुत दूर नहीं है तो फिर इसमें सूचना कहां से एकत्र की जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मेरे पास जो सूचना आई है उसमें भ्रम है इसलिये फिर से नगर महापालिका को लिखा गया है । शासन द्वारा स्वीकृत ऋणों के अन्तर्गत जो धन नगर महापालिका को देना है उसके अन्तर्गत जल सम्भरण योजना में १,६७,८७,८३४.२७ रु०, जलोत्सारण योजना में १,११,८४,५७४.६९ रु० अल्प आय वर्ग भवन निर्माण हेतु ३२,३१२.६२ रु० मिलना है, परन्तु अल्प आय वर्ग भवन निर्माण में कुछ शंका हो रही है । इसलिये उनको लिखा गया है । इसी प्रकार ट्रक/ट्रक्टर आदि के क्रय हेतु ११,६८५.५८ रु० महापालिका भवन निर्माण हेतु १,९४,१०५.०२ रु० तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण से २०,०५,२८८.८० रु० अर्थात कुल ३,०२,१५,८००.९८ रु० शासन को मिलना है । परन्तु हमको भवन निर्माण के बारे में शंका है इसलिये लिखा गया है ।

श्री अध्यक्ष---

अभी जब शंका है तो यह सूचना देने की क्या आवश्यकता है । इसको अगले दिन रख दीजिये ।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मंत्री जी का भ्रम बकाये के सम्बन्ध में है कि कितना कर्ज बाकी है । लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग है कि जो कर्ज बाकी है उसको वसूलने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? सितम्बर, १९७३ से जब से इलाहाबाद कारपोरेशन में वहां कांग्रेस ने चार्ज लिया जब से जानबूझकर वहां आई०ए०एस० अधिकारी को नही भेजा गया जबकि नियम में स्पष्ट प्राविधान है कि किसी भी कारपोरेशन का मुख्य नगर अधिकारी जो होता है वह आई०ए०एस० अधिकारी होना चाहिये । वहां का एक प्रतिनिधि मंडल मिला, डिप्टी मेयर मिले तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार के पास आईं लेकिन मुख्य नगर अधिकारी के लियेआई०ए०एस० अधिकारी

वहां नही भेजा जा रहा है । इसलिये वहां दिक्कत उत्पन्न हो रही है । मुझे आशा है कि इस सत्र के खत्म होने के पूर्व मेरा उत्तर आ जायेगा । मान्यवर, इनका भ्रम जो है वह जल्दी ही दूर हो सकता है ।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो सुपरसीडेड नगर महापालिकायें हैं उनके लिये प्रक्रिया बन रही है और उससे कोई पोलिटिकल मोटिव पर नही रह सकेगा । दूसरे चुनाव भी जल्दी होने जा रहे हैं इसलिये जो भ्रम है वह चुनाव होने के बाद दूर हो जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसका उत्तर क्या इस सत्र के समाप्त होने के पहले मिल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

मंगलवार को आयेगा ।

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां सीतापुर के चुनाव का स्थगन

*२---श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---

क्या मुख्य मंत्री दिनांक १८ जून,१९७४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८ के सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण २५ दिसम्बर, १९७३ को सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर का चुनाव स्थगित किया गया था ? तथा उपरोक्त बैंक में रिटर्निंग आफिसर ने जब एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी तो उसे किस कोआपरेटिव ऐक्ट की धारा या विधि का प्रयोग करके सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर का चुनाव स्थगित किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर का २५ दिसम्बर, १९७३ को होने वाला चुनाव जिन कारणों से स्थगित किया गया था उनका उल्लेख करना इसलिये उचित नही है क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, एक व्यवस्था दे चुके हैं कि जब कोई मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन होता है तो तथ्य आपके सामने आते हैं । एक बार हुआ कि चुनाव होने जा रहा है और चुनाव अधिकारी वहां पहुंच गये तथा चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी । परन्तु फिर मामले में वहां स्थगन के आदेश पंहुच गये और वह चुनाव स्थगित हो गया ।

मान्यवर, मैं यह नही पूछना चाहता हूं कि स्थगन की मेरिट क्या थी, होना चाहिये था अथवा नहीं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस स्थान तक आपने कार्यवाही कर ली थी, तब चुनाव रोका गया और उस स्थान तक वाकयात क्या थे । हम कोई इन्टरफीयरेंस नही चाहते मेरिट में कि ठीक हुआ या गलत । आप कृपया वाकयात बता दें ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री उन वाकयात को बता सकते हैं कि जो न्यायालय के विचाराधीन न हों ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आप तो छूट दे देते है कि "बता सकते है" उनको बताना चाहिये ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यह तो तथ्य है ही कि चुनाव स्थगित हुआ और माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य प्रश्न यही है कि चुनाव क्यों स्थगित हुआ । इसलिये मैंने निवेदन किया कि उस पर चर्चा करना उचित नही है ।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि चुनाव स्थगन का आदेश कब पंहुचा और उस समय तक चुनाव सम्बन्धी कितनी कार्यवाही हो चुकी थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

हमारी जानकारी यह है कि चुनाव के लिये गवर्नमेंट के आदेश हो चुके थे और उसके बाद चुनाव अधिकारी ने चुनाव स्थगित कर दिया...

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

२५ दिसम्बर, को जब यह चुनाव होने को था उस समय तक १० बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का चुनाव हो चुका था, दो का होना बाकी था तथा चेयरमैन का होना था । उस दिन श्री गोपीनाथ दीक्षित का टेलीफोन पंहुचा और उससे चुनाव स्थगित हुआ । बैंक को जो इन्स्ट्रक्शन्स गये वह यह थे.... According to the instructions received from above. elections have been postponed.

मेरा प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट किस ऐक्ट की किस धारा के अनुसार सक्षम थी रोकने के लिये उस चुनाव को वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

किस ऐक्ट की किस धारा के मुताबिक स्थगन किया गया...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मंत्री जी यही बता दें कि वह कौन सी धारा थी जिसके अनुसार स्थगित किया गया चुनाव को ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि चुनाव किस लिये स्थगित किया गया है वही तो चैलेंज किया गया है और वही मुख्य प्रश्न है । जब यही मुख्य प्रश्न है तो उसका फैसला मुख्य न्यायालय में होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो चुनाव स्थगित हुआ वह होना चाहिये था या नहीं, यह तो निर्णय हाई कोर्ट करेगा, लेकिन मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह धारा कौन सी थी जिसके अनुसार स्थगित किया गया चुनाव को ? अच्छा हुआ या बुरा इसको बात मैं नहीं करता ?

एक सदस्य—

क्या यह सच है कि लोगों का चुनाव हो गया था... ?

श्री अध्यक्ष---

पहले श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का उत्तर आ लेने दें तब कहें । सवाल यह है कि अगर यहां से स्थगन हुआ तो किसी अधिकारी के मातहत हुआ होगा ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा---

मंत्री जी किसी से पूछ लें और वह नियम और धारा बतला दें ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मान्यवर, हमने यह निवेदन किया कि यह सारा प्रश्न विचाराधीन है । चुनाव स्थगित करना कानूनी था या नहीं मुख्यतया यही प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह बतलावें कि ऊपर से स्थगित किया गया या नहीं ? स्थगित करना उचित था या अनुचित था यह नहीं पूछते ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि चुनाव अधिकारी ने कोई काम किया । उसने खुद स्थगित कर दिया या यहां से स्थगित हुआ । किस अधिकार से स्थगित किया, उसका कोई प्राविधान नियमों में है या नहीं, यह सावल है। मान लीजिये इस विधान सभा के बारे में कोई फैसला गवर्नर साहब करते हैं तो संविधान की कोई धारा बतलाते हैं कि इस धारा का प्रयोग करते हुये यह किया।

श्री शिव कुमार पांडे (जिला सुल्तानपुर)---

हाईकोर्ट इसको देख रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

हाई कोर्ट यह नही देख रहा है। आपने जो काम किया वह किस धारा के अन्तर्गत किया । कोई जवाब उनके पास होगा । हम उसका जवाब क्यों दें ।

श्री शिव कुमार पांडे---

अगर यह बतलाते हैं कि यह नियम है तो मुकदमें पर असर पड़ता है । ...

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें । वह जवाब देने को खड़े हुये हैं । यह प्रश्न सीधा है । जो पहलू है उच्च न्यायालय में उसे कहने की जरूरत नहीं । जिस अधिकारी ने स्थगित किया तो कोई कारण रहा होगा । चुनाव हो रहा है, ऐलान हो गया तो स्थगित करने का कोई कारण होगा ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मान्यवर, हमारे पास सूचना है कि एस० डी० ओ० बिसवां जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने लिखकर भेजा और उन्होंने चुनाव स्थगित किया ।

श्री राम सेवक यादव---

किस नियम के आधार पर ?

नोटः---[नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।]

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

किस नियम और धारा के अन्तर्गत किया यह सारा मामला उच्च न्यायालय के बिचाराधीन है । यही मुख्य प्रश्न वहां विचाराधीन है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मंत्री जी यह बतालाये कि चुनाव अधिकारी ने जो चुनाव स्थगित किया तो उस संबन्ध में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार को या ए० डी० एम० को दी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गया प्रसाद मेंहरोत्रा---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्रश्न रखा गया तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया कि व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से स्थगित हुआ ....

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । जो जवाब देना था वह आपने देने नहीं दिया । अब हम आगे चलते हैं ।

दो वर्षीय कृषि प्रसार डिप्लोमा प्राप्त ग्राम सेवकों का वेतन

*३---श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दो वर्षीय कृषि प्रसार डिप्लोमा प्राप्त कितने लोग इस समय ग्राम सेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं और इन कृषि विभाग के डिप्लोमा प्राप्त ग्राम सेवकों को क्या कोई अन्य प्रशिक्षण भी दिलाया गया ? यदि दिया गया , तो उसकी अवधि क्या थी, उस अवधि में उनको वेतन मिला या नहीं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् गाजीपुर के टैक्स व ठेके की धनराशि का बकाया

*४---श्री कालीचरन यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गाजीपुर का टैक्स एवं ठेका आदि का लोगों के ऊपर कितने दिनों से कुल कितने रुपये बकाया है ? इसकी वसूली के लिये अब तक सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला परिषद् द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है । अतएव टैक्स की कोई धनराशि बकाया नहीं है परन्तु घाटों के ठेके के अन्तर्गत वर्ष १९४५ से १८ जुलाई, १९७४ तक १,१६,४७० रुपये तथा लाइसेंस फीस के अन्तर्गत वर्ष १९५३ से १९७२ तक ६१, ७६४ रुपये की धनराशि बकाया थी ।

घाटों के ठेके के बकाया की वसूली राजस्व बकाये की भाँति की जाती है तथा लाइसेंस शुल्क की वसूली जिला परिषद् द्वारा की जाती है । अवशेषों की वसूली के लिये हर संभव प्रयास किये गये हैं तथा जारी हैं ।

जनपद मुरादाबाद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गयी कच्ची सड़कें और उन्हें पक्का करने हेतु क्रय किया गया सामान

*५--श्री ख्यालीराम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष १९७१-७२, १९७२-७३ एवं १९७३-७४ में कौन कौन कच्ची सड़क क्रैश प्रोग्राम (त्वरित योजना) के अन्तर्गत ली गई थीं और उनके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां । सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२४७-१२४८ पर)

*६--श्री ख्याली राम शास्त्री--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को जानकारी है कि उक्त सड़कों को मिट्टी से ऊंचा करने से पहले पक्का कराने का सामान ईट, पत्थर खरीद लिया गया है जो कि मौके पर पड़ा हुआ बर्बाद हो रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं । किसी भी सड़क पर अर्थ वर्क होने से पहले कोई मेटीरियल नहीं खरीदा गया । वर्ष १९७१-७२ में जिन सड़कों पर अर्थ वर्क के साथ-साथ सोलिंग हेतु ईटों का क्रय किया गया था उन पर सोलिंग का कार्य ७१-७२ एवं ७२-७३ तक पूर्ण करा दिया गया । अन्य सामान अर्थ वर्क पूर्ण होने के बाद खरीदा गयाहै और बरबाद नहीं हो रहा है ।

श्री देशराज कपूर, निवासी गोविन्द नगर, (कानपुर) द्वारा नगरमहापालिका की जमीन पर नाजायज कब्जा

*७--श्री झामलाल अहिरवार--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री देशराज कपूर, निवासी १२७, लाल क्वार्टर्स, गोविन्द नगर, कानपुर में अपने मकान के साथ नगरमहापालिका कानपुर की एक लाख रुपये मूल्य की भूमि जिसमें सरकारी सड़क का भी काफी भाग आ जाता है, महापालिका कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर अपने मकान के साथ मिला ली है तथा उस पर नक्शा के बगैर भवन बना लिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

श्री देशराज कपूर, को प्रश्नगत क्वार्टर तथा उससे संलग्न भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा प्राप्त हुई है । जहां तक नक्शे के बगैर भवन बना लिये जाने का प्रश्न है, यह सत्य है कि श्री देशराज कपूर ने थोड़ा सा अनधिकृत निर्माण अवश्य कर लिया है और इस संबंध में उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य-विनियमन) अधिनियम, १९५८ (आर०बी०ऐक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

*८--श्री झाम लाल अहिरवार--

क्या यह सच नहीं है कि उक्त देशराज कपूर ने गोविन्द नगर के निकट वर्रागांव की बहुमूल्य २९ बीघा भूमि पर अनेक वर्षों से अनधिकार कब्जा कर रखा है तथा इस भूमि पर वह काश्त कराता है व साइकिल पार्ट बनाने की फैक्टरी (लेबर विभाग से छिपाकर) बनाई हुई है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

श्री देशराज कपूर, ने कई वर्ष पूर्व नगर महापालिका की ६ बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया था परन्तु महापालिका ने न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करके उनको भूमि से बेदखल कर दिया और अब वह भूमि महापालिका के कब्जे में है । शेष बातों के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग को जानकारी नहीं है ।

*९--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

प्रदेश के डाक्टर विहीन अस्पताल

*१०--श्री वीरेंद्र वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी डिस्पेंसरी (आदमियों और औरतों की) अलग-अलग ऐसी हैं जिनमें डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है और कब से? सभी अस्पतालों में डाक्टरों/डाक्टरनी पहुंच जावें इसकी कब तक व्यवस्था कर देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड

*११--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर में मिल्क बोर्ड का निर्माण कुल कितनी लागत से हुआ और प्रति वर्ष उसमें विभिन्न मदों में कुल कितनी-कितनी आय और कितना व्यय हुआ और उस प्लांट में दूध उपयोग करने की क्या क्षमता है और कितना दूध उपलब्ध हो पाता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड की कुल लागत १,४०,३३,०८३ रु० है ।

दुग्धशाला १९६९-७० से कार्यरत हुई । तब से अब तक के आय व्यय के आंकड़े संलग्न (क) में दर्ज किये गये हैं ।

प्लांट में दूध उपयोग करने की क्षमता ५०,००० लीटर प्रतिदिन है । प्रति-वर्ष उसे जो कुल दूध उपलब्ध हुआ उसके आंकड़े संलग्नक (ख) में दर्ज है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२४९ पर)

मुजफ्फरनगर के काश्तकारों को खाद के बढ़े हुये मूल्य की धनराशि की वापसी

*१२--श्री वीरेंद्र वर्मा--

क्या पुराने मूल्य पर क्रय किये गये खाद को पुराने मूल्य पर ही बिक्री कराने की दिनांक १८ जून, १९७४ को विधान सभा सदन में की गई घोषणा के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर व प्रदेश के कई अन्य जिलों में ६ जून से १८ जून, १९७४ के मध्य बढ़े मूल्य पर दिये गये खाद की अतिरिक्त धनराशि कृषकों को वापस नहीं की जा रही है यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सभी जिला कृषि अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि पुराने मूल्य पर क्रय की क गई और नये मूल्य पर कृषकों को बिक्री गई खाद के संबंध में नये व पुराने मूल्य के अन्तर की धनराशि कृषकों को वापस कर दी जाय । मुजफ्फरनगर जिले में २८४४ कृषकों को जो उवर्रक वितरित किया गया उसके बढे हुए मूल्य के रूप में संबंधित कृषकों को रु० २,४१,०७३.६५ पैसे की अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ी। इसमें से २,१२३ कृषकों को रु०१,०६,८५६.२७ पैसे की धनराशि वापस कर दी गयी है और शेष १७२१ कृषकों की रु० १,३४,२१४.६८ पैसे की शेष धनराशि को वापस करने की कार्यवाही की जा रही है ।

गाजीपुर के ब्लाक प्रमुखों, संसद सदस्यों एवं विधायकों पर सहकारी समितियों की बकाया धनराशि

*१३—श्री कालीचरन यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में वर्तमान तथा भूतपूर्व ब्लाक प्रमुखों संसद सदस्यों एवं विधायकों तथा उनके परिवार के लोगों के जिम्मे सहकारिता विभाग का कितना धन बकाया है, साथ ही अन्य कितने और कौन-कौन लोग हैं जिनके यहां पांच हजार रुपये से अधिक धन बकाया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में कथित व्यक्तियों पर सहकारिता विभाग का कोई बकाया नहीं है बल्कि उन पर सहकारी समितियों का बकाया है जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२५०–१२५४ पर)

ब्लाक चौबेपुर कानपुर के अमीन को गबन के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

*१४—श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर के चौबेपुर ब्लाक में कोई अमीन गबन के मामले में दिसम्बर, १९७३ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसे निलम्बित करने की मांग की थी? इस अमीन को निलम्बित किया गया या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । अमीन के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है ।

दिनांक १३ अगस्त, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

कृषि निदेशालय के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश का आधार

*१५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक ए०बी०(१) ९९४२-१०१२१/४-६/पार्ट-३/दिनांक ११–२–७४ के द्वारा कृषि अधीनस्थ सेवा वर्ग २ में से कौन-कौन कर्मचारी वर्ग १ में पदोन्नति किये गये हैं तथा पदोन्नति का आधार क्या बनाया गया है ? ग्रेडेशन लिस्ट में उनकी ज्येष्ठता का क्रमांक क्या है ? क्या यह सच है कि कुछ ज्येष्ठ कर्मचारियों की ज्येष्ठता का अतिक्रमण करके उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नत (प्रमोट) कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस की ज्येष्ठता अतिक्रमित की गई है तथा किन कारणों से ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ग–२ से वर्ग–१ में प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रोन्नति किये गयें व्यक्तियों का नाम संलग्न सूची 'क' में अंकित है। पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तो को छोड़ते हुये ज्येष्ठता है।

ग्रेडेशन लिस्ट में ज्येष्ठता का क्रमांक संलग्न सूची के अनुसार है।

जी हां।

संलग्न सूची† (ख) में वांछित सूचना उपलब्ध है।

साधन सहकारी समिति लि०, पालीमुकीमपुर अलीगढ़ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों पर बकाया धनराशि की वसूली

*२—श्री कल्याण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड पाली-मुकीमपुर विकास खंड बिजौली, जिला आलीगढ़ में दिनांक ३१–५–७४ तक कौन कौन सदस्य एवं पदाधिकारी कब-कब से कितनी कितनी धनराशि के बकायादार हैं और उनसे बकाया धनराशि वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं? सरकार ने उपरोक्त धनराशि वसूल करने के लिये क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं और वसूली कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

साधन सहकारी समिति लि० पालीमुकीमपुर विकास खंड बिजौली जिला अलीगढ़ में दिनांक ३१–५–७४ को संलग्न सूची के अनुसार सदस्य एवं पदाधिकारियों पर अंकित तिथि से निम्न धनराशि बकाया थी। संपूर्ण बकाया धन की वसूली दिनांक १८–७–७४ तक की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२५५–१२५७ पर)

३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मिलिंग कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद के खाद्य पदार्थों की जांच

*४—श्री तीरथ राम कोहली—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में वर्ष १९७३ में मिलिंग कम्पनी लि० के खाद्य पदार्थों के कितने सेम्पुल कब कब लिये गये तथा उनपर क्या क्या कार्यवाही की गई तथा जांच किससे कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री राज मंगल पान्डेय—

वर्ष १९७३ में मिलिंग कम्पनी लि०, इलाहाबाद के खाद्य पदार्थो का कोई सैम्पुल नहीं लिया गया। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

*५—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य तथा श्री केशरी लाल—

[१२वें मंगलवार के लिये स्थगित]

---

†छापी नहीं गयी।

नगरपालिका खुर्जा जिला बुलन्दशहर का अधिग्रहण

*६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका खुर्जा, जिला बुलन्दशहर को अधिग्रहण करने के लिये शासन ने १ जुलाई, १९७४ को कोई आदेश दिया है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[१२वें मंगलवार के लियें स्थगित]

ग्रीन पार्क, कानपुर पर जुग्गीलाल कमलापति फर्म का कथित कब्जा

*८—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर), श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया), श्री रामरति बिन्दु तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर का ग्रीन पार्क सरकार की संपत्ति है ? जिसकी सुरक्षा मोदी ट्रस्ट करती है तथा जिसके सभापति जिलाधीश हैं ? क्या उस ग्रीन पार्क पर जुग्गीलाल कमलापति फर्म (सिंघानिया परिवार) का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रीन पार्क को खेलकूद निदेशालय को दे देगी ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

जी हां, सिविल लाइन्स कानपुर में नजूल प्लाट संख्या ९४, जिस पर ग्रीन पार्क स्थित है, सरकार की संपत्ति है। इस पार्क की सुरक्षा तथा प्रबन्ध मोदी स्टेडियम ट्रस्ट द्वारा होता रहा है जिसके सभापति जिलाधीश, कानपुर हैं । ग्रीन पार्क पर जुग्गी लाल कमलापति फर्म (सिंघानिया परिवार) का व्यक्तिगत रूप से कभी कोई अधिकार नहीं था । फिर भी शासन ने अभी हाल में यह निर्णय लिया है कि उक्त स्टेडियम की समस्त देखरेख खेलकूद विभाग द्वारा ही की जाय ।

*९—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

हरदोई केंद्रीय कृषि बीज भण्डार के कृषि सामानों का अपहरण

*१०—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि हरदोई केन्द्रीय कृषि बीज भंडार के कृषि सामानों का अपहरण ३-८-७३ से अब तक किसने, किन परिस्थितियों में किया है ? अपहरण के सामानों की धनराशि क्या है ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

संबंधित केन्द्रीय कृषि बीज भंडार के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण किया जा रहा है । सम्प्रेक्षण के पश्चात् वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सकेगा तथा कार्यवाही संभव होगी ।

*११—श्री दधीच सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उपनिदेशक पशुपालन, (फार्म्स) के अधीन स्थापित वर्कशाप में ट्रैक्टर व मोटर गाड़ियों की मरम्मत पर व्यय को हानि लाभ खाते में सम्मिलित किया जाना

*१२—श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

विधान सभा के दूसरे सत्र के पहले मंगलवार दिनांक ११-६-७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के अधीनस्थ राजकीय फार्मों का कृषि अनुभाग क्या वाणिज्यिक है? यदि हां, तो कृषि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों तथा मोटरगाड़ियों की मरम्मत के लिये स्थापित वर्कशाप कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग होते हुये भी कृषि को वित्तीय परिणामों में वर्कशाप के लाभ हानि सम्मिलित न करने के कारण क्या हैं? क्या वर्ष १९७२-७३ और १९७३-७४ में वर्कशाप में किये गये क्रमशः मरम्मत कार्य के मूल्य से वर्कशाप पर किया गया व्यय अधिक रहा है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिये शासन ने क्या क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के अधीनस्थ केवल १० प्रक्षेत्रों के कृषि अनुभाग वाणिज्यिक हैं। कृषि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों तथा मोटर गाड़ियों की मरम्मत का वास्तविक व्यय प्रक्षेत्र के हानि लाभ के लेखे में सम्मिलित किया जाता है। वर्ष १९७२-७३ और १९७३-७४ में वर्कशाप में किये गये मरम्मत कार्य के मूल्य से वर्कशाप पर किया गया व्यय अधिक नहीं रहा।

प्रादेशिक विकास दल को युवक निदेशालय में परिणित करने की मांग

*१३—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशिक विकास दल (प्रा० र० दल) को युवक निदेशालय में परिणित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

युवक निदेशालय की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इस पर निर्णय शीघ्र होने की आशा है।

आगरा जनपद के क्रैश, प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

*१४—श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जिले के क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और इस समय उनकी स्थिति क्या है तथा क्या सरकार उक्त सड़कों की सूची विकास खंडवार सदन के पटल पर रखेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२५८-१२५९ पर।)

*१५—श्री ख्याली राम शास्त्री—

[१४वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप निदेशक, भूमि संरक्षण (बांदा) द्वारा अपने साले की कथित नियुक्ति

*१६—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण, बांदा ने अपने निजी साले की नियुक्ति एक हरिजन का हक मार कर भूमि संरक्षण अधिकारी राठ, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत बिना सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की है? यदि हां, तो सरकार उक्त विषय में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय प्रसार प्रशिक्षण विद्यालय चिरगांव (झांसी) में हरिजन प्रशिक्षार्थी

*१७—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रसार प्रशिक्षण विद्यालय चिरगांव (झांसी) में गत तीन वर्षों में कुल कितने छात्रों ने प्रवेश लिया तथा उनमें प्रति वर्ष हरिजन छात्रों की कितनी-कितनी संख्या रही ? क्या हरिजनों को उनके सुरक्षित स्थानों पर भर्ती किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चिरगांव (झांसी) पर विगत तीन वर्षों में फार्म मिकैनिक प्रशिक्षण सत्र प्रति वर्ष चलाया गया, जिसके लिये कुल प्रशिक्षार्थियों की निर्धारित संख्या २० (बीस) प्रति सत्र थी। प्रत्येक वर्ष के सामने सत्र के समक्ष हरिजन प्रशिक्षार्थियों की संख्या दर्शायी गई है ।

वर्ष	सत्र में कुल प्रशिक्षार्थी संख्या	हरिजन प्रशिक्षार्थियों की संख्या
१९७१–७२	१६	७
१९७२–७३	२५	४
१९७३–७४	१७	५

केवल वर्ष ७२–७३ में हरिजन प्रशिक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या उपयुक्त हरिजन प्रशिक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की कम संख्या के कारण १६ प्रतिशत रही जो केवल एक प्रशिथार्थी से कम रही। अन्य वर्षों में हरिजन प्रशिक्षार्थियों की संख्या २० प्रतिशत से कहीं अधिक रही ।

सचल खाद्य अभियंत्रण योजनान्तर्गत चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर के पदों पर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन

*१८—श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सचल खाद्य अभियंत्रण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७२–७३ में राजकीय सेवारत वरिष्ठ सेनेटरी इंसपेक्टरों को न नियुक्त करके कितने जूनियर सनेटरी इंसपक्टरों को चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

प्रश्नगत दल में ज्येष्ठता के अनुसार ११ ऐसे सेनेटरी इंसपेक्टरों को चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर के पदों पर नियुक्त किया गया है जो चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त थे और पद के लिये उपर्युक्त थे तथा उक्त पद पर नियुक्ति के लिये सहमत थे ।

*१९—श्री बृजपाल सिंह यादव—

क्या उपर्युक्त नियुक्तियों के विरोध में कोई प्रत्यावेदन हाल में ही प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

जी हां । ऐसे प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं जो विचाराधीन हैं ।

जिला परिषदीय अस्पताल एतमादपुर (आगरा) को चावली में स्थानान्तरित करने की मांग

*२०—श्री शिव चरन लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् डिस्पेन्सरी एत्मादपुर, जिला आगरा को जिला परिषद् ने सरकार को दिये जाने में अपनी असमर्थता जाहिर की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये एत्यमादपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है और ग्राम चावली में अस्पताल के लिये ८ बीघे जमीन पड़ी है जो जगह उपयुक्त एत्मादपुर, के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क चावली में खोलने के आदेश देगी ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एतमादपुर से संबद्ध जिला परिषद् के अस्पताल के प्रान्तीयकरण के लिये जिला परिषद् ने तो असमर्थता व्यक्त नहीं की है किन्तु उन्हें प्रान्तीयकरण संबंधी शासन की शर्तें मान्य नहीं हैं । इसी कारण प्रान्तीयकरण संभव नहीं हैं । यह सही नहीं है कि एतमादपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है । जिला परिषद् आगरा का एतमादपुर अस्पताल जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अंग है का अपना भवन है और वह उसी में भली प्रकार कार्य कर रहा है । ऐसी दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एतमादपुर से चावली स्थानान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्डपुर (बस्ती) के डाक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२१—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को दिनांक १०-४-७४ का कोई शिकायती पत्र जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्डपुर, जनपद बस्ती के डाक्टर द्वारा डाकुओं से घायल हुये लोगों के साथ दुर्व्यवहार एवं रिश्वत लेने की शिकायत थी, माह अप्रैल, १९७४ में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

जी हां । जांच के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी सिस्टम आफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों को नया वेतनमान

*२२—श्री बादाम सिंह (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी सिस्टम आफ मेडिसिन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्मचारियों को नवीन वेतनक्रम जो कि १ अगस्त १९७२ से वेतन आयोज ने देने की संस्तुति की है, के संबंध में शासनादेश जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

जी अभी नहीं ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों में तथा प्रदेश की गैर सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी संस्थाओं में स्वीकृत पदों के वेतनमानों में तालमेल न होने के कारण निर्णय लेने में समय लग रहा है ।

सहायक अधीक्षिका, सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ को देय पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

*२३—श्री भगवती चरण निर्मोही तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अधीक्षिका, सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ को जो जनवरी, १९६१ में सेवा निवृत्त हुई थीं अभी तक पेंशन ग्रेच्युटी एवं उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो पिछले १४ वर्षों से अनिर्णीत मामले को कब तक निस्तारित कय दिया जायगा ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

जी हां । शीघ्र ही ।

*२४—श्री रघुबीर तथा श्री झिलमिट—

[१२वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

कानपुर में कैनाल रोड स्थित मुहालों के लिये पेय जल योजना

*२५—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर नगर नहापालिका द्वारा कैनाल रोड पर नलकूप लगाकर नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो नलकूप के द्वारा कौन-कौन से मुहाल निवासियों को कब तक पेय जल उपलब्ध होने लगेगा ।

श्री राज मंगल पान्डेय—

जी हां, कानपुर नगर में कैनाल पटरी पर दो नलकूप लगाकर नागरिकों के लिये पेयजल की व्यवस्था की जा रही है । उन नलकूपों के द्वारा फूलबाग, बिरहाना रोड, माल रोड, कलेक्टर गंज, रामगंज, सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन तथा तथा कैनाल के किनारे के क्षेत्र लाभान्वित होने लगेंगे । लगभग मार्च, १९७५ तक इन नलकूपों से पेयजल वितरित किया जा सकेगा ।

*२६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१२वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*२७—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

चीनी मिलों के शीरे पर नियंत्रण हेतु उप आबकारी निरीक्षकों के पदों पर कथित नियुक्तियां

*२८—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिलों के नियंत्रण के लिये वर्ष १९७३-७४ के बजट में ७३ आबकारी निरीक्षिकों की नियुक्ति का प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ था जिसमें १८ व्यक्तियों की नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर बिना सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

चीनी मिलों के शीरे पर नियंत्रण हेतु वर्ष १९७३–७४ से सृजित ६३ आबकारी निरीक्षिकों के पदों पर किसी व्यक्ति की उप आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है ।

जिला सहकारी बैंक लि०, मैनपुरी के परिवेक्षक श्री श्रीराम को दय वेतन का भुगतान

*२९—बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि०, मैनपुरी में कार्यरत हरिजन परिवेक्षक श्री श्रीराम विभिन्न स्थानों पर काम करने का वेतन भुगतान १९६१ से १८–१–१९७३ तक १३,७८३.१६ रु० होता है आज तक पी० सी० यू० द्वारा नहीं किया जा रहा है ? वह भुगतान क्यों नहीं किया गया? और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३०—श्री रघुबीर—

[१२वें मंगलवार के लिये स्थगित]

केन्द्रीय कारागार (आगरा) को तोड़ कर स्थानान्तरित करने की योजना

*३१—डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा) तथा श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा सेंट्रल जेल के भवन को तोड़कर तत्संबंधित भूमि को नगर महापालिका, आगरा को हस्तांतरित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये और यह आदेश कब तक पारित हो जाने की संभावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

केन्द्रीय कारागार, आगरा को तोड़कर वर्तमान स्थान से हटाने का तथा तत्संबंधित भूमि के निस्तारण के प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

बुलदशहर में खरीफ अभियान के लिये उर्वरक की व्यवस्था

*३२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) श्री वीरेंद्र स्वरूप, (जिला मैनपुरी), श्री धर्म सिंह तथा श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में खरीफ अभियान किस प्रकार स सफल होगा जबकि जिले के अधिगतर विकास खंडों में फास्फेटिक उर्वरकों तथा पोटास का अभार है और खरीफ को बुवाई लगभग तीन सप्ताह से हो रही है? यदि हां, तो सरकार जिल बुलन्दशहर में खरीफ अभियान को सफल बनाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बुलन्दशहर जनपद में खरीफ अभियान के लिये दिनांक ३१–७–७४ तक ८९८ टन फास्फेटिक तथा ७६५ टन पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध था जिसमें से कृषकों ने ६४८ टन फास्फेटिक तथा ४६६ टन पोटाशिक उर्वरक खरीदा। इस प्रकार २५० टन फास्फेटिक तथा २९९ टन पोटाशिक उर्वरक उक्त जनपद में फिर भी बिक्री के लिये उपलब्ध रहा।

खरीफ अभियान को सफल बनाने के लिये रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ कम्पोस्ट तथा हरी खाद को व्यापक क्षेत्र में तैयार करने और अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग में लाने के लिये कृषकों को समुचित प्रचार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। उक्त जनपद में ५५९४ टन नत्रजन उर्वरक का वितरण भी खरीफ अभियान को सफल बनाने के लिये किया गया है।

अध्यक्ष नगर क्षेत्र समिति बिलराम (एटा) के विरुद्ध गबन की कथित शिकायत

*३३—श्री धर्म सिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि नगर क्षेत्र बिलराम, जिला एटा के अध्यक्ष के विरुद्ध एस०डी०एम०, एटा ने २५ सितम्बर सन् १९७३ को गबन एवं गम्भीर आरोपों की रिपोर्ट जिला अधिकारी, एटा द्वारा शासन को भेजी है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और इस संबंध में शासन ने कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं। एस०डी०एम० एटा ने अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, बिलराम के विरुद्ध कोई रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है। दूसरे भागों का प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि विभाग में खाद एवं बीज की तकाबी पूर्ति व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें

*३४—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विकास की तकावी स्कीम के द्वारा सरकार ने कृषकों को खाद व बीज तकावी पर न देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इस स्कीम में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य स्थान पर खपाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि विभाग में कोई कृषि विकास तकावी स्कीम नहीं चल रही है। खाद एवं बीज की तकावी कृषि पूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित होती है। इस संगठन को समाप्त करने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अतः कर्मचारियों को अन्य स्थान पर खपाने के निर्णय का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग की तकावी योजना में तीन वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३५—श्री शिवपाल सिंह तथा श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग की तकावी स्कीम ३ वर्ष से निरन्तर सेवारत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि विभाग में कोई तकावी स्कीम नहीं है।

आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव बैंक के संचालक मण्डल के विरुद्ध कथित गबन की शिकायत

*३६—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव बैंक को लगभग दो वर्ष पहले प्रदेशीय सरकार ने गबन तथा अनेकानेक अनियमितताओं के कारण सुपरसीड किया था? यदि हां तो उक्त प्रकार की गड़बड़ियों को सरकार द्वारा ठीक करा दिया ?

हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आजमगढ़ जिला कोआपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के विरूद्ध न तो कोई गबन का आरोप ही लगा और न हो उसको सुपरसीड किया गया । हां दो वर्ष पूर्व अनियमितताओं के कारण उक्त बैंक के संचालक मण्डल को सहकारी समिति उप निबन्धक, गोरखपुर के आदेश दिनांक १६-३-७२ द्वारा निलम्बित किया गया था ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध दिनांक ४-४-७२ को स्थगन आदेश, प्राप्त होने के फलस्वरूप पुराना संचालक मंडल अभी भी कार्यरत है ।

अतः गड़बड़ियों को ठीक कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के निदेशक के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच

*३७—श्री राम नारायण पाठक, श्री राम औतार सिंह भदौरिया तथा श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के मौजूदा निदेशक डा० धर्मपाल सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शिकायतों तथा एक राजनैतिक पार्टी के साथ संबंध रखने एवं अपने पद का दुरुपयोग करके सहायता करने की कोई जांच हाल में की गई है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

*३८—श्री राम नरायण पाठक, श्री राम औतार सिंह भदौरिया तथा श्री श्याम मिश्रा—

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*३९—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नगरपालिका सम्भल (जिला मुरादाबाद) के वाइस प्रेसीडेंट के जाली इस्तीफे से सम्बन्धित मुकदमें

*४०—श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री सुल्तान सिंह यादव तथा श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड संभल, जिला मुरादाबाद ने वाइस प्रेसीडेंट का जाली और फरजी इस्तीफा तयार करके अनधिकृत मीटिंग में जो मई, सन् १९७३ में हुई थी, मंजूर करा लिया था ?

यदि हां, तो उन सदस्यों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी जिन्होंने ने इस मीटिंग में भाग लिया था?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

वाइस-प्रेसीडेंट का कथित इस्तीफा नगरपालिका सम्भल की मीटिंग दिनांक १२-६-७३ में स्वीकृत हुआ था लेकिन इस मीटिंग को कार्यवाही का कार्यान्वयन जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने अपने आदेश दिनांक १४-७-७३ से स्थगित कर रखा है । इसी बीच इसी इस्तीफे के संबंध में न्यायालय ज्युडिशल मैजिस्ट्रेट सम्भल मुरादाबाद, में एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा १२०-बी/४२०-४६८ का चल रहा है । उसमें निर्णय के बाद आगे कुछ कार्यवाही हो सकेगी ।

जिला पशुधन अधिकारी, इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४१---श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के पशुपालन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा जिला पशुधन अधिकारियों के खिलाफ मुख्य मंत्री एवं डायरेक्टर, पशुपालन विभाग को जो शिकायती-पत्र दिनांक ७ जून, १९७४ कत भेजे गये हैं उनमें डी० एल०ओ० के विरुद्ध गम्भीर आरोप है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उस संबंध क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां । कथित शिकायतों की जांच उप निदेशक पशुपालन, इलाहाबाद द्वारा करवायी गयी थी । जांच के फलस्वरूप यह पाया गया कि पशु चिकित्सक इंचार्ज कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, इटावा एक भैंस पाले हुये थे किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । जिला पशुधन अधिकारी इटावा को इस त्रुटि के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गई है तथा भैंस हटाये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

एक्स० डब्लू० डब्लू० को स्वास्थ्य निरीक्षिका (एच० वी०) के प्रशिक्षण में भेजा जाना

*४२---श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६९-७० में एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू० की पद की कुल कितनी ट्रेंड महिलाओं की लिस्ट बनाई गई थी और क्या यह लिस्ट जूनियरिटी सीनियरिटी के हिसाब से ही बनी थी ? और क्या स्वास्थ्य निरीक्षिका (एच० वी०) की ट्रेनिंग के लिये सूची बद्ध एफ०डब्ल्यू० डब्ल्यू० को जूनियरिटी सीनियरिटी के हिसाब से ही भेजा था ? परन्तु माह अप्रैल, १९७४ में जूनियर एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू० को ट्रेनिंग में भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय--

वर्ष १९६९-७० में ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई गयी थी। ज्येष्ठता के आधार पर ही एफ़० डब्लू० डब्लू० को स्वास्थ्य निरीक्षिका (एच० वी०) के प्रशिक्षण में भेजा जाता है । अप्रैल, १९७४ में एक जूनियर एफ० डब्लू० डब्लू० को स्वास्थ्य निरीक्षिका के प्रशिक्षण में भेजा गया है । ऐसा विशेष परिस्थितियों में किया गया है।

उत्तर प्रदेश पशु सेवक संघ की मांगें

*४३---श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पशु सेवक संघ के द्वारा माह जनवरी या फरवरी, १९७४ में कोई मांग-पत्र सरकार को दिया गया है ? यदि हां, तो वे मांगे क्या थीं और उनमें से कौन-कौन सी मांगें सरकार ने स्वीकार कर दी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां ।

संघ की मांगे एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२६० पर)

*४४--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

[१४ वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय महिला चिकित्सालय मुरादाबाद में डाक्टर का न होना

*४५--श्री ख्याली राम शास्त्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा, जिला मुरादाबाद के राजकीय महिला चिकित्सालय में २ वर्ष से कोई महिला डाक्टर नहीं है, यदि हां, तो क्यों ? तथा कब तक वहां पर महिला डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं । अमरोहा (मुरादाबाद) के राजकीय महिला चिकित्सालय में दो वर्षों में २३ जुलाई, १९७३ से १७ फरवरी, १९७४ तक की अवधि को छोड़ कर शेष अवधि में महिला डाक्टर कार्यरत थी । दिनांक २ जून, १९७४ से उक्त पद पुनः रिक्त हो गया जिस पर महिला डाक्टर की नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

कृषि विभाग में लेखाधिकारियों का स्थायीकरण

*४६--श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वेतनक्रम ८००-१,४५०, ६५०-१,३५०, ४५०-१,२०० तथा ४५०-९५० में लेखाधिकारियों के कितने-कितने पद हैं ? इन पदों में से कितने पद स्थायी एवं अस्थायी हैं ? स्थायी पदों पर कितने अधिकारी स्थाई कर दिये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:--

वेतन क्रम	पदों की संख्या		
	स्थाई	अस्थाई	योग
रु०			
८००-१,४५०	१	१	२
६५०-१,३५०	१	..	१
५५०-१,२००	४	७	११
४५०-९५०	७	..	७

तीन ।

*४७--श्री राम प्यारे तिवारी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

प्रदेश की दुग्ध फैक्टरियों एवं सहकारी दुग्ध शालाओं को उत्पादकों द्वारा सप्लाई का विनियमन गन्ने की भांति करने की मांग

*४८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित दुग्ध फैक्टरियां अथवा सहकारी दुग्ध शालाओं का उत्पादकों द्वारा सप्लाई का विनियमन गन्ने की भांति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विषय शासन के विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर निर्णय कब तक लिया जा सकेगा ।

आहार तहसील बबेरू (बांदा) के लिये प्रस्तावित पेयजल योजना

*४९—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७२–७३ में प्रस्तावित अहार तहसील बबेरू, जिला बांदा की पेय जल योजना कब से प्रारम्भ होने जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

आहार तहसील बबेरू जिला बांदा की पेयजल योजना ७४–७५ में प्रस्तावित है किन्तु योजना की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कर्मचारी द्वारा पर्चे छपाने के सम्बन्ध में जाली आदेश बनाना

*५०—श्री यमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि चिकित्सालयों के १० नये पैसे के पर्चे को छपाने के सम्बन्ध में शासन का एक जाली आदेश १९६८–६९, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सांठ-गांठ से बनाया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार था और दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इस प्रकार के जाली आदेश बनाने से शासन को कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्रश्नगत जाली आदेश बनाने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने जिस एक कर्मचारी श्री धर्मपाल को दोषी समझा उसे निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। बाद में इस मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा भी की गयी जिसमें कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। अब उन सब के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं। आर्थिक हानि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्ड से अर्जित धनराशि का बकाया होना

*५१—श्री यमुना प्रसाद बोस—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्राइवेट वार्ड में कराई गई चिकित्सा से सम्बन्धित धनराशि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कर्म-

चारियों पर पिछले काफी वर्षों से बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो कितनी और कर्मचारियों के नाम क्या है तथा बकाया धनराशि न वसूली के कारण क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५२--श्री जमुना प्रसाद बोस--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

*५३--श्री मधुकर दिघे तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नगरमहापालिका लखनऊ में केन्द्रित सेवा के कर्मचारियों का कार्यकाल

*५४--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महापालिका में कितने केन्द्रित (सेन्ट्रलाइज) सेवा वाले कर्मचारी चार वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर सेवारत है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस समय नगर महापालिका लखनऊ में केन्द्रीयित सेवा के ५३ कर्मचारी ४ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है । इन्हें स्थानान्तरण करने का प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में सघन दुग्ध योजना चलाने हेतु समिति का गठन

*५५--श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के ग्यारह डिवीजनों में दुग्ध विकास बोर्ड की जो स्थापना प्रस्तावित है उसकी क्या रूप-रेखा होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस सम्बन्ध में निर्णय यह है कि प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के अन्दर एक जिला छांटा जाए जिसमें साधन दुग्ध योजना चलाई जाये और वहां एक निगम दुग्ध विस्तार के लिये स्थापित किया जाए ।

उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया है जो विचार करके यह तै करेगी कि वांछित कार्यक्रम की रुपरेखा क्या हो और वह किस प्रकार चलाया जाये ।

ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के विज्ञान प्रवक्ता की सेवा की समाप्ति

*५६--श्री वीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश (प्रशासनिक ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत) ने वहां के विज्ञान प्रवक्ता के पद तथा प्रवक्ता की सेवायें बिना कानपुर विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त किये समाप्त कर दी है और विश्वविद्यालय तथा सरकार के बार-बार आदेश देने पर भी उनको कार्य पर वापस नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां ।

कानपुर विश्वविद्यालय ने श्री सुशील कुमार मिश्र को सेवा में पुनः वापस लिये जाने का आदेश संस्था को दिया था, किन्तु अभी तक उन्हें सेवा में वापस नहीं लिया गया है। शासन ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है क्योंकि उक्त कालेज एक गैर सरकारी संस्था है और इसके प्रशासकीय मामलों में शासन सीधे हस्तक्षेप करने के लिये सक्षम नहीं है ।

जिला देवरिया के छितौनी स्थित राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर का न होना

*५७---श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी जैसे तराई के बाढ़ ग्रस्त पीड़ित तथा अनेक प्राण घातक एवं संक्रामक रोगों से पीड़ित क्षेत्र का राजकीय चिकित्सालय में अधिक समय से डाक्टर तथा लेडी डाक्टर विहीन है ? यदि हां, तो वहां तत्काल वर्तमान वर्षा हेतु के संभावित बाढ़ से फैलने वाले नाना प्रकार के संभावित प्राण घातक एवं संक्रामक रोगों को फैलने के पूर्व ही एक डाक्टर और एक महिला डाक्टर की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज मंगल पांडेय---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला मिर्जापुर को गोपालपुर सहकारी कृषि समिति लि० की जांच

*५८---श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) तथा श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर अन्तर्गत गोपालपुर सहकारी कृषि समिति लि० कोउत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, १९६५ की धारा ६५ के अन्तर्गत जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब और कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विभिन्न सहकारी एवं अर्ध सरकारी सस्थाओं द्वारा आवंटित उर्वरक

*५९---श्री गिरजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह मई सन् १९७३ तथा माह मई १९७४ में विभिन्न सहकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा, रसायनिक खाद की कितनी बिक्री हुई है ? यदि बिक्री में विशेष अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

विभिन्न सहकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा माह मई, १९७३ में ८८०३ मै० टन, नत्रजनिक, १४७९ मै० टन फास्फेटिक तथा ४२६ मै० टन पोटैशिक उर्वरक बांटे गये जब कि मई, १९७४ में उक्त संस्थाओं द्वारा ४,२९२ मै० टन नत्रजनिक, ६२७ मै० टन फास्फेटिक एवं ४८३ मै० टन पोटैशिक उर्वरकों का वितरण किया गया ।

मई, १९७३ और मई, १९७४ में बिक्री किये गये उर्वरकों की मात्रा में अन्तर होने के निम्नांकित कारण हैं:—

(१) खरीफ १९७३ की तुलना में खरीफ १९७४ में भारत सरकार द्वारा कम उर्वरकों का आटवंन,

(२) गेहूं क्रय योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १९ मई, १९७४ से नत्रजनिक उर्वरक के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाया जाना तथा

(३) उर्वरकों की कमी देखते हुये नियंत्रित रूप से इनका वितरण किया जाना ।

नगर महापालिका आगरा द्वारा इन्डो स्वीडन कम्पनी को कथित भूमि का दिया जाना

*६०—श्री गुलाब सेहरा तथा डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर महापालिका के नवलगंज खत्ता की लगभग २६ बीघा जमीन (लगभग ८० हजार गज) आगरा के इन्डो स्वीडन कं० को लम्बी अवधि के पट्टे पर केवल ७४ हजार रुपये की प्रीमियम पर दे दी गई है जबकि नगर पालिका की अन्य भूमिखंड ७० और ८० रु० प्रति गज के हिसाब से अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरित की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार था और क्या यह सही है कि इन्ड-स्वीडन कं० बिरला उद्योग के अधिकारी श्री हांडा द्वारा संचालित है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

नगर महापालिका आगरा ने इन्डो स्वीडन कंपनी को कोई भूमि नहीं दी ।

जिला कृषि अधिकारी उन्नाव की अदालत द्वारा जमानत

*६१—श्री मधुकर दिघे श्री जंग बहादुर वर्मा, श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री नन्दराम—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय को इस बात की जानकारी है कि उन्नाव जनपद के जिला कृषि अधिकारी ने धारा ४०९, १०२ व १०९ के अभियोग में अदालत से दिनांक ८ जून, १९७४ को अपनी जमानत कराई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या अभियोग थे और शासन ने उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मैनपुरी के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*६२—श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, मैनपुरी के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमिताओं के सम्बन्ध में वर्ष १९७४ में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

दिनांक ९-७-१९७४ को मैनपुरी जिला सहकारी बैंक लि० का संचालक मण्डल उप-निबन्धक आगरा द्वारा निलम्बित कर दिया गया था, किन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने पर संचालक मण्डल अभी कार्यरत है ।

पंचायती राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु श्री चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में कथित समिति का गठन

*६३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायगे कि विगत वर्षों श्री चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता मे पंचायत राज की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिये सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट कब शासन को प्राप्त हुई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने के लिये कोई समिति गठित नहीं की गई ।

बी० डी० सी० डिबाई (बुलन्दशहर) द्वारा बी० डी० ओ० के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव

*६४—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में किन-किन बी० डी० सी० ने बी० डी० ओ० के खिलाफ अप्रैल, १९७४ में निन्दा का प्रस्ताव पारित किया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बी० डी० सी० डिबाई ने बी० डी० ओ० डिवाई के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया । निन्दा प्रस्ताव के अन्त में प्रमुख ने नोट अंकित किया है कि प्रस्ताव अवैधानिक है अतः इस पर कोई कार्यवाही न की जाय । प्रस्ताव की वैधता के सम्बन्ध में व उसमें दिये गये आरोपों के सम्बध में जांच के आदेश भेजे जा रहे हैं ।

नगरपालिका, बुलन्दशहर द्वारा मकानों को गिराने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*६५—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिका, बुलन्दशहर में मई व जून १९७४ में ऐसे अनेकों मकानों को भी गिरा दिया गया जिनके नक्शों को प्रेस्क्राइब्ज एथारिटी ने पास कर रखा था ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से किस-किस के मकान किराये गये ? क्या उसके विरुद्ध जून, १९७४ में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बरेली दुग्ध उत्पादक संघ की रोकड़ बही में चिक द्वारा निकाली गयी धनराशि का लेखा न होना

६६—श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

द्वितीय सत्र १९७४ के ५वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप निबन्धक (डिप्टी रजिस्ट्रार) बरेली ने सम्बन्धित विषय पर कोई जांच की और उच्चाधिकारियों को इस बात की रिपोर्ट की कि ७,५०० रु० चेकों द्वारा निकाला गया और उसका इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया और यह भी

शिकायत की है कि दो रोकड़ बही रखी गयी है, क्या यह भी सत्य है कि बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाभ हानि का चिट्ठा (बैलन्स शीट), १९६८-६९ की नहीं बना सकी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

संबंधित विषय पर उप निबन्धक (डिप्टी रजिस्ट्रार) बरेली ने उच्चाधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें ७,००० रु० चेकों द्वारा निकाल कर उनका इन्द्राज रोकड़ बही में न किये जाने एवं दो करोड़ बही के रखने का उल्लेख है ।

स्थिति यह है कि बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने वर्ष १९६८-६९ की बैलेन्स शीट तैयार कर ली है ।

*६७---श्री चन्द्र शेखर सिंह---

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के कृषकों को खरीफ की फसल हेतु उर्वरक की व्यवस्था

*६८---श्री झाम लाल अहिरवार---

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री बताने कृपा करेंगे कि जो छोटे काश्तकार गेहूं नहीं बोते है उनको मक्का, ज्वार, बाजरा, धान की खेती हेतु खाद्य की आवश्यकता हेतु सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो वह स्कीम क्या है और वह कब से चालू हो जायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां, खरीफ की सभी फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, धान की खेती के लिये प्रदेश के सभी कृषकों के लिये उर्वरक पूर्ति की व्यवस्था है। इसके लिये कोई स्कीम अलग से नहीं चालू की गयी है ।

*६९---कुंवर श्रीपाल सिंह---

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

थाना कांठ (शाहजहांपुर) के अन्तर्गत अफीम का व्यापार

*७०---श्री गिरजा किशोर मिश्र---

क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि शाहजहांपुर में अपराधियों का एक रैकट है जो अफीम का व्यापार करता है? यदि हां, तो क्या उससे कोई राजनैतिक नेता सम्बन्धित है ? और इस सम्बन्ध में क्या सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि थाना कांठ, शाहजहांपुर के निकटवर्ती गांवों में ऐसे अवांछित तत्व रहते हैं जिनका सम्पर्क ऐसे बाहरी तत्वों से है जो अफीम का व्यापार करते हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां ।

यह जांच का विषय है ।

जी हां ।

*७१---कुंवर श्रीपाल सिंह---

[८वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७२—श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री भगौती प्रसाद शुक्ल तथा श्री धर्म चन्द्र—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*७३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[९वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ४१ पर स्थानान्तरित]

मोतीपुर चिकित्सालय बहराइच के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा

*७४—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, बहराइच के अन्तर्गत मोतीपुर चिकित्सालय के स्वास्थ्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों तथा धारा १६१ आई०पी०सी० लागू होने के बाद भी अपने पद पर रहने दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मोतीपुर थाने में दिनांक १-९-७३ को एक व्यक्ति ने जिला परिषद् के मोतीपुर चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एक लिखित सूचना अंकित कराई थी जिसके आधार पर द्वारा १६१ भारतीय दंड विधान संहिता ५(अ) प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया इसमें पुलिस द्वारा विवेचना जारी है।

चूंकि चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अभी तक न्यायालय में कोई चार्जशीट प्रस्तुत नही की गई है अतएव उन्हें अपने पद पर न रहने देने अथवा निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद, फर्रुखाबाद में कथित नकली दवाइग्रों ग्रौर टिंचर, जिंजर की बिक्री

*७५—श्री अनवार जमील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, फर्रुखाबाद में बाजार में खुले आम टिंचर, जिंजर तथा नकली दवाइयां मिल रही है और इस ओर कई बार सम्बन्धित अधिकारियों के पास बिगत माहों में सूचना दी गयी परन्तु अभी तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जनपद, फर्रूखाबाद के बाजार में नकली दवाइयों तथा टिंचर, जिंजर की, नशे के लिये खुले आम बिक्री से सम्बन्धित कोई शिकायत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को बिगत माहों में प्राप्त नहीं हुई है। दूकानों के निरीक्षण के दौरान भी स्थानीय अधिकारियों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं पायी।

कृषि उत्पादन ग्रायुक्त कार्यालय में हरिजन लिपिकों का कोटा

*७६—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या यह सही है कि कार्यालय आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास, लखनऊ में लिपिक वर्ग की हरिजनों का निर्धारित कोटा पूरा नहीं है और जो हरिजन लिपिक हैं उनको सेवाओं में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और इसके लिये कौन दोषी है और उसके सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में लिपिक वर्ग में हरिजनों का निर्धारित कोटा पूरा नहीं है, किन्तु किसी भी हरिजन लिपिक को सेवाओं में अवरोध नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। अतः किसी के गोधी होने का प्रश्न ही नहीं उठता, निर्धारित कोटा पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

जिला मेरठ में लाइसेन्स प्राप्त दवा बनाने की कम्पनियां

१—रेवती शरण मौर्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत कुल कितनी व कौन-कौन सी लाइसेंस प्राप्त कम्पनियां किस-किस स्थान पर अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवा बनाने की हैं ? और इन्हें कब-कब लाइसेंस दिये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ १२६१–१२६५ पर)

विकास क्षेत्र हस्तिनापुर व मवाना (मेरठ) में राजकीय औषधालयों के भवन

२—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायगे कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर व मवाना विकास क्षेत्रों में सभी राजकीय औषधालयों के लिये भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार भवन निर्माण हेतु उचित कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जिला मेरठ के हस्तिनापुर तथा मवाना विकास क्षेत्रों मे ३ राजकीय एलोपैथिक तथा २ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत है। इनमें से २ राजकीय एलोपैथिक अस्पताल सरकारी भवनों में तथा १ जिला परिषद् के भवन में कार्यरत है। दो राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में से १ किराये के भवन में तथा दूसरा निःशुल्क भवन में कार्यरत है।

धनाभाव के कारण नये अस्पताल भवनों के निर्माण की योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

३—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय, स्वीपर तथा अतिरिक्त मेडिकल आफिसर के लिये निवास की व्यवस्था नही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके निवास के लिए मकान बनाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय, स्वीपर तथा अतिरिक्त मेडिकल आफिसर के लिये निवास की व्यवस्था है। अतः इनके लिये मकान बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

निजामाबाद-खादा सड़क (आजमगढ़) का निर्माण-कार्य

४—श्री सबेदार प्रसाद तथा श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद से खादा तक की सड़क पर कंकड़ डालने का ठेका गत वर्ष दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये का तथा कंकड़ कुटाई का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । इस सड़क के ४-८ कि०मी० पर कंकड़ डालने का कार्य गत वर्ष लिया गया था । इसका अनुमानित व्यय रु० ३९,६०० है ।

कंकड़ कुटाई का कार्य अक्तूबर, १९७४ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

५—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[१७वें बुधवार में प्रश्न संख्या ५ पर स्थानान्तरित]

जिला गोंडा के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (सहकारिता) द्वारा दर्ज कराये गये गबन के मामले

६—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया जानकारी देंगे कि गोंडा जिले के विभिन्न विकास खंडों में हुये १८ गबन के मामलों की रिपोर्ट जिले के सहायक निबन्धक (सहकारिता) द्वारा विभिन्न थानों में १९७३-७४ में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इन मामलों में कुल मिलाकर कितना रुपया गबन किया गया और गबन करने वाले सुपरवाइजरों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । गबन की कुल राशि रु० ६९,४४५.१६ पैसे थी । गबन से सम्बन्धित मामलों की विवेचना सहकारिता विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । ४ पर्यवेक्षक निलम्बित किये गये हैं । अन्य ४ पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुसंधान शाखा के अतिरिक्त सम्बन्धित सहकारी बैंक द्वारा भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

७—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

[१७ वें बुधवार में प्रश्न संख्या ६ पर स्थानान्तरित]

विधायक निवास लखनऊ में स्थित आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक डिस्पेंसरी हेतु स्वीकृत धनराशि

८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि० विधायक निवास में जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी विधायकों के लिये है उसमें औषधि के लिये वार्षिक धनराशि खर्च करने का कितना प्राविधान है तथा उसी ब्लाक में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के लिये कितनी धनराशि का वार्षिक प्राविधान है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

विधायक निवास लखनऊ में स्थित आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों का वार्षिक कोटा क्रमशः २५०० रुपये का तथा ३०,००० रुपये है ।

जिला बहराइच के नानपारा स्थित जिला परिषदीय अस्पताल में दवाओं और स्टाफ की व्यवस्था

९--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानपारा जिला बहराइच स्थित जिला परिषद् के अस्पताल में दवाओं तथा स्टाफ की कमी आदि की अव्यवस्था के कारण जनता की पूरी सेवा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या इस अस्पताल को सरकार अपने अधिकार में लेकर सुचारु रूप से व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जिला परिषद् अस्पताल नानपारा जिला बहराईच जिसमें दवाओं व स्टाफ की कमी नहीं है जनता की पूरी सेवा कर रहा है। अतः शासन द्वारा अस्पताल को अपने हाथ में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

१०--श्री मोहन लाल कपूर--

[पुनरावृत्ति, निरस्त]

आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ व ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में पूर्व स्नातक छात्रों की संख्या तथा उन संस्थाओं पर व्यय

११--श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ वपंचर्षीय १९६९-७० एवं १९७३-७४ योजना के दौरान स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ एवं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार प्रति वर्ष (दोनों संस्थाओं में अलग-अलग) कितने पूर्व स्नातक छात्र थे और दोनों संस्थाओं पर, अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष १९६९-७०से १९७३-७४ तक) में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ तथा ऋषिकुल आयुवदिक कालेज, हरिद्वार में प्रतिवर्ष पूर्व स्नातक छात्रों की संख्या तथा उक्त संस्थाओं पर इस अवधि में हुये व्यय का वर्षवार अलग-अलग विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२६६ पर)

बहराइच जिले के जरवल रोड स्थित राजकीय अस्पताल में शैय्या बढ़ाने की मांग

१२--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जरवल रोड, जिला बहराइच स्थित राजकीय अस्पताल में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में सरकार कुछ शैय्यायें तथा कमरे बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने कमरे तथा शैय्यायें बढ़ा दी जायेंगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१३—श्री सत्य प्रकाश—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

१४—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

[१२ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

ब्लाक कटरा जिला शाहजहांपुर के भवन का निर्माण

१५—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कटरा की बिल्डिंग बनवाने की कोई योजना से सरकार स्वीकृत ह तथा यह ब्लाक बिल्डिंग कहां बनवाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ब्लाक भवन का निर्माण ग्राम खुदागंज में कराये जाने हेतु क्षेत्र समिति कटरा का प्रस्ताव हुआ है। चुनाव समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त मण्डलीय आयुक्त से स्वीकृति प्रदान की जानी है। यह कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर तथा भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जावेगा।

कानपुर थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० द्वारा विकास खण्डों को आवंटित कपड़े का वितरण

१६—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७३-७४ में कानपुर में स्थित सुपर मार्केट ने जनपद के किन-किन ब्लाकों को कितनी-कितनी मात्रा में कपड़े का वितरण किया और विकास खंड ककवन को उक्त मार्केट से कब से कपड़ा नहीं भेजा रहा है और क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष १९७३-७४ में कानपुर थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० (सुपर मार्केट) ने कानपुर जनपद के सभी विकास खण्डों को नियंत्रित कपड़े का वितरण किया जिसका विवरण संलग्न है। विकास खंड ककवन को हाल ही में ३०-७-७४ को भी कपड़ा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १२६७ पर)

कानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीतर गांव के कर्मचारियों का वेतन

१७—कुंवर विशनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र भीतर के गांव के सम्बन्धित कर्मचारियों को अप्रैल, १९७४ का वेतन दिया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर जिले में हरिजनों के लिये निर्मित कूप

१८--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४ में जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में कहां-कहां हरिजनों को पानी हेतु कूप निर्माण कराये गये ? उनमें कितना-कितना रुपया व्यय हुआ और कौन-कौन से कुयें बन गये और कौन-कौन अधूरे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

वर्ष १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में क्रमशः १५९ तथा ९४ कुयें निर्माण कराये गये जिनमें से एक अधूरा है। विस्तृत सूचियां संलग्न† हैं।

अलीगढ़ नगरपालिका पर सरकारी नियंत्रण एवं उसका चुनाव

१९--श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ नगरपालिका को अभी तक सरकारी नियन्त्रण में रखने का क्या कारण है ? तथा वहां चुनाव कब कराया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अलीगढ़ में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति के कारण मई १९७१ में प्रदेश की नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचन के साथ चुनाव कराने के लिये वातावरण ठीक न होने से वहां चुनाव स्थगित कर दिये गये थे। तत्पश्चात् १९७१ की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर नया कक्ष परिसीमन आवश्यक हो गया जो अब पूर्ण हो गया है। इन्हीं कारणों से नगरपालिका, अलीगढ़ में निर्वाचन न हो सका और पालिका अतिक्रमित रखी गयी।

नगरपालिका अलीगढ़ में भी राज्य की अन्य नगरपालिकाओं के साथ निर्वाचन कराने का मामला शासन के विचाराधीन है।

करछना तहसील इलाहाबाद के लिये पेय जल हेतु कुएं बनाने की मांग

२०--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के अन्तर्गत कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पेय जल के लिये कुयें नहीं हैं तथा ऐसे गांवों में कुओं को बनवाने के लिये तथा पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के ८ गांवों में पेय जल के लिये कुऐं नहीं है जिसके लिये धन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण रोजगार त्वरित योजनान्तर्गत इटावा जिले में कतिपय सड़कों का निर्माण

२१--श्री भारत सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि त्वारित योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य हुआ और भविष्य में इन सड़कों का रख रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग कब से लेने जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में मुरादनगर-अयाना रूरूगंज-कुदरकोट, इकदिल फीडर, महेवा-अछल्दा तथा करी-छिमारा नामक पांच सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है।

प्रश्नगत सड़कों का निर्माण जिला परिषद् द्वारा किया गया है और इनके रख-रखाव का दायित्व जिला परिषद का ही है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ इस माननीय सदन को यह सूचना देने का काम करना पड़ रहा है कि हमारे इस माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुरन तेज बहादुर सिंह, जो गोंडा निवासी थे, उनका हाल में निधन हो गया। माननीय रघुरन तेज बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे और उस संबंध में उन्होंने अपनी ताल्लुकेदारी और बड़प्पन का जीवन छोड़ कर देश को नया जीवन देने में योगदान दिया था।

श्री सिंह पिछले ३ वर्ष से पक्षाघात के कारण पीड़ित थे और अस्पताल में हाल ही में उनका देहावसान हो गया। मैं अपनी ओर से और अपने इस माननीय सदन के सभी सदस्यों की ओर से उनकी मृत्यु पर हार्दिक क्षोभ प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन की समवेदना उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी चरणसिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, श्री रघुरन तेज बहादुर के निधन पर जो कुछ माननीय बहुगुणा जी ने कहा है मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। वह सन् ५७ से ६२ तक हमारी इस विधान सभा के सदस्य रहे और काफी दिलचस्पी इसके मामलों में लेते थे। मैं यह चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनके परिवार को समवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो श्री रघुरन तेज बहादुर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे और मेरे दल की समवेदना उनके संमस्त परिवार तक आप पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

माननीय नेता सदन ने जो विचार स्वर्गीय रघुरन तेज बहादुर के संबंध में व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को जोड़ता हूं और आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल की ओर से समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, श्री सिंह के अन्तकाल पर हम सबको अफसोस है। जो विचार व्यक्त किये गये हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुमवीक्षण नहीं किया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मुख्य मंत्री नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं श्री सिंह की मृत्यु पर मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार माननीय श्री रघुरन तेज बहादुर सिंह के संबंध में व्यक्त किये है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । उनका संबंध गोंडा के एक ऊंचे घराने से था और यह एक बड़ी चीज थी सन् २० के एतबार से कि एक ताल्लुकेदार स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले । इस सम्मानित सदन के भी वह सदस्य रहे । मैं अपनी, नेता विरोधी दल, नेता सदन और सभी नेताओं की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । हम दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए ।)

भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्य वर, मैं आपकी आज्ञा से भारत परिसीमन आयोग अधिसूचना दिनांक २० मई, १९७४ द्वारा प्रख्यापित आदेश संख्या का० आ० ३२३ (अ) को, परिसीमन अधिनियम, १९७२ की धारा १० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (तृतीय संशोधन) नियमावली १९७३†

वन मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या १०४७/१४-२ ३१—७३, दिनांक २८ मार्च, १९७३ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (तृतीय संशोधन) नियमावली १९७३ जो दिनांक २३ अप्रैल, १९७३ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, को उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९७२ की धारा १८ की उप धारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर पुनः रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ जो विधान सभा के दिनांक १७ जुलाई, १९७४ के उपवेशन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गई ।

पारित किया गया था श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ९ अगस्त, १९७४ को वापस प्राप्त हो गया है।

विधान सभा सदस्य, श्री सुखराज सिंह तथा श्री बाबू लाल वर्मा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपको यह सूचित करना है कि जिलाधीश बहराइच ने १२ अगस्त, १९७४ को वायरलेस द्वारा निम्न सूचना भेजी है—

सर्वश्री सुखराज सिंह, सदस्य, विधान सभा (भारतीय जनसंघ) तथा बाबू लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा (भारतीय जनसंघ), जिला बहराइच को ११/१२ अगस्त, १९७४ को रात्रि में लगभग १२ बजे धारा १५३ ए/ ५०५/४४७/१८८ भारतीय दंड संहिता, ७/ क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, ४३ डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला जेल बहराइच भेजा गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस संबन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसी सूचना मुझे मिली है उसके, अनुसार यदि कोई माननीय सदस्य मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करने जाय और उसे डी० आई० आर० में या इन धाराओं में गिरफ्तार किया जाय तो यह चीज न आपको ही पसन्द होगी और न मुख्य मंत्री जी को ही पसन्द होगी। बिरोध पक्ष के लिये ही यदि डी आई० आर० लागू किया जाय तो यह एक अशोभनीय घटना है ।

श्री फजलुर्रहमान अनसारी (जिला बहराइच)—

वहां पर कोई मंदिर नहीं है । यह बिल्कुल झूठ है ।

श्री केदार नाथ अग्रवाल (जिला बहराइच)—

मान्यवर, यह मेरे जिले का सवाल है । मैं आपको एक मिनट में समझा दूंगा । जो कुछ माननीय नेता जनसंघ ने कहा है वह बिल्कुल असत्य है और सत्य से परे है । वहां पर कोई मंदिर नहीं है । सिर्फ एक मस्जिद है । वहां पर डी० एम० बंगले के किनारे कुछ कब्र बनीं हुयीं हैं और वह २०/२५ साल से बनीं हुई हैं । वहां पर जनसंघ के भाइयों ने कुछ पत्थर रखकर पूजा करनीं चाहीं .....(व्यवधान) जिला अधिकारी ने उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । १२ साल से यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिला अधिकारी की सूचना तो आपको मिली होगी ।

इसकी बात छोड़िये । माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर अपने बिचार प्रकट कर प्रकाश डाल दें । मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं हैं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, मैं भी बहराइच का रहने वाला हूं, जो माननीय सदस्य ने बात कहीं मैं उसको जानता हूं, समझता हूं, आपने उसको देखा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल झूठ कहीं है। वहां पर कई वर्षों से एक शिव मंदिर है और हमेशा वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर तथा अन्य हिन्दू त्योहारों के अवसरों पर पूजा पाठ का कार्यक्रम होता रहता है । जो यहां पर

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

ऐसी गलत बात कह रहे हैं। वे केवल कुछ अल्पसंख्यकों के वोटों से प्रभावित होकर ऐसी गलत बात कह रहे हैं। उस दिन भी वहां पर पूजा-पाठ का कार्यक्रम हो रहा था और उसमें श्री बाबू लाल वर्मा और सुखदराज सिंह शिव मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे कि उसी समय अकारण उन लोगों को जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार कर लिया। अभी इस पर मुख्य मंत्री जी अपनी बात कहेंगे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि श्री बाबू लाल वर्मा उस क्षेत्र में जन हित के काफी अच्छे कार्य कर रहे थे, जिनसे उनका प्रभाव क्षेत्र की जनता पर बहुत बढ़ रहा था और सरकार उससे चिंतित थी। इसलिये शासन की तरफ से निर्देश था कि उनको किसी प्रकार गिरफ्तार करने का और उनके खिलाफ दरख्वास्त दिलाई गई। इसी भावना से उनको गिरफ्तार किया गया है....

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ अग्रवाल—

यह वहां पर साम्प्रदायिक दंगा-फसाद कराने के कारण ही यह कह रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं है। आप उसकी इक्वायरी करा सकते हैं, जूडिशियल इंक्वायरी करा सकते हैं, सी० आई० डी० की इन्क्यारी करा सकते हैं, जो जी चाहे करा सकते हैं। वास्तविकता को झुठलाने के लिये जो कुछ सदस्य ने कहा है, वह सरासर झूठ कहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय विशेषाधिकार अवहेलना में भी आया है? अब इस पर इस तरह बहस होगी तो कैसे चलेगा?

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)—

माधव बाबू जन्माष्टमी के दिन शिव-मंदिर मे पूजा करा रहे हैं, तो जरूर कुछ माजरा होगा।

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मंदिर कोई हो, हर मंदिर पवित्र है और पूजा-पाठ तथा श्रद्धा का पात्र है।

श्री फजलुर्रहमान अंसारी—

वहां पर केवल एक मस्जिद है, जो सैकड़ों साल से बनी हुई है। वहां पर उस मस्जिद का गुंबद टूट कर गिर चुका है। वहां पर कभी कोई मंदिर नहीं रहा और न वहां पर कोई मंदिर है, न वहां कोई पूजा होती है, महज दंगा-फसाद कराने के लिये यह किया गया है। इसके पहले कभी भी वहां पर कोई पूजा नहीं हुई है। मेरी सूचना को सही मान कर आप इंक्वायरी करा लीजिये। वहां पर न कोई मंदिर रहा है और न है, न कोई पूजा हुई है.....व्यवधान

जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में माननीय कमला प्रसाद वर्मा, सदस्य विधान सभा ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। उनका कहना है कि विधान सभा सदस्य श्री बाबू

वर्मा तथा श्री सुखदराज सिंह को जिला अधिकारी तथा एस० पी०बहराइच ने अकारण जेल में बन्द करके विशेषाधिकार की अवहेलना की है । दोनों विधायको को ११ अगस्त, १९७४ की रात्रि में १२ बजे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया जिसके कारण वह आज आदरणीय सदन में नहीं पहुंच पाये हैं ।

विधान सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में ही प्राप्त है । फौजदारी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त दोनों सदस्यों को जैसा कि अभी मैंने सूचित किया है भारतीय दंड संहिता की धारा १५३(ए)/५०५/४४७/१८८, क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा ७ तथा डी० आई० आर० की धारा ४३ के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया है । ऐसी स्थिति में इस विषय में किसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीप फ्लैशलाइट इंड्स्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद के पक्ष में पट्टे दिये जाने से सम्बन्धित श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा है श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने दिनांक ७ अगस्त, १९७४ को नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार भंग तथा अवमान के प्रश्न की सूचना दी है । उनका कहना है कि विधान सभा के वर्तमान सत्र के २०-६-७४ के उपवेशन में तारांकित प्रश्न १८ के उत्तर में इलाहाबाद के मेयोहाल के सम्बन्ध में सरकार ने यह जानकारी दी थी कि जीप फ्लैश लाइट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद क पक्ष में जो पट्टे दिये गये थे वे गैर कानूनी थे तथा पट्टे देने वाले आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और माननीय मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया कि पट्टे के निरस्तीकरण के लिये कानूनी सलाह आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

श्री मालवीय ने अपनी सूचना के साथ दैनिक समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत" में दिनांक ६-८-७४ को छपी फ्लैश लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा 'मेयोहाल के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक तथ्य" शीर्षक से प्रसारित किये गये एक विज्ञापन को संलग्न करते हुए, उसके अन्त में कहे गये इन शब्दों को कि "हमें आश्चर्य है कि इसमें किसकी हानि है और क्या?" आपत्ति-जनक बताया है और यह कहा है कि इसमें माननीय सदन का अवमान और विशेषाधिकार भंग होता है ।

सूचना के साथ संलग्न "स्वतंत्र भारत" की कटिंग में विधान सभा की कार्यवाही या सदन के किसी सदस्य का कोई उल्लेख नहीं है और न उनके सम्बन्ध में कोई आक्षेप ही किया गया है । विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकता है जब किसी प्रकाशन द्वारा सदन की कार्यवाही पर या सदन के किसी सदस्य पर कोई आक्षेप किया गया हो । ऐसी स्थिति में मैं सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह तो विज्ञापन है ।

श्री अध्यक्ष—

यह विज्ञापन कोई भी दे सकता है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस विज्ञापन में अपरोक्ष रूप से जितने भी तथ्य दिये गये हैं उसमें सब चर्चा जो विधान सभा की कार्यवाही हुई है उसके सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं सोचें कि यह कैसे बनता है।

श्री हाकिम राय, थानाध्यक्ष, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध श्री मनींराम द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

तीसरा है माननीय सदस्य श्री मनीराम, जिला मुरादाबाद ने दिनांक ८ जुलाई, १९७४ को यह शिकायत की कि दिनांक ३० जून, १९७४ की शाम को लगभग ५.३० बजे ग्राम चुचेला कलां में श्री हाकिम राय, थानाध्यक्ष, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद ने उन्हें क्षेत्राधिकारी, श्री प्रताप सिंह एवं अन्य ग्रामीणों के सामने गालियां दीं और गोली मारने की धमकी दी और यह कहा कि "तेरे जैसे चमट्टे ३६० एम० एल० ए० देखे हैं।.....तेरे गोली लगवा कर ही छोड़ूंगा।"

माननीय सदस्य का कहना है कि श्री हाकिम राय, थानाध्यक्ष बहजोई, जिला मुरादाबाद ने विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन का अवमान किया है, अतः उपर्युक्त थाना ध्यक्ष के विरुद्ध इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाय।

इस सम्बन्ध में मैंने २३ जुलाई, १९७४ को सदन में इस सूचना को देते हुए यह कहा था कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उसके प्राप्त होने के बाद इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दूंगा। यह मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था और उसका स्पष्टीकरण आया है। यह अच्छा नहीं होगा कि मैं उसको पढ़ूं। उनका जो पत्र है उसमें जो तथ्य दिये हैं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय खंडन मंडन है तो यह बहुत अच्छा नहीं है कि मैं उसको पढ़ूं। लेकिन आखिर में उसने कहा है कि "यह मेरा आशय कदापि नहीं था कि मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं अथवा सदन के सम्मान को घटाने की कोई बात कहूं। यदि मेरी किसी बात का आशय माननीय सदस्य ने इस प्रकार लिया है तो उसके लिये क्षमा याचना करता हूं।" मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है और किसी अग्रेतर कार्यवाही के लिये अब मैं इसे उपयुक्त नहीं समझता।

कतिपय समितियों तथा निकायों के परिवर्तित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब विभिद्ध दलों के नेताओं के सुझाव के अनुसार, मैं निम्नलिखित समितियों एवं निकायों:--

१—लोक लेखा समिति,

२—प्राक्कलन समिति,

३—सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति,

४—२७ स्थायी समितियां,

५—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड,

६—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

७—उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद्,

८—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड,

९—उत्तर प्रदेश अपराध निरोध समिति की केन्द्रीय कमेटी, तथा

१०—महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम पुनः निर्धारित करता हूं :—

१—नाम निर्देशन—पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय ।	शनिवार, १७ अगस्त, १९७४ के अपरान्ह ५.०० बजे तक ।
२—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ।	रविवार, १८ अगस्त, १९७४ के अपरान्ह ४.०० बजे तक । (सचिव विधान सभा के कमरे में) ।

यद्यपि यह रविवार होगा लेकिन सूक्ष्म परीक्षा हो जावेगी ।

३—नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ।	सोमवार, १९ अगस्त, १९७४ के अपरान्ह ४ बजे तक ।

मतदान यदि आवश्यक हुआ तो स्थायी समितियों को छोड़कर उक्त सभी समितियों के लिये मतदान बुधवार, दिनांक २१—८—७४ को दिन के १२ बजे से अपरान्ह ५ बचे तक, विधान वाचनालय, विधान भवन में होगा

एक और आ गयी है सूचना

तथा २७ स्थायी समितियों के लिये गुरुवार दिनांक २२ अगस्त, १९७४ को दिन के १२ बजे से अपरान्ह ५ बजे तक विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जो नामिनेशन हो चुके हैं उनको अलग से दाखिल तो नहीं करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

इसका कोई हुआ नहीं है अभी ।

दूसरी है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के लिये विधान सभा के २१ सदस्यों का चुनाव भी इसी कार्यक्रम में जोड़ दिया जायगा, यदि उससे संबंधित संकल्प के स्वीकार किये जाने की सूचना विधान परिषद् से समय से प्राप्त हो जायगी । विधान परिषद् से अभी सूचना नहीं आयी है । अस्थायी तौर पर इसको हमने कह दिया कि अगर आ जायगी तो वह भी जोड़ दिया जायगा । इसके लिये मतदान होने की दशा में मतदान २१—८—७४ को उक्त स्थान एवं समय पर होगा ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव द्वारा रामायण के पन्ने फाड़नेके सम्बन्ध में संवैधानिक तथा औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक और माननीय काशीनाथ मिश्र ने....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसमें एक अपील करना चाहता हूं । मैं कुछ आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अपने माननीय सस्दस्यों से। जब कभी ऐसा प्रश्न आये, जैसे रामायण

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

का आया है, बड़ी एहतियात बरती जाय। मेरे पास अनेकों टेलीग्राम, अनेक चिट्ठियां आयीं, करोड़ों हृदयों को ठेस लगी। लेकिन वह दूसरी बात है। मेरी करबद्ध प्रार्थना माननीय सदस्यों से यह है ऐसा प्रश्न जब समझने लगें तो दूसरा दृष्टिकोण अपनायें। वह यह है कि जो एक लेखक या कवि होता है वह अपने आदर्श को जब सामने रखता है तो अपने आदर्श पात्र को सामने लाता है। जैसे तुलसी के आदर्श पात्र राम थे। राम के मुख से जो बात कही जाय उस पर गौर करें। तलसी के लग मख से जो बात निकले उस पर गौर करें। लेकिन जो किसी कथा का खलनायक है, जैसे रामचरित मानस का खलनायक रावण है उसके मुख से जो बात निकले तो वाणी तुलसी की वाणी नहीं है। सूर्पणखा के मुख से निकली वाणी तुलसी की वाणी नहीं है। समुद्र के मुख से निकली वाणी तुलसी की वाणी नहीं है, क्यों समुद्र पर राम ने वाण उठाया था, मैं जा रहा हूं, मुझे जाने के लिये रास्ता नहीं देते हो। जो नीच होता है, छोटा होता है वह गलत बातें कहता है, उसका यह स्वभाव है। विलेन आफ दि पीस के मुख से निकली हुई बात उसकी बात समझें। उसको लेखक या कवि की वाणी न समझें।

नारी का प्रसंग है। सीता के बारे में तुलसी की क्या कल्पना है? हमारे राम की मां नारी है, हमारी आपकी मां नारी है, तुलसी ने कहा है--सिया राम मैं सब जग जानी, करौं प्रनाम जोर जुग पानी। राम ने शिवरी के जूठे बेर खाये, और केवट को हृदय से लगाया। उन्होंने शिव के चरणों की वन्दना की, उसकी दृष्टि से देखा जाय, सहिष्णुता बरती जाय। जहां यह प्रश्न आये वहां ऐसा कोई प्रश्न न बनाया जाय जो राजनीतिक कलर ले सके। अगर कोई बात होती है कि जिससे किसी को ठेस लगती है, तो उससे दुख होता है। स्मृति बनी, पुराना युग धर्म चला, नारी को दांव पर लगा दिया, आज नारी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। परिस्थितियों को देखकर विचारों का समावेश करना पड़ता है। मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में ऐसी स्थिति कभी न आये, मान लीजिये हमारे ऐसे लोग हैं, किसी को दुख प्रकट हो, ऐसी स्थिति न आये। मुझे केवल इतना कहना है और कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र ने यह नहीं बताया कि संविधान की किस धारा. . . बात आपकी ठीक है, न्यायालय के फैसले से मैं सहमत हूं जो फैसला है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

किताब खुद आपके पास है। धारा २५, २६, २७ जहां धर्म की स्वतंत्रता है, उसके भाष्य में बसु साहब, कौल साहब, बड़े-बड़े कमेंटेटर्स ने लिखा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के फैसलों के उदाहरण दिये हैं। उसमें यह है कि किसी धर्म की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचायी जा सकती है और जो ठेस पहुंचाता है वह संविधान की धाराओं का उल्लंघन करता है। जब सदस्य बनकर शपथ लेते हैं, संविधान की जितनी कड़ियां हैं सबकी शपथ लेते हैं। तो अगर हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, शपथ तोड़ते हैं और हम इस प्रकार से सदन में बैठने के हकदार नहीं हैं। यह हमारी संवधानिक आपत्ति थी कि हमें भाषण का स्वातंज्य है लेकिन काम का स्वातंत्र्य नहीं है। जूते वगैरा दिखाना यह काम स्वातंज्य में आता है। हमें केवल भाषण का स्वातंत्र्य है काम का नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब इसको मैंने देख लिया है।

माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने सूचना दी है कि माननीय श्री रामपाल सिंह यादव ने मानस यतुशती के अवसर पर २५ जुलाई, १९७४ को विधान सभा के अन्दर रामचरितमानस की

धार्मिक पुस्तक को फाड़कर राष्ट्र एवं भारतीय संविधान का घोर अपमान किया है। उनका कहना है कि इस कृत्य को करने से उन्होंने सदस्य के रूप में ली गयी अपनी शपथ को भंग किया है, अतः वे सदन में बैठने के अधिकारी नहीं रह गये हैं।

माननीय सदस्य सदन में बैठने के पूर्व जो शपथ लेते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद १८८ के अन्तर्गत तृतीय अनुच्छेद में विहित प्रपत्र के अनुसार होती है। उसमें माननीय सदस्य यह शपथ लेते हैं कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखेंगे तथा जिस पद को वे ग्रहण करने वाले हैं, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। माननीय श्री काशीनाथ मिश्र का यह तर्क है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और इस प्रकार के आचरण से एक वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर संविधान की अवहेलना की गयी है, एवं संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ को भंग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद २५ में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा भाग ३ के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण के तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया है। उक्त अनुच्छेद को विधि द्वारा कतिपय विषयों के संबंध में निर्बन्धन लगाने का कोई भी अधिकार है और राज्य द्वारा बनाये गये कतिपय विधियों में ऐसे कृत्यों के लिये दण्ड की भी व्यवस्था है, इस प्रकार यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि उक्त अनुच्छेद २५ में यह निहित है कि किसी वर्ग विशेष के धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसमें दिये गये मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो भी एक ओर तो सदन में सदस्य और सदन की कार्यवाही अनुच्छेद १९४ के उपबन्धों से रक्षित है तथा दूसरी ओर किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार के कृत्य से संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भंग माने जाने की दशा में संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है और न ही माननीय श्री मिश्र ने ही किसी ऐसे प्राविधान का उल्लेख किया है जिससे सदन के किसी सदस्य द्वारा लिये गये पहले के शपथ के संबंध में यह समझा जाये कि उसने शपथ लिया ही नहीं और वह उक्त अनुच्छेद १८८ के अनुसार सदन में बैठ नहीं सकता तथा यदि बैठता है तो अनुच्छेद १९३ के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

माननीय सदस्य ने अपने तर्क की पुष्टि में न्यायालय के कतिपय निर्णयों का हवाला भी दिया है। निःसंदेह इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अनुसार अपराध है और दंडनीय है परन्तु वह न्यायालय का विषय हो जाता है और अनुच्छेद १९४ एवं २१२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उसके लिये उपचार न्यायालय में ही हो सकता है। जहां तक सदन का संबंध है, अब तक के निर्णयों के अनुसार इस प्रकार के आचरण को अशोभनीय माना गया है और इस संबंध में श्री रामपाल सिंह यादव के आचरण को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने उसी समय दी गयी अपनी व्यवस्था में अशोभनीय कह कर उनके उक्त आचरण की निन्दा भी की है।

उपर्युक्त स्थिति में मैं माननीय श्री काशीनाथ मिश्र की आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं। फिर भी, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिन पर विशेष रूप से इधर सदन में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के परिपेक्ष्य में गंभीर चिन्तन एवं आत्मसंयम की आवश्यकता है जिससे इस प्रकार को अशोभनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सदन की मर्यादा एवं गरिमा को बनाये रखने के लिये साथ-साथ सामान्य नागरिक के मन में यह भावना न पैदा हो सके कि इस सदन के सदस्य यहां बैठकर संविधान के माध्यम से उनके द्वारा प्रदत्त वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का इस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं।

अनुच्छेद १९४ के खंड (१) में सदस्यों का सदन में वाक् स्वातंत्र्य संविधान के उपबन्धों एवं प्रक्रिया नियमावली व स्थायी आदेशों के अधीन है। नियम व निर्णयों के अनुसार इस प्रकार

[श्री अध्यक्ष]

का प्रदर्शन वर्जित है। इसी प्रकार किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी पर एसाल्ट करना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। यह भी बात निर्विवाद है कि सदन के भीतर किये गये किसी ऐसे कृत्य, जो फौजदारी अपराध हो, के संबंध में विशेषाधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद १९४ में वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार एवं विशेषाधिकारों से संरक्षण इसलिये है कि सदन में विचारों की अभिव्यक्ति एवं उनके आदान-प्रदान की कार्यवाही सुव्यवस्थित और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप एवं अवरोध के निर्बाध गति से चले न कि इस प्रकार के नियम विरुद्ध और फौजदरी कानून के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के कृत्य के लिये। अतः यह प्रश्न उठता है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को होने से किस प्रकार और कैसे रोका जाय।

फिर यह भी विचारणीय है कि क्य धारा सभाओ का, जिन का कार्यक्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं तक सीमित है, धर्म या साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश मान्य किया जाय।

इस देश में नाना प्रकार के धर्म एवं सम्प्रदाय हैं और प्रत्येक अपने धर्मग्रन्थों की पवित्रता पर आस्था रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी उससे सहमत हों, लेकिन यह आवश्यक है कि सभी एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करें। यही अभिप्राय भारतीय संविधान का भी है। यदि विधान सभा में वाक् स्वातंत्र्य के संरक्षण का दुरुपयोग करते हुये कोई सदस्य इस प्रकार किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करे और ऐसे आचरण को नजरन्दाज किया जाय तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस देश के विभिन्न सम्प्रदायों एवं धर्मों के ऐसे साहित्य हैं, जिनसे कि दूसरे सम्प्रदायों या धर्मों का विरोध हो सकता है, और ऐसी हालत में यह संभव है कि ऐसे आचरण देश में धार्मिक दंगे एवं बलवे कराने का कारण बनें जिससे निरपराध निरीह मानव जाति को क्षति हो सकती है, जो देश में विनाश का कारण बन सकती है।

कोई भी साहित्य अपने समय के समाज का दर्पण होता है और सहित्यकार अपने साहित्य में उसे विभिन्न प्रकार के पात्रों द्वारा मुखरित करता है। साहित्यकार का अपना आदर्श पात्र होता है, जिसके द्वारा वह अपने नैतिक मूल्यों या समाज सुधार के आदर्शों को रखता है। साहित्य में ऐसे पात्रों को भी रखना आवश्यक होता है, जो उस समय की कुरीतियों एवं समाज की बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें साहित्यकार अपने आदर्श पात्र के द्वारा दूर करना चाहता है। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' को इसी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।

जब, 'रामचरितमास' की रचना हुई, भारतीय मानस युग की निर्मम मार से बुरी तरह इलथ हो चुका था। गण देवता दिशाहारा हो गया था। मध्यकालीन भारत भयंकर शून्य में पड़ गया था, परिणामतः पाखण्ड-पंथियों की महिमा बढ़ रही थी। असत्य को लोग सत्य समझ रहे थे और विपथगामी साधना के सामने लोग माथा झुका रहे थे, आचार शुचिता' का जिनमें अभाव था और जो आडम्बर प्रिय थे, वे ही ज्ञानी-विज्ञानी और तपस्वी समझे जाते थे। 'मिथ्या रम्भ-दंभ रत' को पंडित, 'पर धनहारी' को आचारी, झूठ बोलने वाले को गुणवंत, मन-क्रम-बचन से लबार को वक्ता आदि समझा जाता था। पाखण्डवादियों के विवाद से सद्विचार लुप्त हो गये थे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो मध्यकाल में व्याप्त युग के प्रभाव को मिटाने के लिए ही 'रामचरितमानस' जैसे उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ की रचना तुलसीदास ने की। 'मानस' में रावण के विरुद्ध राम की रचना, आसुरी शक्ति के विरुद्ध वैवी अर्थात् लोक शक्ति की रचना है और मानव-मूल्य के पक्ष में समर्थन को चेष्टा है। साम्राज्यशाही के विरुद्ध रामराज्य की कल्पना अनोखी है। रावण 'उत्तम-कुल पुलस्ति का नाती' होते हुए भी, मात्सर्य, अहमन्यता, अत्याचार, निरंकुश राजतंत्र, शोषण और समाज-विरोधी भावनाओं का प्रतीक है और राम प्रतीक हैं उस जनता का जो 'विरथी' होकर भी अपने जीवन के संघर्ष में अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए प्राणपण से जुटी रहती है। इस प्रकार 'खल-बध निरत' राम निरन्तर अन्याय का प्रतिकार करने वाले प्रतीक के रूप में हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि तुलसीदास का 'मानस'

निरन्तर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्षरत जनता की आस्था का अभिलेख (दस्तावेज) बनता है। उसे अपने समय की परिस्थितियों और सन्दर्भों के परिपेक्ष्य में देखने पर भी भली-भांति उसको सच्चे अर्थों में समझा जा सकता है।

तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों पर तुलसीदास जी ने अपनी व्यंग वक्र वाणी से करारे प्रहार किये हैं। तुलसीदास जी ने समाज-व्यवस्था के रूप में वर्णाश्रम का समर्थन किया है, किन्तु भक्ति के क्षेत्र में वे जाति-पांति को महत्व नहीं देते थे उन्होंने निगमागम सम्मत रामचरितमानस में भगवद्-गीता के 'चतुर्वण्यम् मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागतः' का समर्थन किया है। यही कारण है कि तुलसीदास—

सियाराम मैं सब जग जानी।
करौं प्रणाम जोरि जुग पानी॥

कहकर समाज में समानता का उद्घोष करते हैं। ब्राह्मण होते हुए भी रावण, कुम्भकरण का वध कराते हैं, शूद्र होते हुए भी निषाद, गुह, शबरी, कोल-किरात राम के आदर के पात्र बनते हैं। निषाद तो उनका मित्र है, जिसे भरत भाई के समान समझ कर गले लगाते हैं, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि हृदय से लगाते हैं। शबरी को माता का स्थान मिलता है और उसके जूठे बेरों के मुकाबले में—

'घर, गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जहं जहं भई पहुंनाई।
तहं तहं कहि शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई॥'

को स्वीकार करते हैं। सदाचारी गृद्धराज जटायु का दाह-संस्कार और श्राद्ध कर्म राम स्वयं अपने हाथों से करते हैं जो उनके स्वयं पिता, दशरथ भी उनके हाथों से प्राप्त नहीं कर सके। परशुराम अवतारी पुरुष होने के साथ-साथ ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, परन्तु बाल काण्ड में हम देखते हैं कि ऋषिवत, मुनिवत आचरण न होने के कारण लक्ष्मण द्वारा उनका अनादर किया जाता है और स्वयं राम ने भी अपनी विनम्र वाणी में—

देखि कुठार बान धनुधारी,
भै लरिकहिं रिस वीर विचारी।
जौ तुम औतेहु मुनि की नाईं,
पद रज सिर सिसु धरत गोसाईं।

तथा बार-बार व्यंग से मुनिवर, विप्रवर कह कर परशुराम की ओर संकेत करते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि तुलसीदास के 'रामचरित मानस' के तीन प्रवक्ता हैं और तीन श्रोता हैं। एक ओर महादेव शंकर, माता पार्वती को सुना रहे हैं, दूसरी ओर मुनि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को सुना रहे हैं और तीसरी ओर पक्षी काग भुशुण्डि, पक्षिराज गरुड़ को सुना रहे हैं। काग भुशुण्डि एक ब्राह्मण से काग हुए। त्रिजग योनि के सिद्ध भक्त हैं, जो अपात्र योनि मानी जाती है। निषाद, गुह, शबरी, जटायु, बानर-भालू, बन के कोल-किरात आदि को महत्ता देने और उनकी महत्ता का इतना समारोह पूर्ण चित्रण करने वाले तथा—

'जाति पांति पूछे ना कोई,
हरि को भजै सो हरि का होई।'

का उद्घोष करने वाले गोस्वामी तुलसीदास पर शूद्र विरोधी होने का आरोप लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी।

उपर्युक्त सन्दर्भ में यदि 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी' जिस पर आपत्ति करते हुए रामायण का पन्ना फाड़ा गया है, देखें तो स्पष्ट है कि उक्त कथन जड़ समुद्र द्वारा कहा गया है। राम अपने आदर्श के अनुसार पहले उससे समुद्र पार करने का उपाय पूछने के लिए 'प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई।' तीन दिन तक

[श्री अध्यक्ष]

इस प्रकार विनय करने पर भी जड़ समुद्र विनय की भाषा को नहीं समझ पाता और फिर राम को उसकी भाषा में समझाने के लिए कहना पड़ता है--

विनय न मानत जलधि जड़ गये तीनि दिन बीति।
बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति।।

इस सम्बन्ध में राम द्वारा कहे गये नीति वाक्य उल्लेखनीय हैं--

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुन्दर नीती।।
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी।।
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बएं फल जथा।।
काटेंहि पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच।
विनय न मान खगेस सुनु डाटेंहि पइ नव नीच।।

राम के इस प्रकार क्रोधित होने पर और बाण चढ़ाने पर जब समुद्र डरते हुए उनके पैरों पर गिरता है, तो स्वयं यह स्वीकार करता है कि--

गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी।।
ढोल गंवार शुद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ताड़ना के अधिकारी कौन हैं। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार शब्द 'ताड़ना' श्लेष अलंकार के एक अनुपम उदाहरण के रूप में प्रयुक्त है। उनके अनुसार ढोल के सन्दर्भ में 'ताड़न' शब्द का अर्थ ढोल पीटने अथवा बजाने से है। 'गंवार' के सन्दर्भ में उसका अर्थ ताड़ने अर्थात् उसकी प्रकृति पहचानने से है। 'शूद्र' के सन्दर्भ में उसका अर्थ शिक्षण देने से है, क्योंकि उसके पहले समुद्र 'प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही' कहता है। पशु के सन्दर्भ में उसका अर्थ पैना या चाबुक मारने से है। इसी प्रकार नारी के सन्दर्भ में 'ताड़न' शब्द का विशिष्ट अर्थ वात्सायन के कामसूत्र के अनुसार प्रहणन से है, जो प्रेम की एक विशिष्ट रीति है।

इस प्रकार यदि हम रामचरित मानस को विवेक और बुद्धि से समझने का प्रयास करें तो हम यह पायेंगे कि तुलसी अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की ओर निरन्तर बढ़ने के स्रोत हैं और तुलसी के राम अन्याय के विरुद्ध अडिग संघर्ष के प्रतीक हैं। उनकी दृष्टि में जाति का महत्व नहीं है, बल्कि गुण और कर्म का महत्व अधिक है क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने लिए इसकी परवाह नहीं की--

"धूत कहौ, अवधूत कहौ,
रजपूत कहौ जोलहा कहौ कोउ।
काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब
काहू की जाति बिगार न सोउ।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को
जाको रुचै सो कहै कुछ ओउ।
मांगि कै खैबो, मसीत को सोइबो,
लैबो को एकु न दैबै को दोउ।"

☒ ☒ ☒

मेरे जाति-पांति न चहौ
काहू की जाति पांति,

मेरे कोउ काम को,
न हौं काहू के काम हो,

* *

अति ही अयाने उपखानों नहिं बूझे लोग,
साह ही को गौत, गोत होत है गुलाम को।"

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में "तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक-शास्त्र का समन्वय, ग्राहस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चाण्डाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय---रामचरित मानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है।"

डा० जार्ज आर्थर पियर्सन के अनुसार---"गोस्वामी जी कवि एवं उत्साही सुधारक थे। तुलसीदास जी के आविर्भाव से उत्तरी भारत का उद्धार हो गया अन्यथा धार्मिक एवं नैतिक भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर वह विकृत हो गया होता।"

एफ० आर० आलचिन के अनुसार---"तुलसीदास जी ने रूढ़िवादी हिन्दू धर्म के ढांचे का आंतरिक परिष्कार किया। उन्होंने धर्म के बाद रूप का अनुकरण मात्र करने वालों से द्वेष रक्खा। भूतकाल के प्रति उनमें अन्ध विश्वास न था। वे भक्त अधिक थे। भक्त के लिए जाति पांति का कोई महत्व नहीं था तथा वे निम्न व अछूत जाति के भक्तों के लिए मोक्ष को इतना ही सरल मानते थे, जितना ब्राह्मण के लिए।"

और अन्त में रेवरेण्ड एडविन ग्रीब्ज के अनुसार---"इंगलैण्ड के किसी कवि का जनता से वह सम्बन्ध नहीं रहा जैसा इस देश की जनता का तुलसीदास से है।"

उपर्युक्त विचारकों के मतों से भी उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि होती है और यह सही भी है, क्योंकि तुलसीदास जी की दृष्टि में 'परहित सरिस धरम नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।' यही कारण है कि तुलसीकृत 'रामचरित मानस' जन-मानस पर छायी हुई है और आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति महात्मा गांधी की प्रिय पोथी थी, नयी साहित्य पीढ़ी के आत्मीय दार्शनिक डा० राम मनोहर लोहिया का प्रिय काव्य ग्रन्थ था। महात्मा जी ने राम राज्य की कल्पना-प्रेरणा 'मानस' से ही प्राप्त की थी। यदि गांधी जी और डा० लोहिया की दृष्टि आधुनिक है तो स्वीकार करना होगा कि 'रामचरित मानस' का स्वर आधुनिकम संवेदना से सम्प्रक्त है और यह संक्रान्त आस्था के युग के मनुष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। कदाचित् यही कारण है कि इसे पढ़ने, समझने और चिन्तन का उपजीव्य बनाने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। त्वरित गति से धावन करने वाले विज्ञा की यात्रा की तरह 'मानस' की लोकप्रियता देश की सीमा लांघ कर पूरे भूमण्डल की संवेदना से जुड़ रही है। अतएव यह खेद का विषय है कि जिस माननीय सदस्य ने तुलसीदास जी की ऐसी रामचरित मानस का पन्ना फाड़ कर उसके प्रति अपमान और निरादर की भावना प्रदर्शित की, उनका सम्बन्ध डा० राम मनोहर लोहिया के समाजवादी दल से है। डा० लोहिया ने न केवल रामायण का आदर किया बल्कि विश्व रामायण मेला आयोजन की दृष्टि दी। यह परम आश्चर्य का विषय है कि कोई सदस्य इस प्रकार के आचरण से स्वयं आत्म-हनन करने का प्रयास करे।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि किसी भी दल को किसी भी धर्म ग्रन्थ को फाड़ने का जनादेश (मैन्डेट) नहीं मिला है और न ही उसकी याचना की गयी है। लोकतंत्र में राजनैतिक घोषणा-पत्रों का प्रमुख स्थान होता है। बहुलांश में भारत के किसी राजनैतिक दल ने साहित्य निर्माण, कला का कोई दायित्व नहीं

[श्री अध्यक्ष]

लिया है और न लेना ही चाहिए। ऊंचे मूल्य और साहित्यिक कीर्तिमान स्थापित करने की चेष्टा निश्चय ही साहित्यकार और कलाकार करते हैं और यहां बैठ कर हमें उसमें हस्तक्षेप करने की अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह भी कहूंगा कि अगर कोई ऐसा समझता है इस प्रकार से धर्म ग्रंथ को फाड़ना उसका कर्तव्य है तो उसे इस सवाल को लेकर जनता में जाना चाहिए। यह लोकतंत्र है और मैं कोई यह इस सीमित विषय के बारे में नहीं कहता, पूर्व अध्यक्ष की जो रूलिंग है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि हम को किसी धर्म पुस्तक को फाड़ने का प्रयोजन यहां नहीं है, चाहे हम उससे सहमत हों या उससे असहमत हों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भी दृष्टान्त है कि "हजरत बल" जो हजरत मुहम्मद की एक पाक चीज गायब हुई, कितना बवंडर मचा। कहीं कोई पागल या उन्माद में किसी धर्म की किताब को फाड़ दे तो सारे देश में अशांति हो सकती है।

तो यह जो कार्य हुआ, यह प्रकाशन, यानी प्रदर्शन में सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, अपराध है जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता में अपराध घोषित किये गये हैं। उससे बचने का उपाय नहीं होना चाहिए।

इसलिये मैं यही आशा करूंगा कि आप सब हर धर्म पुस्तक का आदर करेंगे विशेष कर उस पुस्तक का जिससे आप असहमत हों।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

आपकी रूलिंग से बड़ा आनन्द आ गया। आप एक एक कापी हम लोगों को भी बंटवा दें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

सदन में फाड़ने के लिये तो कोई दण्ड की बात कर दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

इस व्यवस्था का सम्बन्ध हमारे दल के नेता से है इसलिये अगर आप अनुमति दें तो मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष---

दल ने नहीं फाड़ा है।

कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पुलिस तथा पी० ए० सी० की तैनाती के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

दिनांक २४ जुलाई, १९७४ को एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने कार्यालय के एक कर्मचारी श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव को अनुशासनहीनता के आरोप में निलम्बित कर दिया। एकाउन्टेन्ट जनरल को यह सूचना मिली थी कि इस कार्यवाही के विरुद्ध कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदर्शन करेगा और हिंसात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। अतः उन्होंने यह सूचना मौखिक रूप से जिला प्रशासन को दी और सुरक्षा के लिये पुलिस की सहायता की मांग की। इस पर दिनांक २४ जुलाई, १९७४ को सिविल पुलिस के ३ सब इन्सपेक्टर, २ हेड कान्स्टेबिल और ४ कान्स्टेबिल उक्त कार्यालय में गये और उन्होंने स्थिति की निगरानी की। दिनांक २४ जुलाई, १९७४ को कोई घटना नहीं घटी। इसके बाद अगले दिनों कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन आदि की सम्भावना की सूचना प्राप्त होने पर एकाउन्टेन्ट जनरल के अनुरोध पर

२५ जुलाई, १९७४ को तथा उसके बाद भी दिनांक २ अगस्त, १९७४ तक कमोबेश उपरोक्त संख्या में सिविल पुलिस कर्मचारी तथा पी० ए० सी० के कभी एक कभी दो प्लेटून वहां शान्ति व व्यवस्था की कार्यवाही के लिये जाते रहे। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी और मैजिस्ट्रेट भी कार्यालय पर प्रबन्ध की देखरेख के लिये गये। कर्मचारीगण ने कई दिन इन्टरवल में एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस और पी० ए० सी० इस दौरान कार्यालय के प्रांगण से बाहर स्थिति की निगरानी के लिये रखी गई। केवल मैजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी तथा सब इन्स्पेक्टर ही एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय पर गये। पुलिस की व्यवस्था एहतियात के तौर पर इसलिये की गई कि उत्तेजना में कर्मचारी कोई हिंसात्मक कार्यवाही न कर दें। कर्मचारीगण ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ही किया और पुलिस ने भी केवल निगरानी की और उसे किसी बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। पुलिस ने कर्मचारीगण के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया न ही सामान्य कर्मचारियों के मध्य पुलिस की उपस्थिति पर असन्तोष व रोष नजर आया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के कुछ नेताओं ने जरूर कार्यालय पर पुलिस की उपस्थिति की आलोचना की। किसी कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है और न कर्मचारियों ने अब तक कोई ऐसा कार्य ही किया है जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़े।

इस समय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मध्य इस समस्या के समाधान के लिये शान्तिपूर्ण वार्ता चल रही है। अतः तनाव में काफी कमी हो गयी है और पुलिस की नियुक्ति देख रेख के लिये भी आवश्यक नहीं समझी गई है और न हीं की जा रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

२४ जुलाई, १९७४ से लेकर २ अगस्त, १९७४ तक यानी लगभग १० दिन तक महालेखाकार के कार्यालय में पुलिस और पी० ए० सी० की प्लाटून रखी गयी और जैसा कि मंत्री जी ने बताया एकाउन्टेन्ट जनरल से प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर २४ जुलाई को और फिर उनके अनुरोध पर २५ जुलाई को पुलिस भेजी गयी। तो २५ जुलाई को महालेखाकार ने जो अनुरोध किया वह मौखिक था या लिखित ? यदि लिखित अनुरोध था तो उसकी कोई प्रतिलिपि यहां पर मौजूद हो तो उसके सम्बन्ध में अवगत करा दें। दूसरे जो कर्मचारियों का एसोसियेशन है उसने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी और स्थानीय जिला प्रशासन के पास भेजी थी जिसमें यह कहा गया था कि वहां के कर्मचारियों के आवागमन में रोक लगायी जा रही है और जब वह कमरे में बैठते हैं तो पी० ए० सी० और पुलिस के सिपाही बन्दूक लेकर खड़े रहते हैं। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है तो उससे अवगत करा दें।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, यह तो वक्तव्य में ही दिया है कि ए० जी० ने मौखिक रूप से कहा था। इसके बाद २५ तारीख से लेकर २ तक पुलिस रही। जब देखा कि सब काम ठीक हो गया तो पुलिस हटा दी गयी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

कर्मचारियों के आवागमन पर रोक लगा दी गयी, उसके बिषय में क्या कहना है मंत्री जी को ? कमरों में अन्दर पुलिस रखी गयी।

श्री राजमंगल पांडेय---

एक भी शिकायत कमरों में पुलिस के रहने की नहीं आयी है। वक्तव्य के अन्त में यह भी लिखा है कि आने जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। पुलिस के अधिकारी ही अन्दर रहते थे, पुलिस वाले तो बाहर रहते थे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, एक कानून बना था प्रीवेन्शन आफ क्रुअल्टी टु एनिमल्स अर्थात् जानवरों के साथ निर्दयता न हो, इसका एक कानून बना था। अब मैं माननीय बहुगुणा जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे एक कानून यह बना दें कि प्रिवेन्शन आफ क्रुअल्टी टु मिनिस्टर्स (हंसी)। मैं यह देख रहा हूं कि माननीय राजमंगल पांडेय जी को इस तरह काम करना पड़ता है जैसे कि वे पार्लियामेन्टरी से क्रेटरी टु चीफ मिनिस्टर हों। हर मुहकमें का काम वे देखते हैं व अपने मुहकमें का काम भी देखना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, मगर यह काम भी पांडेय जी को ही करना पड़ा। नतीजा यह होता है कि यह फिजिकली और मेंटली उनके लिये असम्भव हो जाता है कि वे हर चीज को स्टडी करके यहां आया करें और उत्तर दे सकें। यह पांडेय जी के साथ अन्याय है और जनता के साथ भी अन्याय है क्योंकि ३४ विभागों का काम देखना असम्भव है।

(व्यवधान)

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)---

पांडेय जी के साथ जरूर अन्याय हो रहा है।

श्री रा मंगल पांडेय---

मान्यवर, चौधरी साहब अगर मुझे एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हों, तब तो बात दूसरी है लेकिन.. ..

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह---

मेरी तो मददी आपके साथ है, शिकायत तो बहुगुणा जी से है।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, अगर एनिमल खुद क्रुएल्टी महसूस न करे तब भी क्या कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, मुझे आज मालूम पड़ा कि चौधरी साहब मुझ से ज्यादा प्यार राजमंगल पांडेय जी को करते हैं....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आप नं० २ पर नहीं आना चाहते प्यार करने में क्या?

(हंसी)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, सहकारिता का काम माननीय लक्ष्मी शंकर यादव देखते हैं, बिजली का काम नारायण दत्त जी तिवारी देखते हैं, इसी तरह काम बंटे हुये हैं। चौधरी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी बात को मान ा पड़ता है। उनको यह शिकायत थी कि मेरे ऊपर बहुत काम लदा हुआ है, मुझे हल्का कर ा चाहिये। उस वक्त क्रुएल्टी मेरे ऊपर हो रही थी, अब जब बोझ हल्का कर दिया तो क्रुएल्टी दूसरों के साथ हो रही है....

चौधरी चरण सिंह –

क्या मंत्रि मंडल के बिस्तार करने का इरादा नहीं है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

चौधरी साहब ने कभी अपने समय में नहीं कहा था कि हम मंत्रि मंडल में क्या करने जा रहे हैं और मैं भी, मान्यवर, आई प्रोपोज टु फालो हिम . . . (हंसी)

रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित ४ सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण, रुड़की विश्वविद्यालय अधिनियम, १९४७ की धारा १६ की उपधारा (१) के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिनका कार्यकाल उसके निर्वाचन के बाद सिनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले होगा, होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित ४ सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण रुड़की विश्वविद्यालय अधिनियम, १९४७ की धारा १६ की उपधारा (१) के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिनका कार्यकाल उनके निर्वाचन के बाद सिनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष, अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले होगा, होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, इसे भी और कमेटियों के साथ रख दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री मुहम्मद असरार अहमद के इसरार की मंजूर करता हूं कि उन्हीं कमेटियों के चुनाव के साथ इस चुनाव को भी जोड़ दिया जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव के ६ नोटिस मिले हैं । इनमें से ३-४ तो बाढ़ के सम्बन्ध में हैं । जैसे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री श्रीनारायण का है--"प्रदेश के पूर्वी विभिन्न जिलों में बाढ़ से उत्पन्न संकट ।" श्री ऊदल और श्री भीखालाल का भी यही है । श्री मोतीलाल देहलवी ने भी इसी सम्बन्ध में दिया है लेकिन उन्होंने "सौतेला व्यवहार सरकार की ओर से किया गया" यह जोड़ दिया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वी इलाकों का दौरा किया है । उस दिन मैं बुखार से पीड़ित था जिससे आ नहीं सका लेकिन इस सम्बन्ध में जो बयान उनका निकला है उससे मुझे बड़ा दुख हुआ । पूर्वी इलाके में बाढ़ से सब से अधिक प्रभावित मेरा जिला बस्ती

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मेरा क्षेत्र ही हुआ है और यह मैन मेड ट्रेजडी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में उसका कोई जिक्र नहीं किया है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

बस्ती के सम्बन्ध में मैंनें कहा तो है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कहा है तो बड़ा अच्छ है लेकिन आपने जो यह किया है कि फलां जिले के दो दो हजार, फलां को एक हजार और बस्ती को केवल ५०० रुपये दिये जाने की बात की, इससे मुझे अन्दाजा लगा कि वहां की ठीक क्षति का ज्ञान आपको नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अन्य जिलों के बारे में भी पता लगा लें और यहां का भी पता लगा लें कि आपके अधिकारियों द्वारा जो आपको सूचना दी गयी है कि इन इन जिलों में यें ये राहत के कार्य किये गये, इतनी नावें पहुंचायी गयीं या ये ये चीजें, जैसे अनाज, तेल, या दूसरी चीजें पहुंचायी गयीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। स्थिति बड़ी गम्भीर है। बीमारी जोरों के साथ बढ़ रही है। बाढ़ हटने के बाद घर बराबर गिरते जा रहे हैं। घर गिराई के नाम पर आप के १०-१५ रुपये दे देने से काम नहीं चलने का। स्थिति बड़ी गम्भीर है। आदमियों के लिये कोई गल्ला नहीं, पशुओं के लिये चारे की कोई व्यवस्था नहीं, और तमाम चीजों की गड़बड़ी है, इसलिये मैंने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अभी जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है, उसके अलावा आजमगढ़, बलिया में घाघरा की वजह से व सीतापुर में शारदा की सहायक नदियों व उसकी नहरों की वजह से ४ हजार मकान गिर गये हैं और पांच सात गांव तो एकदम से डूब गये हैं। वहां के लोग दूसरे कस्बे में जाकर आबाद हो गये हैं। पूर्वी इलाके में चार जिले तो बाढ़ से पीड़ित हैं ही, उनके अलावा आजमगढ़ और बलिया तथा सीतापुर भी बाढ़ से प्रभावित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर यहां चर्चा हो। बलिया में घाघरा के बाढ़ की वजह से भयानक स्थिति है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

गंगा में जब तक बाढ़ नहीं आती तब तक बलिया में भयानक बाढ़ कैसे आ सकती है ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र की लड़ने की आदत है। मैंने यह तो कहा नहीं है कि घाघरा की बाढ़ से पूरा बलिया डूब गया है। मैंने तो बाढ़ का जिक्र किया कि किनारे का जो हिस्सा है वहां बाढ़ आ गयी है। आजमगढ़ में भी किनारे पर ही बाढ़ आ गयी है यह मैं उनको समझाना चाहता हूं। मैंने सीतापुर के कुछ इलाके में बाढ़ की बात कही है जहां शारदा सहायक की वजह से गांव बह गये और ४ हजार घर गिर गये हैं और काफी नुक्सान हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम २ घंटे आप इन सब पर चर्चा के लिये एलाट करें।

(सदस्यों के साथ साथ बोलने से शोर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग एक-एक करके कहें।

श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)---

अभी बलिया जिले के बारे में कहा गया। बाढ़ गंगा के किनारे नहीं है। बाढ़ तो घाघरा नदी के किनारे है। घाघरा की बाढ़ से प्रकोप दोबारा होता है जहां कि गोरखपुर का पानी आता है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, एक मिनट का मौका देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

अभी मैंने उनको दिया है। आप बठ जायं।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, जो सूचना मुख्य मंत्री जी को मिली है वह बिल्कुल अधूरी है। क्योंकि आज देवरिया तहसील के कछार रुद्रपुर के एरिया में कोई आदमी नहीं जा सकता है। हजारों मवेशी मर गये हैं। सैकड़ों आदमी भी मर गये हैं। छोटी गंडक से जो कटाव हो रहा है और देवरिया तहसील में बाढ़ जो आयी है वह आपकी नहर के पानी से आयी है और नहर के पानी से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि हजारों गांव बह गये हैं। फसल बरबाद हो गयी है। मैं भी २-३ दिन घूमा हूं। देवरिया तहसील के कुछ हिस्से में रुद्रपुर एरिया में अधिकारी जा रहे हैं लेकिन और जो इलाके हैं वहां नहीं जा रहे हैं। पूर्णा नाला और मझना नाला से जो नुकसान हुआ है वहां कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है। तमाम मवेशी मर गये हैं। न तो वहां पर कोई राशन की दूकानें खोली गयी हैं और न कोई सहायता की गयी है। यह सब कागजी है, हवाई बातें हैं। झूठे आश्वासन हैं। आप झूठ कहते हैं। सिंचाई मंत्री जी खाली असत्य बोलते हैं। मैंने वहां देखा है। बिल्कुल तबाह हो गया है। कोई कायवाही नहीं की जा रही है। खाली कागजी-हवाई फायर किये जा रहे हैं। मैं, मुख्य मंत्री जी आपसे कह रहा हूं कि आप देवरिया जिले और गोरखपुर जिले को किसी तरह भुखमरी से बचायें और जानवरों को कहीं से, किसी तरह से चारा भिजवाइये। चारा और दाना नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आप यह जिले बचावें। नहीं तो जो चाहे करें।

*श्री जगन्नाथ चौधरी---

मान्यवर, पूर्वी जिलों की बाढ़ के बारे में अभी ७ तारीख को मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा को बंद किया और विधायकों को आदेश दिया कि आप लोग अपने-अपने जिले में जायें और देखें और देखते हुये जहां तक सम्भव हो सके अपने-अपने जिलों की मदद करें। मैं भी अपने जिले में गया। मेरा घर घाघरा नदी क किनारे है और हमारी कांस्टिट्युएंसी गंगा नदी के किनारे है। मैंने घाघरा नदी का दौरा किया। तुर्तीपार से लेकर बकुलहा तक घाघरा नदी के किनारे गांव जलमग्न हैं। यह बहुत सोचने की बात है कि जब गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ जिले में गंडक, राप्ती और घाघरा के पानी से तबाह हैं। तो इन तीनों जिलों का पानी बलिया जिले में इकट्ठा हो जाता है, जो स्वाभाविक है कि घाघरा का पानी बलिया जिले को क्षमा नहीं कर सकता है। परन्तु मुझे श्री काशीनाथ मिश्र के बयान से क्षोभ है कि उन्होंने कहा कि केवल तीन गांव प्रभावित हुये हैं। गंगा नदी में बाढ़ नहीं ह, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार गंगा में जब बाढ़ आती है तो बलिया जिले को बाढ़ से प्रभावित समझती है। गंगा से ज्यादा प्रकोप इन तीनों नदियों के पानी से हो सकता है। बस्ती और रसड़ा तहसीलें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

घाघरा के किनारे पड़ती हैं। इसलिये वहां के सारे गांव जलमग्न हो जाते है और वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि घाघरा के किनारे से आप हेलीकाप्टर से बलिया जिले का दौरा करेंगे। हम किसान लोग घाघरा नदी के किनारे प्रतीक्षा करते रहे कि आपका हेलीकाप्टर आयेगा परन्तु आपका वहां हेलीकाप्टर देखने को नहीं मिल। लोगों से जानकारी की कि इधर कोई हेलीकाप्टर आया था कि नहीं लेकिन मालूम नहीं हुआ कि आपका हेलीकाप्टर आया कि नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगा की बाढ़ से घाघरा नदी की बाढ़ बलिया जिले के लिये ज्यादा प्रभावकारी है। मैं देख कर आया हूं। वहां आपके कृषि विभाग के अधिकारी डाइरेक्टर साहब भी जांच में गये हैं ऐसा सुनने को मुझे मिला है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से जांच करवायें और बलिया जिले को बचायें।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, यह जो बाढ़ का प्रश्न यहां उठा है। इस पर सचमुच बहस चले और समस्याओं का निराकरण किया जावे। परन्तु मैं इस पर सुझाव देना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बाढ़ के इलाके में गये थे, इन पांच दिनों में तो उनके यहां की जो समस्यायें हैं, जो नुकसान हुआ है उसका एक संक्षिप्त विवरण सरकार को और मंत्री को भेजें। सरकार की तरफ से जो अधिकारी, मंत्री और मुख्य मंत्री बाढ़ के निरीक्षण के लिये गये थे उसका नतीजा निकालें। कितना नुकसान हुआ है, कितनी सहायता की आवश्यकता है और जो समस्या है उसके अनुरूप क्या सहायता काफी है, इन सब पर एक विवरण आये और उस पर चर्चा सदन उठने से पहले हो तो समुचित रूप से इस पर विचार हो सकेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैदानी इलाके में चर्चा हो चुकी है और सुझाव भी आ गया है। लेकिन पिछली बार मैंने सवाल रखा था कि हमारे क्षेत्र में जो नाले हैं उनसे गांव के गांव बह गये हैं और फसलें नष्ट हो गई हैं। पहाड़ के अन्दर जो बाढ़ आती है उससे गांव तथा खेती नष्ट हो जाती है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि १३ तारीख को पहाड़ी क्षेत्र के संबंध में वक्तव्य देंगे। तो मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो बारिश हुई है उससे तमाम गांव जलमग्न हो चुके हैं और खेती नष्ट हो गई है। आपने जो इस संबंध में अनुदान रखा है उसमें इतना कम प्राविधान है कि उससे केवल ज्यादा से ज्यादा २०० रु० ही मिल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम सेवक यादव का सुझाव आया है कि यहां बहस हुई थी और आप लोग ५ दिन अपने क्षेत्र में गये। जो आपको कठिनाई हो, जो आपके अनुभव हों, उसको आप लिखकर भेज दें और तब मुख्य मंत्री बयान दें तो हल निकलेगा।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

जितनी लोगों की तबाही हुई है उसको भाषण देकर समझा दिया जाता है। नारायणी के उस पार करीब ३० गांव बह गये। उन गांवों में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं गया और न ही राशन पहुंचा। ३० गांवों के बीच में केवल १५ गांवों में बंटा है। जितनी तबाही हुई है उसके हिसाब से कुछ भी राहत का काम नहीं चल रहा है। हमारे सामने एक आदमी मर गया.....

श्री अध्यक्ष--

वहां पर नारायणी की बाढ़ है और यहां पर श्री नारायण की बाढ़ है।

*चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, यह बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है। पुरानी समस्या है जिससे हमारा सूबा ही नहीं, बिहार, बंगाल खासतौर से आक्रान्त रहे हैं वर्षों से--दशाब्दियों से और अभी तक कोई समुचित समाधान नहीं निकला। इस समस्या के दो पहलू हैं-- पहला बाढ़ न आये इसका प्रबन्ध किया जाय, और दूसरा बाढ़ के आने से जो कष्ट लोगों को हुआ उसका निराकरण कैसे किया जाय? जहां तक दूसरे पहलू का ताल्लुक है, जैसा माननीय राम सेवक यादव जी ने कहा मैं उनके सुझाव से सहमत हूं। जो मुख्तलिफ जिलों से विधायक अपने-अपने जिले से लौटे हैं वह सब चाहे वह किसी दल के हों--अपने जिले में क्या नुकसान हुआ है वह मुख्य मंत्री जी को लिखकर दें। मैं तो यहां तक चाहूंगा कि मुख्य मंत्री उनको बुलायें और उनसे बातचीत करें और जितना रिलीफ कार्य हो सकता है वह पहुंचाया जाय। लेकिन जो कुछ भी रिलीफ है वह तो कम होगी, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता। दो-चार महीने के लिये काम चल जायेगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती।

एक पुरानी कहावत है कि सारे किये धरे पर पानी फिर गया। जितने भी विकास के कार्य हैं वह भी सब व्यर्थ चले जाते हैं और हमारे सूबे के विकास न होने का एक बड़ा कारण यह भी है--बाढ़ का आना। हमारे प्रदेश के बहुत बड़े भाग पर बाढ़ आती है। लेकिन इसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाढ़ के कारण क्या हैं? मैं इस समय उस तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि ५३-५४ में हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी ए० सी० मित्रा के अन्डर में जो उस समय चीफ इन्जीनियर थे, उसके चेयरमैन थे। वह रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। मेरा सुझाव यह है कि उस रिपोर्ट को दृष्टि में रखकर अपने सूबे के जो विशेषज्ञ हैं।,उस वक्त, उनसे कहा जाय कि उसको स्टडी करें और अगर कुछ घटाव-बढ़ाव या संशोधन या सुझाव दे सकते हैं वह दें क्योंकि इन २० सालों के अन्दर हो सकता है कोई और नया ज्ञान, नया तजुर्बा हुआ हो दूसरे देशों से, उसको भी बतावें? लेकिन मैं मुश्किल से ही समझता हूं कि कोई नई चीज हुई होगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उस पर कहां तक अमल हो सकता है यह देखें क्योंकि जो सुझाव हैं वह कोई आसान नहीं है? उसके सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय लेने होंगे और वह दृढ़ निश्चय लेने होंगे एफोरस्टेशन के सम्बन्ध में। आज जो हमारे फारेस्ट हैं उनकी रक्षा करने के सम्बन्ध में और वह आम तौर से कोई भी गवर्नमेन्ट और चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाता क्योंकि उसे चारों तरफ से दबाव पड़ते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इनकी रक्षा की जाय।

सन १९५६ में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया और यह तय किया कि संतुलित एकोनोमी के लिये आवश्यकता है कि एक-तिहाई भूमि का क्षेत्रफल दरख्तों के नीचे हो हमारे देश में २३ प्रतिशत है। अपने सूबे में १५ १६ प्रतिशत है और वह भी कम होता जा रहा है। पंजाब को छोड़ कर सबसे कम फारेस्ट एरिया हमारे यहां है। सोच-विचार करने के बाद किसी नतीजे पर गवर्नमेन्ट पहुंचे तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन या एप्रूवल इस सदन से कराना चाहिये बाढ़ आयी, फौरी बात है, जो कुछ कर सकते हैं करें लेकिन असल बात यह है कि किस तरह से बाढ़ रुक जाय या बिल्कुल न आये। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं अनुगृहीत हूं माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये। विशेष रूप से चौधरी साहब के प्रति अनुगृहीत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हूं क्योंकि उन्होंने बाढ़ के सिलसिले में जो बुनियादी बातें हैं उन पर प्रकाश डाला है। जो सलाह उन्होंने दी है वह वाजिब सलाह है। माननीय रामसेवक जी की सलाह और चौधरी साहब ने जो बातें उसमें जोड़ी हैं वह मुनासिब है। बाढ़ के सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं पूर्व के दो-चार-पांच जिलों में घूमा। हर जगह मोटर से कर नहीं सकता था इसलिए जहाज से किया। हर जगह जहाज दिखला नहीं सकता था। ४००–५०० फुट की ऊंचाई पर चहाज था। बलिया भी मैं गया और मुझे दुःख है कि इधर के हमारे चौधरी साहब को हमारा जहाज दिखाई नहीं दिया। जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, चौधरी साहब ने जो बात बतलायी बिल्कुल ठीक है कि माननीय सदस्य बिला पार्टी का लिहाज किये बैठ जायं और बात करें। मैंने गोरखपुर में सभी विधायकों को आमन्त्रित किया था। गोरखपुर में कोई नहीं आया। आजमगढ़ से माननीय रामसुन्दर, देवरिया से बांके लाल, कौशिक जी और कृपा शंकर राय थे। हम लोग चार से पांच बजे तक बैठे और सबके विचार सुने और कुछ निश्चयों पर भी पहुंचे। जो लोग वहां नहीं पहुंच सके थे तो यहां पर आपस में बैठकर, मिल कर एक कागज बना दें तो बात-चीत करने में अच्छा रहेगा। रह गया यह कि मैं बुलाऊं तो मुझे कोई उज्र नहीं है।

कल प्रेसीडेन्शियल कैंडीडेट आ रहे हैं, उसमें फंसा रहूंगा। १५ तारीख को इंडिपेन्डेन्स डे है। पूर्वाह्न में लखनऊ में रहूंगा और उसके बाद कानपुर में रहूंगा। यह परम्परा पहले से चली आ रही है। फिर १७ तारीख को प्रेसीडेन्शियल चुनाव होगा। इसके बाद मैं इतवार को दिन भर बैठने के लिए तैयार हूं। अलग-अलग जिले के विधायक बैठें। उस दिन बैठने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात चौधरी साहब ने वनों के सम्बन्ध में कही वनों के काटने के सम्बन्ध में और वहां पर लोगों को बसाने के सम्बन्ध में उसका भी नतीजा भुगतना पड़ रहा है और वह भी एक जबरदस्त कारण है। उसमें जब इतना बड़ा सहयोग विपक्ष से मिल रहा है तो सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये। १९५४–५५ की के० सी० मित्रा साहब की जो रिपोर्ट है उसे भी दिखाऊंगा। यह सूचना मैं दे दूं कि जो बाढ़ से हानि हो रही है वह उत्तर प्रदेश की सरकार की शक्ति के बिलकुल बाहर है उसमें मदद देना। बस्ती जिले में जितना नुकसान हुआ है लोगों की याददाश्त में इतनी बाढ़ कभी नहीं आई जैसा कि इस साल आई। घर डूबे हुए हैं पानी के नीचे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

घर गिर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माधव बाबू कह रहे हैं मकान गिर रहे हैं। कई जगह मकान पानी के नीचे ध्वस्त हो गये होंगे। फिर पानी जब हटेगा, धूप पड़ेगी तो चटक कर गिरेंगे भी। बस्ती में सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है। फिर गोरखपुर व देवरिया में हुआ है। कुछ नदियों में पानी बढ़ने से हुआ और कुछ रेल, रोड, पुलिया और साइफन के कारण पानी का बहाव रुकने से हुआ और उसमें देवरिया का हिस्सा पड़ता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इंजीनियरों के कारण भी बहुत कुछ हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने केन्द्रीय सरकार को सूचना दे दी है कि हमारी शक्ति के बाहर है। यह सही है कि बस्ती में गल्ला कम भेजा था लेकिन माधव बाबू को सुन कर प्रसन्नता होगी कि कल सुबह ७ बजे तक चना वहां पहुंच गया होगा। चने को महंगे भाव पर खरीद कर जगह-जगह से वहां भेजा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे क्षमा करेंगे बांसी में ७ बजे तक कोई चीज नहीं पहुंची । दो-तीन मर्तबा पहले भी इस सदन में आश्वासन दिया गया लेकिन उनमें से किसी की पूर्ति नहीं हुई । मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं लेकिन ५ रोज पहले जो आश्वासन दिये गये थे उनकी पूर्ति नहीं हुई ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--

कल बस्ती में पहुंचा होगा, बाद में बांसी में भी पहुंच गया होगा । पकाने के साधन न होने से चना भेजा गया है ताकि लोग भिगो लें, अंकुर आ गया और खा लिया जिससे लोग जीवित रह सकें । पशुओं के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि जहां कहीं जंगल हैं घास नीलाम करने के बजाय पशुओं को जाने की इजाजत दे दी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वसूली भी माफ कर दें?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वसूली मुल्तवी तो कर दी है । जहां तक माफी का सवाल है जहां ५० फीसदी से १०० फीसदी हानि हुई होगी वहां माफी की जायगी । यह हिसाब जोड़ना होता है कहां माफी योग्य है । यह भी व्यवस्था कर दी है कि ६ महीने तक जुलाई से फीस न मांगी जाय । बजट में कुल इस काम के लिये ३ करोड़ १४ लाख रुपया रखा गया है जो नाकाफी है । फिर अभी तो जो विभीषिका आई है उसकी शुरुआत है, अन्त नहीं है । फिर पूर्व अकेला नहीं है, मथुरा का जिला है । वहां गर्की आ जाती है । कुछ ऐसा हो गया है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह उत्तर प्रदेश में मुसीबत आती है । यह जरूर है कि नेपाल से आने वली नदियां पूर्व के जिलों में जबरदस्त हानि पहुंचाती हैं । फिर गोविन्द सिंह जी ने पहाड़ों की बात कही । हर जगह वायरलेस भेज रखे हैं और सूचना मांग रखी है । जिस दिन सूचना एकत्रित हो जायगी सदन में बयान कर दूंगा वैसे पहाड़ों से, हर जगह से खबर जल्दी मंगाना आसान भी नहीं है । इतना जरूर निवेदन करूंगा कि वृक्षारोपण के जरिये वनों को बचाने के लिये चौधरी साहब ने जो अपील की है उसमें सहमति देवें या सारा सदन एक राय से इस बात को कहे कि वनों को काटने के सम्बन्ध में कोई भी दल काम न करे । सभी को एक राय का होना चाहिये कि वन बढ़े, वन लगें और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है हमारे पास केवल १५/१६ फीसदी वन हैं उन्हें बनाये रखें । जहां तक अग्रिम बात करने का सवाल है अगले इतवार को हम बैठ जायेंगे तब तक इस बीच जो स्थिति प्रकाश में आयेगी, आपको बता देंगे ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आजमगढ़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई भी राहत के कार्य अभी तक नहीं दिये गये हैं । मुख्य मन्त्री जी रविवार को मीटिंग करेंगे और तब तक वहां लोग भूखों मर जायेंगे.....

श्री अध्यक्ष--

नोटिस तो आपकी नहीं है । मोतीलाल देहलवी जी की है । वे कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों के विचारों से आप भी इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रदेशीय सरकार को जो सहायता करनी चाहिये वह हो नहीं पा रही है या यह एक मजबूरी है । क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि इसके लिये हमारे पास ३ करोड़ का ही लगभग बजट होता है । इसी ख्याल से हमारे वित्त मन्त्री केन्द्रीय सरकार

[श्री मोती लाल देहलवी]

से सहायता के लिये गये और केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री ने एकदम उन्हें कठोर जवाब दे दिया कि सूखा पड़े चाहे बाढ़ आवे, हम से कोई मतलब नहीं है, अपनी-अपनी सहायता खुद करो। तो इस तरह का जवाब केन्द्र के वित्त मन्त्री ने दिया। साथ ही कांग्रेस के लोगों से मुझे यह भी सूचना मिली है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी बहुगुणा जी से नाराज हैं—इलाहाबाद के चुनाव में हार जाने की वजह से। इसीलिये केन्द्रीय सरकार हमारे सूबे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है....

श्री अध्यक्ष——

यह तो भाषण का विषय हो सकता है लेकिन इस समय नहीं.....

श्री मोतीलाल देहलवी——

केन्द्रीय सरकार हमसे गेहूं मांगे, केन्द्रीय सरकार हमारा सारा धन इकट्ठा करे और जब हम पर कोई मुसीबत, आपत्ति या मुसीबत आवे तो केन्द्रीय वित्त मन्त्री हमारे वित्त मन्त्री को इस तरह का जवाब दें, तो अध्यक्ष महोदय, या तो हमारे वित्त मन्त्री उनको कन्विन्स नहीं कर पाये, अक्षम हैं कि इस तरह का जवाब लेकर चले जायें या कुछ और बात हुई। इस सम्बन्ध में मैं बहुगुणा जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है मोतीलाल जी का जवाब करना तो बहुत कठिन है। वह इस सदन की सबसे बड़ी शोभ हैं उनकी बात का उत्तर देना अनुचित है। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि वे पांच साल तक इस सदन की शोभा बने रहें और उस शोभा और आदर्शों से बराबर हमें प्रभावित करते रहें। मान्यवर, इससे बड़ी गलत और जबरदस्ती वाली बात कोई हो नहीं सकती कि यदि कोई यह कहे कि प्रधान मन्त्री मुझसे नाराज हैं और मेरे कारण इस सूबे को कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसे मौके पर जब कि प्रदेश बाढ़-ग्रस्त हो, मुसीबत में हो, राजनैतिक हथकन्डे की बात करना कोई बड़े भारी स्तर की बात नहीं है। यह सब मैं चौधरी साहब के ऊपर छोड़ता हूं। सदन में माननीय देहलवी जी काफी अध्ययन के बाद आते हैं किन्तु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को भी देख लें जिसमें यह कहा गया है कि सारे देश के सूबों के लिये बाढ़, सूखा और समुद्र की लहरों से कटने आदि के लिये ३-४ साल के आंकड़ों को जोड घटा कर रुपया डाल दिया कि यह सेन्ट्रल असिस्टेंस टोटल है, इसी में से निकालो, जो कुछ निकालना है। मेरे ही साथ अकेला नहीं है। केरल में है, असम में है, सब जगह एक ही स्थिति, एक ही व्यवहार है। अकेले उत्तर प्रदेश नहीं है।

चौधरी चरण सिंह——

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देहलवी जी पर बहुत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे आपकी कुछ मदद ही हो जाएगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

चौधरी साहब जब तक मौजूद हैं, हमें दूसरा मददगार नहीं चाहिये। मैं प्रोटेस्ट करता हूं कि उनके रहते मुझे किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए। आपकी मौजूदगी में मुझे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। तो जो बात हो रही थी, उस फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी हम केन्द्रीय सरकार के साथ जिद्द कर रहे हैं, लिखा-पढ़ी और पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की मदद की सेन्ट्रल से और मांग करना उचित नहीं है। ब्रह्मपुत्र ने असम में जो विपदा ढाई है, तो असम सरकार को कितना रुपया केन्द्र से गया है ? उड़ीसा में जो खाड़ गया है, उसमें उनको कितना रुपया मिल गया है....

श्री मोतीलाल देहलवी--

लेकिन आप मांगने गये तो आपको भगा दिया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं उनका जवाब तो नहीं दे सकता हूं, मेरी बदकिस्मती है कि नका जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ में जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनमें एक.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मुझे खेद इस बात से है कि....

श्री रामआधार--

आजमगढ़ की बाढ़ के विषय में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, उसकी कोई चर्चा नहीं । श्रीमन्, आपने भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया । आजमगढ़ में कोई सहायता भी नहीं दी गई है । वहां पर घनघोर बाढ़ आई हुई है । मैं आपकी इस कार्यवाही के विरोध में सदन से वाक-आउट करता हूं ।

(श्री राम आधार सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामसेवक यादव--

यह मेरा इतना महत्वपूर्ण विषय है....

श्री अध्यक्ष--

आप इसके लिये लिखकर सुरक्षा के लिए कह सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव--

मेरा सरकार पर आरोप है, सरकार इन सबके लिए जिम्मेदार है। यह बाकायदा एक षड़यंत्र है । इटावा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने प्रेस-कांफ्रेंस करके यह स्पष्ट कहा कि दो विधायक इटावा जिले के हैं-एक सत्तारूढ़ दल के हैं जो अजीतमल क्षेत्र से चुनकर आए हैं और दूसरे विधायक मैनपुरी जिले के हैं, जो किशनीगढ़ क्षेत्र के हैं--दोनों विधायक, दस्यु सरदार बृजवासी सिंह जो पकड़ा गया है, उसे बड़े नाटकीय ढंग से संरक्षण दे रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि एक विधायक महोदय उनके पास गये और उनसे कहा कि यदि वह अपना शिकंजा ढीला कर दें तो वह उसे हाजिर कर सकते हैं । फिर इतना ही नहीं हुआ, यहां पर जब गृह मन्त्रालय की मांगों पर बहस हो रही थी, तो उस समय हमारे दल के भारत सिंह चौहान ने कहा था कि इसी व्यक्ति के द्वारा उनकी जान को खतरा है । उसने अपने बयान में यह बताया है कि हमने नत्थू सिंह विधायक को मारने का प्रयास किया । इस तरह से उसने श्री चौहान को भी मारने की चेष्टा की थी। सत्तारूढ़ दल के ये दोनों विधायक इसे प्रश्रय देते हैं, रा नैतिक संरक्षण देते हैं और सत्ता का प्रयोग करके २ साल से जो वहां एस० पी० था उसका.....

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये तो उचित यह होगा कि आप अल्पसूचित प्रश्न करें या फिर नियम ५२ में भेजें.....

श्री रामसेवक यादव--

शायद जाने या अनजाने उस एस० पी० को जो दो वर्ष से वहां था यह सारी घटनायें चलती रहीं और उस बात के लिये मैंने गृहमन्त्री जी पर आरोप भी लगाया था कि भारत सिंह चौहान जी की जान को उसी व्यक्ति से खतरा था और वह इतना शातिर है कि वहां स्थानीय अधिकारियों को उसके पकड़ने के लिये इनाम का ऐलान करना पड़ा, और जब उसके पकड़े जाने की नौबत आयी तो ये दोनों कांग्रेस के विधायक जाते हैं और कोशिश करते हैं उसको छुड़वाने की और फिर उसके साथ सत्ता का इस्तेमाल करके पुलिस कप्तान का स्थानान्तरण करवा दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो सूचना है वह इस प्रकार है....

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

एक मिनट तो मुझे सुन लीजिये, मेरे जिले का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो कुछ आपने लिखा है वह तो सिर्फ अखबार की सूचना पर आधारित है ।

श्री रामसेवक यादव--

यह अखबार की सूचना नहीं है । यह तो प्रेस कांन्फ्रेंस को वहां के एस० पी० ने ऐड्रेस किया है और एक अखबार में ही यह चीज नहीं निकली है और भी कई अखबारों में यह निकली है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्रीमन्, 3 तारीख को एक प्रेस सम्मेलन हुआ इटावा में भी उसमें श्री सतीशचन्द्र चौबे, जो इटावा के पुलिस अधीक्षक हैं, स्वीकार किया कि नत्थू सिंह विधायक को यह ब्रजवासी डाकू मारना चाहता था और उसके अन्तर्गत जो कुछ चर्चा हुई वह सब उन्होंने स्वीकार किया। इससे पहले जो वहां का दैनिक "देशधर्म" अखबार है उसने भी सूचना दी थी और उससे भी पहले सैनिक अखबार ने यह सूचना दी थी। उसके बाद यह प्रेस सम्मेलन हुआ था, यह यह सब तथ्य है जिसको वहां के एस 0 पी 0 ने स्वीकार किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि राजनैतिक संरक्षणइस डाकू को प्राप्त था। उसमें दो विधायक, एक तो किशनी क्षेत्र के श्री मुंशीलाल चमार और दूसरे अजीतमल क्षेत्र के श्री गौरी शंकर के हाथ को भी स्वीकार किया है और कि वह रायल होटल की दूसरी मंजिल पर वह डाकू रहा इसका भी जिक्र किया गया है और यह भी सत्य है कि श्री गौरी शंकर, एम 0 एल 0 ए 0 के कमरे में भी यह रहा । चार हजार रुपये पर सौदा तय हुआ था कि हम तुमको इटावा की किसी अदालत में सरेन्डर करा देंगे लेकिन पैसे के मामले में कुछ गड़बड़ी होने के कारण और कुछ पुलिस अधीक्षक का कड़ा रुख होने के कारण यहां आकर मुख्य मंत्री जी तक मामला ले जाकर उस पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का स्थानान्तरण करा दिया तो इस प्रकार नत्थू सिंह विधायक की हत्या के प्रयास और भारत सिंह चौहान को धमकी दिये जाने के बाद उनके लिये कुछ तो संरक्षण होना चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह--

अगर आप इजाजत देने जा रहे हैं तो मैं बैठा जाता हूं और इजाजत देने के हक में अगर आप नहीं हैं तो कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप भी मानेंगे कि यह सूचना अखबार के आधार पर है ।

चौधरी चरण सिंह--

हवाला तो अखबार का आयेगा ही तो हम और आप तो मौजूद नहीं थे, आपके पास और किसी की चिट्ठी भी नहीं आयी तो फिर जो सूचना विधायक के पास आयेगी उसी के आधार पर तो वह कहेंगे। इसमें प्रेस सम्मेलन में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कहा है कि किसी दूसरे मामूली व्यक्ति की बात नहीं है कि गवर्नमेंट पार्टी के जो विधायकों ने क्या किया है। इसमें अखबार की बात उतनी नहीं है। प्रेस सम्मेलन होता है बाकायदा और उसमें पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट जो निहायत ईमानदार किस्म का अधिकारी है उसका स्वयं कहना है कि इस डाकू को पोलिटिकल पैट्रेनेज मिली थी और इससे ज्यादा और क्या पोलिटिकल पैट्रेनेज की मिसाल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उस डाकू का बयान है उस पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट के सामने कि मैं यह काम करना चाहता था और तीसरी बात यह है कि डाकू की पीठ पर रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स हैं और मेरा ऐलीगेशन यही है कि श्री राज मंगल पान्डेय जी बैठे हुये हैं मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल इन्हीं की बात नहीं है मेरे पास इसी तरह की और भी बहुत सी इत्तलायें हैं। आजमगढ़ जिले की बात है हमारा कन्डीडेट वहां कुछ वोटों से हार गया। अब जो कांग्रेस के कन्डीडेट वहाँ जीत गये वह किस तरह लोगों को वहां परेशान कर रहा है और वहां कत्ल तक की नौबत आ रही है और इन सब बातों ने प्रदेश के प्रशासन को किस स्तर पर पहुंचा दिया है और उसका कारण है वे सरकारी पक्ष के लोग जो समझते हैं कि हम जो कहते हैं वही कानून है, जो हम कहेंगे वह होगा, हम लोग कुछ कहेंगे वही मुख्य मंत्री जी करेंगे और लिहाजा उनके आफिसरान को वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। जो मुखालिफ लोग चुन कर आये हैं, और जिन लोगों ने उनको वोट दिये हैं, वह देश के दुश्मन हैं, दे विल बी लिक्युडेटेड। यह मर्ज की एक अलामत है, एक लक्षण है जिससे बाडी पालिटिक सफर कर रही है। मेरा निवेदन है कि आप इसके लिये इजाजत दे दें और दो घंटे नहीं तीन घंटे बहस हो। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने जो डाकू का बयान है, सुपरिन्टेन्डेन्ट ने प्रेस कांफ्रेंस में जो सवालों के जवाब दिये हैं, वे आएं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट वहां की है, डी० आई०जी० की आयी है, वह रिपोर्ट यहां आये, जिसमें सारी सच्चाई आ जाय।

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बार जब अपने इलाके में गया तो मुझे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इटावा की २५ जुलाई की लिखी चिट्ठी मिली। उसमें उन्होंने लिखा था कि आपके जो भाई विशम्भर सिंह चौहान, एडवोकेट हैं और औरइया के ब्लाक प्रमुख हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इटावा जेल में बन्द किसी व्यक्ति ने दो चिट्ठियां वकील साहब के पास भेजी हैं। औरइया इलाके की डकैती के बाद राम औतार काछी नाम का व्यक्ति आपके भाई श्री भारत सिंह चौहान के मर्डर का प्लान बना रहा था। उससे गौरी शंकर विधायक जेल में मिलने गये और उससे उन्होंने मदद का वादा किया। ऐसी चिट्ठियां जब हमारे भाई को मिलीं तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ पुलिस कप्तान को लिखा। उसके बाद कप्तान पुलिस ने मुझे चिट्ठी लिखी कि मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग आपकी हत्या करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। इस लिए अगर आप चाहें तो आपके खर्चे पर सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था हो सकती है। मैंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद बृजवासी डाकू पकड़ा गया। तो बृजवासी ने इंटरोगेशन में जो बयान दिया उसमें कहा कि हम नत्थू सिंह विधायक का मर्डर करने गये थे। गौरीशंकर के यहां रुके। वहां मुझ से चार हजार रुपये की मांग हुई। गौरी शंकर ने कप्तान पुलिस से कहा कि अगर किसी तरह से उस पर कार्यवाही न हो तो मैं उसको इटावा की अदालत में हाजिर करवा दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह--

गौरीशंकर कौन हैं यह बताओ ?

श्री भारत सिंह चौहान--

गौरीशंकर अजीतमल क्षेत्र के विधायक हैं सत्तारूढ़ दल के हैं । मुंशीलाल किछनी क्षेत्र के विधायक हैं । बृजवासी ने इंटरोगेशन में इन दोनों के नाम लिए हैं । उसमें यह भी स्वीकार किया है कि नत्थू सिंह की हत्या का उस दिन मौका नहीं लगा । चार हजार रुपये तय हुए थे । तब ग्वालियर में नाटकीय ढंग से पकड़ा गया और वहां से रिमांड पर इटावा लाया गया । उसकी रिपोर्ट मांग ली जाय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इटावा जिले के सभी पुलिस थानों से, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, पुलिस कप्तान, और सरहदी थानों से पूछा जाय और रिपोर्ट मांगी जाय । इन बातों पर ब्योरेवार जांच की जाय कि यह दोनों विधायक किस तरह से क्रिमिनल, अराजक तत्वों को सारे जिले में संरक्षण दे रहे हैं और हम लोगों की हत्या कराने पर तुले हुए हैं । न केवल बृजवासी का बयान मैंने बताया, उसकी आयी हुई चिट्ठियां भी हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह आप लिख कर दें ।

चौधरी चरण सिंह--

उस सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस का जिसने प्रेस सम्मेलन में ये बातें कही थीं उसका ट्रांसफर कर दिया गया जिसका मतलब यह है कि ऐसे तत्वों को एक तरह से यह कह दिया गया कि हमने उस अफसर को हटा दिया है जो तुम्हारे पीछे पड़ा था अब खुल कर खेलो ।

श्री भारत सिंह चौहान--

उस पुलिस कप्तान को हटा कर जिस पुलिस कप्तान को पोस्ट किया गया उसका ट्रांस्फर कैंसिल कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह अखबार के आधार पर आपने लिखा है । अब, एक माननीय सदस्य का मामला है यहां के दूसरे माननीय सदस्यों का भी मामला है, यह तो उठ सकता है अगर आप लिख कर दें, हमारी जान का खतरा है । तब वह मामला उठ सकता है । विशेषाधिकार का हो सकता है, लेकिन ५६ में कैसे होगा ?

श्री रामसेवक यादव--

जो आरोप है वह सत्तारूढ़ दल के ऊपर कायम हो रहा है । प्रेस सम्मेलन में एक जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक ने इन सारी चीजों को कहा, उस पर डी० आई० जी० वगैरह को, सारी चीजों की रिपोर्ट भी है। जब तक सारी चीजें न आ जायं तब तक आप इसको रोके रखें और फिर जिस अधीक्षक का शासन द्वारा स्थानान्तरण हुआ है उसकी जिम्मेदारी शासन की हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--

उसमें हम नहीं जाते हैं ।

श्री रामसेवक यादव--

शासन की जिम्मेदारी हो जाती है। आप सारी जानकारी कर लें तब कोई निर्णय दें। उनकी रक्षा का सवाल अलग है ।

श्री अध्यक्ष--

हम निर्णय नहीं दे रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव--

जब यह स्थिति हो जाय कि अराजकता फैली हो और उसको कोई रोके तो सत्तारूढ़ दल के विधायक जिसकी पहुंच है उसको संरक्षण दे और उसको अपनी शक्ति को इस्तेमाल करे तो जाने-अनजाने शासन की ही जिम्मेंदारी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह बहुत ही गंभीर मसला है। 22 महीने के एनकाउन्टर में एक पुलिस अधीक्षक ने रामलखन डाकू को मारा, इसने नत्थू डाकू को मारा, इस तरह दर्जनों डाकुओं का सफाया किया और इस तरह से बृजवासी को पकड़ा और विद्या राम डाकू जो अभी भी मौजूद है और पकड़ा नहीं गया है, वह फरार है और मुंशीलाल एम0 एल0 ए0 का रिश्तेदार है। इस अधीक्षक ने डाकू कहां रहते हैं, कहां खाते हैं, सारी जानकरी हासिल कर ली। इसलिये उनको चिन्ता हुयी कि अगर यह पुलिस अधीक्षक जिले में रहेगा तो इन डाकुओं का सफाया कर देगा। लिहाजा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री मुन्शी लाल, एम 0 एल 0 ए 0 ने उक्त पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाया और उसका स्थानान्तरण कराया। अब खांडा और विद्याराम दो डाकू रह गये हैं जिनसे उनकी सांठ-गांठ है। यह बहुत ही गंभीर मसला जब तक इस पर सदन में चर्चा नही होगी तब तक तथ्य सामने नही आयेंगे। दोनों जिलो की जनता इसको समझती है और एस0 पी0 की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)--

मान्यवर, आपने निर्णय दे दिया है कि अखबार को आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं लीगल काम्प्लीकेशंस में न जाकर चौधरीसाहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो शासन कभी भी नही चूकेगा और ऐसा विधायक घृणित कार्य में लगा है तो उसको संरक्षण दे। उनकी बात का विश्वास करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेन्ट हुआ है उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। हमारे सामने चौधरी साहब की बातों की एडमिसिबिलिटी है। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं होने की। मैं आज ही देख लूंगा और अगर इस आधार पर स्थानान्तरण हुआ है तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और हम उनको संतुष्ट कर देंगे।

चौधरी चरण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा ही अहसानमंद हूं कि वह मेरे कथन की इतनी वकत करते हैं। लेकिन अखबारी रिपोर्ट का यहां सवाल नहीं है। माननीय भारत सिंह चौहान ने बताया कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस का पत्र उनके पास है और प्रेस सम्मेलन में जो कुछ कहा गया है उसको जानने का सिवाय अखबारों के और क्या तरीका है। श्री शतीशचन्द्र चतुर्वेदी को बुला लें। वह एक्सपेशनली इंटीग्रेशन का निहायत ईमानदार आफीसर है उससे सारी बातें मालूम हो जायेगी। इंटेलीजेन्स की रिपोर्ट भी मंगा लीजिये। किसी के कहने का सवाल नही है। जब अपना आफीसर है और थाने का इंचार्ज है तो उसको बुला लें।

श्री राज मंगल पाडेय--

मान्यवर, मैं सहमत हूं कि श्री सतीशचन्द्र चतुर्वेदी को बुला लिया जाय।

चौधरी चरण सिंह--

एस0 पी0 ने लिखा है कि अगर आप चाहें तो आप के खर्जे पर पुलिस गार्ड का इंतजाम कर दिया जाय। यह मामूली मामला नहीं है। एस0 पी0 कहता है कि आपके कत्ल का अंदेशा है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि दोनों विधायको को गवर्नमेन्ट अपने खर्चे पर उनकी हिफाजत के लिये एक नहीं दो शेडो देकर उनकी सुरक्षा का इन्तजाम करें।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मैं उनको बुलाकर पूछ लूंगा और चौधरी साहब को संतुष्ट कर दूंगा।

श्री राम सेवक यादव—

क्या यह भी सही है कि यह जो पुलिस अधीक्षक थे श्री चतुर्वेदी उनकी जगह पर कोई सिंह साहेब पहुंचने वाले थे और उनका भी ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। चतुर्वेदी को बुलाकर चौधरी साहेब को सन्तुष्ट कर दूंगा।

आजमगढ़ जिले के चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अभी ५१–५२ के नियम के मातहत चकबन्दी विभाग स्टाफ जो आजमगढ़ में कार्य कर रहा है, के बारे में श्री राम बचन यादब ने प्रश्न उठाया। माननीय स्वामी प्रसाद सिंह भी मौजूद हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। यह बात सामने आयी कि जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर। कन्सालीडेशन हैं वह मौके पर गये, उनको अनेक अनियमितताएं और गलतियां मिलीं और उन्होंने डाइरेक्टर को रिपोर्ट दी कि यह नाकाबिल आदमी हैं इनका ट्रांसफर हो और रिवर्सन हो। मुझको यह भी मालूम हुआ कि रेवन्यू सेक्रेटरी भी इसी राय के हैं, स्वामी प्रसाद जी बेहतर जानते होंगे रेवन्यू सेक्रेटरी की भी यही राय है कि उस आदमी को हटना चाहिये और सजा मिलनी चाहिये। राम बचन यादव को आश्वासन दिया गया कि इस अफसर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायगी। राजस्व मन्त्री ने मुख्य मन्त्री को नोट लिखा कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर होना चाहिये। अब यह मालूम हुआ ह कि उसका ट्रांसफर रोक दिया गया है और वह खुलकर रिश्वत ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? जब ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की रिपोर्ट उसके खिलाफ है, रेवेन्यू सेक्रेटरी की राय भी खिलाफ है और राजस्व मन्त्री ने भी उसके ट्रांसफर के लिये लिखा है तो फिर उसका ट्रांसफर कैसे रुक गया? यह कहां तक वाजिब है?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा यह बात सही है कि उसने अनियमितताएं की थीं। मैंने भी आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जहां तक प्रश्न ट्रान्सफर को रोकने का उसका मुझे इल्म नहीं है। उसको विभाग से निकलने की आवश्यकता है और उस पर ऐक्शन होने की आवश्यकता है।

चौधरी चरण सिंह—

आपके जरिये कहना चाहूंगा कि जो वहां के विधायक हैं उनके मुताबिक मुझे यह बातें मालूम हुई हैं। जब कोलिशन गवर्नमेंट थी उस वक्त भी सी० आई० डी० की रिपोर्ट इसी किस्म की थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मेरे जरिये कुछ नहीं हुआ। नियुक्ति विभाग से कन्सर्न है। मैंने जैसा कहा कि पता लगाकर देखूंगा मुझे जहां तक याद है कि कुछ शुरू में नाम दिये थे कि मेरे विभाग से इनको जाना चाहिये। मेरी तरफ से कोई ऐसा नोट नहीं गया है कि इसका ट्रान्सफर न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह—

आपकी तरफ से है ही नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुछ मुझे उसका भी पता नहीं लेकिन मेरी ओर से कोई नोट नहीं गया है कि इनका ट्रान्सफर रोका जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें—(क्रमागत)

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)—

चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगा है इसलिये मुझे सफाई का मौका दिया जाय,

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

हम लिखित बता सकते हैं । इन्होंने पूरे प्रशासन को गन्दा कर दिया है । समाज विरोधी लोग चुन कर आये हैं । ये दिन भर दफ्तरों में घूमा करते हैं और होटलों में दिनरात खाते रहते हैं । इस सदन के माननीय सदस्यों का चरित्र तो बहुत ऊंचा होना चाहिये । जिस प्रकार से बहुत से पेशेवर लोग कचहरियों में घूमा करते हैं, उसी प्रकार से ये यहां पर दफ्तरों में घूमते रहते हैं । इसे कोई भी भला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है । ऐसे विधायकों ने तो इस हाउस को दूषित बना दिया है । (माइक काट दिया गया)

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप किसी को नहीं कह सकते हैं ।

श्री गौरी शंकर—

श्रीमन्, जो आरोप मेरे ऊपर लगाये गये हैं, उनकी सफाई का आप मुझे मौका दें ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें एक मुंशीलाल चमार और श्री गौरी शंकर के नाम आये ।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह तो मुनासिब बात नहीं है कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगायें और आप हमें अपनी सफाई का भी मौका न दें ।

श्री गंगा प्रसाद—

श्रीमन्, क्या विधायकों का यह ही चरित्र रह गया है। इनसे गिरा हुआ और क्रिमिनल आदमी और कोई नहीं हो सकता है ।

(माइक काट दिया गया)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं । आप बैठिए ?

श्री गंगा प्रसाद—

मैं तो जनरल बातें कहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से जनरल बातें नहीं कहेंगे, आप बैठें ।

श्री गंगा प्रसाद—

श्रीमन्, ये यहां पर दफ्तरों में घूमते फिरते हैं ।

श्री गौरी शंकर—

आप अपनी बात कह चुके हैं । जब मैंने आपकी बात में कोई व्यवधान नहीं डाला मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी बात सुनें। मेरे ऊपर एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि मेरा सम्बन्ध बहुत ही असामाजिक तत्वों से जिनको डाकू कह सकते हैं, उनसे रहा है और उनके माध्यम से मैंने किसी विधायक की जान लेने की कोशिश की है, षडयन्त्र किया है। मैं यह कहता हूं कि ये सब चीज गलत है। मेरा अपना दावा है कि मैं छोटी उम्र का विधायक चुन कर आया हूं । मरा किसी ऐसे आदमी से सम्बन्ध नहीं रहा है और न मैं जानता हूं । हाई स्कूल मैंने अपने जिले से किया और इन्टरमीडिएट आगरा से किया, फिर एयर फोर्स में ४ वर्ष नौकरी की । फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र जीवन में प्रवेश किया और वहां से वकालत की डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त हाई कोर्ट में वकालत की और ३ महीने वकालत करने के बाद यहां आया ।

मेरा किसी डाकू से सम्बन्ध नहीं रहा और अगर कोई आदमी यह सावित कर दे तो मैं सदन की सदस्यता से ही त्याग-पत्र न दूं बल्कि इसके लिये मुझे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाय । इस सदन में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जो स्वयं ही गुण्डों बदमाशों को पालते हैं । मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है कि किस प्रकार ने मुझे जान से खतम कराने की साजिश हो रही है और जब उनके पास से ५–१० हजार रुपया आ जाय तो उसको छोड़वा देता था । आज उनकी रियासत खतरे में पड़ी । मैंने जाकर कह दिया कि यह सब चलने वाला नहीं है और मुख्य मंत्री जी से भी मैंने यह कह दिया कि इन्होंने मुझे खत्म कराने हेतु सौदा किया है, मेरे लिये जान का सख्त खतरा है और मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि लिख कर दे दो और उनके बारे में सी० आई० डी० की जांच आ रही है । अगर यह सिद्ध हो कि गौरी शंकर का संबंध किसी डाकू या चोर या छुरेबाज से या जेबकट से है तो मैं अदब से सम्मानित सदन से कहूंगा कि मुझे हाउस से निकाल दिया जाय और दण्डित किया जाय और उसी तरह का दण्ड झूठे लोगों को भी दिया जाय । लेकिन इसके अलावा यह कहना कि मैंने समाचार पत्र में स्टेटमेंट दिया है गलत है। मैं जब छात्र था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का । डाकुओं की कोई बिरादरी नहीं होती है । यह मैंने कहा था । एक लाखन सिंह था, मान सिंह था लेकिन सारी ठाकुर बिरादरी को उनके कृत्यों के लिये बन्द नहीं किया गया । सारे ठाकुरों को डकैत करार नहीं दिया गया । दुर्भाग्य से यह समाज की बदकिस्मती है कि कुछ हरिजन जाति के डकैत थे । एक रामलखन, एक राम नरायन था और यह जो डाकू पकड़ा गया बृजवासी यह भी हरिजन था । तो यह भ्रम फैलाया गया कि ये हरिजन विधायक हैं, ये हरिजन डकैतों को पनाह देते हैं । अगर एक भी दावा इस प्रकार का सही निकल आये तो मैं चुनौती सम्मानित सदन में रखूंगा कि मुझे कड़े से कड़ा दंड दिया जाय । लेकिन इस प्रकार के प्रचार से मान्यवर, अपने क्षेत्र में मेरा आना-जाना मुश्किल हो गया है । हमारे हरिजनों और गरीब लोगों ने कह दिया है कि जाओ, अब हमारे जो कुछ भी काम होंगे हम लखनऊ में करवायेंगे, आपको क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है । क्योंकि चौहान ने साजिश की है कि यह यहां पर आ जाय तो दिन-दहाड़े इसे खत्म कर दिया जाय और गोली से उड़ा दिया जाय और उलटे यहां यह कह दिया कि मैं डकैतों को पनाह देता हूं । चौहान साहब आ गये हैं । यहां मैं उपस्थित नहीं था एक दिन आपने

एक वक्तव्य बजट पर भाषण देते समय दिया जिसमें मुझ पर इस प्रकार के आरोप लगाये गये। मैं माननीय चौहान साहब को उत्तर देता हूं कि मेरा संबंध किसी भी असामाजिक तत्व से न कभी था, न आज है और मैं दावा करता हूं कि न कभी होगा। लेकिन किसी एक बिरादरी का कोई डकैत है तो यह कहना कि चूंकि अमुक डाकू चमार जाति का है और एक विधायक भी चमार बिरादरी के हैं तो जरूर उस डकैत से इनका संबंध होगा—यह तथ्यहीन है और निराधार है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके दिमाग में एक ऐसे वर्ग के प्रति जो कुत्सा और घृणा है उसका नतीजा सामने आया है कि जब वाक्-युद्ध से, विचारधारा से जीत नहीं सकते तो यह लांछन लगाना और अपने कुछ समाचारपत्रों को पैसा देकर यह निकलवा देना कि

मान्यवर, एक मिनट। जब बृजबासी पकड़ा गया तो एस०पी० ने कहा कि उसने यह कहा है कि हमें इटावा के और मैनपुरी के एम०एल०ए० की साइड थी और वह हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ी चोट कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के निराधार और तथ्यहीन आरोप जो मेरे विरुद्ध लगाये गये हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री··· (व्यवधान)

श्री भारत सिंह चौहान—

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। सिर्फ तीन आदमियों की समिति बना दी जाय। अगर वह इस नतीजे पर पहुंचें कि यह आरोप निराधार थे तो मैं असेम्बली से इस्तीफा देने को तैयार हूं···

श्री गौरी शंकर—

अगर बृजबासी को कोई इस तरह की मदद नहीं··· (व्यवधान) जैसा सम्मानित सदस्य को···· (व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

आपने हर प्रस्तावक को मौका दिया अपने प्रस्ताव पर कहने के लिये। आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था, मुझे भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

आप खड़े तो हुए नहीं।

श्री मोहन लाल कपूर—

मैं दो घंटे से बैठा हूं। आपने एक प्रस्ताव पर कितना-कितना टाइम दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरा है। आप भ्रम में हैं। आप नहीं खड़े हुये।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं तो बैठा था, आपने नाम ही नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष—

नाम का सवाल नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

आपने पढ़ कर भी नहीं सुनाया।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो दिया है वह इस लायक नहीं है कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव माना जाय ।

श्री मोहन लाल कपूर—

जब आप स्वयं कार्य-स्थगन प्रस्तावों को पढ़ कर सुनाते हैं तो मेरा क्यों नहीं पढ़ा ?

श्री अध्यक्ष—

पढ़ कर किसी को नहीं सुनाया । जिसको कहना था उसने कहा आपका नाम तो ऊपर ही था । आप नहीं बोले ।

श्री मोहन लाल कपूर—

मैं तो बोलने के लिये बैठा था । आपने मौका ही नहीं दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और सरकार की आदत सी हो गयी है । अभी दिल्ली में एक यूथ रैली हुई । उसमें मेरठ जिले सें आर०टी०ओ० मुजफ्फरनगर गये और एक-एक लाइन से मोटरें मांगी और मोटरें दी जाती हैं । इतना ही नहीं, एक पम्प से १० हजार रुपये का तेल दिलाया जाता है । यह कौन सा तरीका है ? इस तरह से रैली करना और सारे सरकारी तंत्र को लगाना, यह डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर विचार करने और बहस करने का आपको मौका देना चाहिये ।

श्री राज मंगल पांडेय—

क्या दिया ?

श्री मोहन लाल कपूर—

आर०टी०ओ० मुजफ्फरनगर गया और सारी बसें उनको फ्री दिलवायीं । मेरठ में भी यही हाल किया श्याम लाल कर के एक पम्प है जहां से मोदी के द्वारा १० हजार रुपये का तेल दिलवाया गया । यह सारे हथकंडे आप अपना रहे हैं और राजतंत्र का इस्तेमाल करके आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मेरे आगरा रीजन में भी यही हालत है । किसी को पैसा नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो कुछ लिख कर दिया ही नहीं, माननीय कपूर और ओमप्रकाश जी ने दिया था ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं और तो नहीं, कपूर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं । अगर कपूर साहब स्वतः ही कह दें कि मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ इन्सट्रक्शन्स आर०टी०ओ० को दिये गये हैं तो इसी वक्त मेरा इस्तीफा कपूर साहब के हाथ में होगा ।

श्री मोहन लाल कपूर—

आर०टी०ओ० ने यह काम किया । वह मेरठ से चल कर मुजफ्फरनगर जाता है । एक-एक लाइन पर गाड़ी मांगता है । यह आपके आदेश हैं या बहुगुणा जी के आदेश हैं, हमें क्या मालूम ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

न तो मैंने और न मुख्य मंत्री जी ने । मेरे स्पेसिफिक इन्सट्रक्शन्स थे कि वह गाड़ियां जिनको वहां के कार्यकर्ता पैसा दे कर लेना चाहें वह जायं लेकिन रोडवज को या किसी प्राइवेट बस को इस बिना पर न दिया जाय कि पैसा यहां से मिलेगा या आर०टी०ओ० बीच

में पड़े हैं । मैं कपूर साहब को ही पंच मान लेता हूं । अगर मेरा या माननीय बहुगुणा जी का कोई आदेश वह इस तरह का बता दें तो मेरा इस्तीफा उनके हाथ में है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

ऐसे में लिखित आदेश थोड़े ही जाते हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय—

आप मेरी बातों पर विश्वास कर लें । आप कभी ऐसी बात पायेंगे ही नहीं ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४†

*श्रम मंत्री(श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधयक, १९७४ पर विचार किया जाय । इस संबंध में मान्यवर, १९६२ में एक विधेयक बना था । उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी । इस विधेयक के द्वारा धारा ४ व धारा २२ में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं क्योंकि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी थीं । सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती थी मगर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। फर उनका स्टैंडर्ड भी दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था । जो नियम बने हुए थे उनका भी उल्लंघन बराबर हो रहा था । इन सब चीजों को ठीक करने के लिए ऐक्ट में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया जिसके लिये यह बिल लाया गया है। पहले सबसे बड़ी कठिनाई यह होती थी कि बोर्ड की जब मीटिंग होती थी तो उसमें, जो बोर्ड के पदेन अधिकारी होते थे सब सरकारी अधिकारी होते थे, और वे अकसर भाग नहीं ले पाते थे । इस तरह बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जाती थी।

अब यह संशोधन कर रहे हैं कि अधिकारी स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो, यथास्थिति, उपमुख्य अभियंता या उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकते हैं जो बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं और कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं । इसी प्रकार एक नयी धारा २२-घ जोड़ी जा रही है जिसमें यह है कि निदेशक किसी सम्बद्ध संस्था का समय समय पर निरीक्षण कर सकता है। इस तरह से सरकार का कुछ कंट्रोल उन संस्थाओं पर हो सकेगा और जो गड़बड़ी अब तक होती चली आ रही थी वह रोकी जा सकेगी। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा था वह भी ठीक हो सकेगा। इसी प्रकार बोर्ड के कौन कौन-सदस्य होंगे वह भी स्पष्ट कर दिया है ।

(इस समय २ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

यह सब परिवर्तन जो हमने किये हैं वह जन हित में है जिन पर कोई किसी तरह का किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है यह सदन बिना किसी बिवाद के इनको स्वीकार करेगा और विधेयक को पारित करेगा । बिना किसी बहस के इसे पास होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आज ३ बिल पास होने हैं, इस बिल के लिये लगभग साढ़े ३ बजे तक का समय है । इसलिये समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए आप कृपया अपना संशोधन प्रस्तुत करें क्योंकि अन्य बिल भी लिये जाने हैं ।

---

†२६ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी अ ज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १ मास में प्रस्तुत करे और जिसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

मान्यवर, इस विधेयक पर अपनी बात कहने से पहले मुझे इस बात की खुशी है कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं से संबंधित जो यह विधेयक है उसको वह मंत्री महोदय ल.ये जिनका कि शिक्षा विभाग से संबंध नहीं है और उन्होंने पूर्व विश्वविद्यालय विधेयक की तरह बिना पढ़े हुए इसे प्रेस नहीं किया । विधेयक के हर प्राविधान की जानकारी प्राप्त करके उससे सदन को उन्होंने अवगत कराया, इस बात की मुझे प्रसन्नता है, और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, यह विधेयक जो लाया गया है वह वाकई में आवश्यक तो है ही लेकिन प्राविधिक शिक्षा को आज जो महत्ता है और जो महत्ता होनी चाहिये और उस शिक्षा का सम ज की समस्याओं से जो संबंध है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करके यह संशोधन विधेयक लाया गया होता तो और अधिक महत्व रखता। आज शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, और प्राविधिक ज्ञान एवं उद्योग नीति—इन तीनों का आपस में मेल होना बहुत आवश्यक है और उन तीनों को आपस में विचार करके, इन विषयों से संबंधित कोई संशोधन लाया जाय तो बहुत उत्तम होगा और जो समाज की वर्तमान समस्यायें हैं उनको सुलझाने में सहयोग हो सकता है । प्राविधिक शिक्षा से संबंधित जो यह विधेयक लाया गया है उससे वर्तमान समस्यायें किस तरह से सुलझ सकती हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में इस संशोधन विधेयक का क्या सहयोग हो सकता है, इसके बारे में चिन्ता नहीं की गयी है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्राविधिक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा संस्थायें हैं उनसे जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं या प्राविधिक शिक्षा के लिये जो केन्द्र बने हुए हैं, उन केन्द्रों में जो शिक्षा दी जाती है उसका उपयोग क्या है ? प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भविष्य क्या हो, इसके बारे में इस संशोधन विधेयक में इस सरकार ने अभी विचार नहीं किया कि प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जो युवक हैं उनको रोजगार में लगाया जाय शिक्षा का क्या रूप दिया जाय ताकि किसी न किसी उद्योग में उनको लगाया जा सके । इस पर बहुत गम्भीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है ।

आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है । इसको सुलझाने का एकमात्र तरीका यह है कि इस प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से उद्योग नीति में परिवर्तन किया जाय । क्योंकि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में एक व्यक्ति जो छोटी-छोटी चीजों का निर्माण करने की शिक्षा प्राप्त करता है, जब वह समाज में आता है तो उसको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इसका परिणाम यह होता है कि प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह बेरोजगार रहता है । इसलिये मैं चाहता हू कि उद्योग नीति में ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति को ऐसा रोजगार दिया जाय जिससे उनकी बेरोजगारी दूर हो और इनके लिये यह आवश्यक है कि जो चीज लघु उद्योग की हैं, जिनको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति कर सकते हैं, उस उद्योग को बड़े उद्योगों के माध्यम से नहीं कराया जाना चाहिये ।

उदाहरण के लिये फाउन्टेनपेन बनाने की बात ले लें, दियासलाई बनाने की बात ले लें । अचार, सौस बनाने की बात ले लें । सिगरेट बनाने की बात ले लें । मोटा कपड़ा बनाने की बात ले लें । यह सब चीजें अगर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त लोग बना सकते हैं और लघु उद्योगों के जरिये से अगर इनको बनाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि इनको बड़े

---

*वक्ता ने भाषण भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योगों के जरिये बनाया जाय सरकार कहती है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन सबसे मूल प्रश्न यह है कि इस समय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । लघु उद्योग को तब तक प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, जबतक कि लघु उद्योगों द्वारा जो चीजें निर्मित की जा सकती है, उनको बड़े उद्योग निर्मित करना बन्द कर दें । क्योंकि लघु उद्योगों द्वारा बनायी हुयी चीजें बड़े उद्योगों द्वारा बनायी गयी चीजों का कम्पटीशन नहीं कर सकतीं । पब्लिक ज्यादातर बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित चीजों को ही पसन्द करती है अपेक्षा लघु उद्योगों के । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीजें लघु उद्योगों के माध्यम से निर्मित की जा सकती हैं, जिनको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त लोग निर्मित कर सकते है उन सब वस्तुओं को बड़े उद्योगों के हाथ में न दिया जाना चाहिये । तभी प्राविधिक शिक्षा का महत्व होगा । तभी प्राविधिक शिक्षा प्राप्त लोग रोजगार प्राप्त कर सकतें हैं ।

मैं कह रहा था कि सिगरेट बड़ी फैक्टरियां बनाती हैं और बीड़ी छोटी-छोटी फैक्टरियां बनाती है । अगर बीड़ियों को यह बड़ी फैक्टरियां बनाना शुरू कर दें तो कितने लोग बरोजगार हो जायेंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं । उदाहरण के लिये और ले लीजिये । बनारसी साड़ी उद्योग में कम से कम २–३ लाख मजदूर काम करते है । अगर बनारसी साड़ी कल कारखाने बनाने लगे तो ३ लाख लोगों को वह इम्पलायमेंट नहीं दे सकते ।

फाउन्टेनपेन अगर आप लघु उद्योगों के जरिये बना सकते हैं, छोटे उद्योगों के जरिये से बना सकते है तो क्या जरूरत है कि पारकर और विल्सन जैसी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां कायम की जाय? इसी तरह से मोटा कपड़ा हथकरघा द्वारा बन सकता है तो कोई जरूरत नहीं है कि इस कपड़े को बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बनायें । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्राविधिक शिक्षा का उद्देश्य उसी समय पूरा होगा जब प्राविधिक शिक्षा प्राप्त लोगों को प्रोत्साहन दिया जायगा और उनके अनुकूल छोटे उद्योग लगाये जायगे और अगर आप चाहें कि लघु उद्योग और भारी उद्योग दोनों साथ-साथ चलें और दोनों एक चीज ही बनायें तो लघु उद्योग कभी पनप नहीं सकते छोटे उद्योग द्वारा बनाया गया फाउन्टेनपेन बड़े उद्योगों द्वारा बनाया गया फाउन्टेनपेन के कम्पटीशन में अगर रख दिया जाय तो जाहिर है कि लोग ज्यादा बड़े उद्योग द्वारा बनाये गये फाउन्टेनपेनों को पसंद करेंगे ।

एक सायकोलोजिकल बात है कि लोग बड़े उद्योग द्वारा बनायी गयी वस्तुयें पसंद करेंगे । तो अगर हम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो वहीं चीज बनाने वाली बड़ी फैक्टरियां बन्द करनी पड़ेंगी । तभी इतने सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है । और जो प्राविधिक शिक्षा पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका सही उपयोग हो सकेगा । तो मेरा कहना है कि प्राविधिक शिक्षा साधारण शिक्षा (दूसरी शिक्षा) और औद्योगिक नीति इन तीनों में तालमेल बैठा करके ही कोई संशोधन लाइए तभी उसका कुछ उद्देश्य हो सकता है वरना इस संशोधन विधेयक को लाने का कोई मतलब नहीं है । यह एक फारमेलिटी है, इस फारमेलिटी को कम्पलीट करके आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते । समाज में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर नहीं कर सकते और इस तरह से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जो नीति है, सरकार की, यह भी व्यवहार रूप में सफल नहीं होगी । केवल कागज पर ही सफल होगी । इसलिए जो भी चीजें लघु उद्योगों में निर्मित की जा सकती हैं उनको बड़े लोगों के हाथ से लिया जाना चाहिए यह सरकार का कर्तव्य इस समय होना चाहिए ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मन्त्री जी इस समय उपस्थित नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी सदन के परिसर में ही उपस्थित हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसलिए मान्यवर मेरा कहना यह है कि सरकार जब भी कोई शिक्षा विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक या उद्योग सम्बन्धी विधयक लाती है तो इन तीन बातों का तालमेल करके संशोधन करना चाहिए। यह संशोधन इसलिए किया है कि देश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इस विधेयक के रहते हुए भी इसमें अनेकों कमियां हैं। इसका पहला कारण यह है कि जो छात्र अगर पहले साल प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे साल फेल हो जाता है तो भी उसको प्रवेश दे दिया जाता था और इस प्रकार ३ साल के कोर्स को ६ साल में वह पूरा कर करता था अन्यथा उसका प्रवेश नहीं होता था। परन्तु अब नियम यह है कि यदि छात्र एक साल फेल हो जाता है तो उसको दूसरे साल प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसलिए पहले वाला नियम लागू किया जाना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी चीज प्रबन्ध समिति संघठित करने की जो व्यवस्था की गई है उसमें प्राविधिक कर्मचारियों तथा अध्यापकों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं मिला है। जबकि अन्य संस्थाओं में सेवा करने वालों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाता है इसलिए प्राविधिक शिक्षा ने भी अध्यापकों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलना चाहिये। प्राविधिक शिक्षा में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अभी तक नहीं बनाई गई हैं। इसलिये उसके बारे में विधेयक में लिखा जाना चाहिये। ग्रेच्युटी और प्राविडेन्ट फंड के बारे में कोई व्यवस्था बिल में नहीं है। पहले सरकार सी० पी० एफ० में जो कर्मचारियों को काटा जाता था उसके हिसाब से अपना शेयर जमा करती थी। परन्तु १९७२ में सचिव ने पत्र भेजा और कहा कि वेतन आयोग की जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक सरकार अपने हिस्से का सी० पी० एफ० नहीं जमा करेगी और १९७२ से जमा नहीं हो रहा है। दुख की बात है कि रिपोर्ट में इस नीति के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्योंकि उसमें इसके बारे में विचार करने की कोई बात नहीं थी। इसलिये सी० पी० एफ० में सरकार अपन हिस्से का नहीं जमा करती है। इन बातों के साथ मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करे और इस विधेयक को समिति के सुपुर्द करने के लिये विचार करे मुझे एक बात उद्देश्य में और कहना है कि सम्पूर्ण वित्तीय व्यय सरकार वहन करती है। तब ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध प्राइवेट लोगों को देने में क्या औचित्य है? सरकार को ऐसे संचालन को अपन हाथ में लेकर जन प्रतिनिधियों के सदस्यों के रूप में प्रबन्ध समिति में रखना चाहिये। इस पर सरकार विचार करे।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं श्री ओम प्रकाश सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस विधेयक में ३-४ बातों का प्राविधान किया गया है। बैठकों में जाने के लिये कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को बैठक में जाना चाहिये उसका वहां जाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह बैठक में अनुपस्थित हो जाता है। अतः इस बैठक में दूसरा व्यक्ति भेजा जा सक इसका प्राविधान इसमें किया गया है। दूसरी बात ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुगम बनाना चाहते हैं। इसके तहत क्या-क्या करना चाहिये, वह सब बातें इसमें हैं? इसी के तहत कंट्रोलर की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानाचार्या की नियुक्ति, उनकी सेवा संबंधी शर्तें तथा कर्मचारियों की तमाम बातें इसमें है। यह विधेयक इन्हीं बातों के संबंध में आया है।

मान्यवर, जहां तक मीटिंग में जाने की बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता। कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब किसी अधिकारी को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह मीटिंग में पहुंच सके। तो उसका रिप्रेजेन्टेशन ठीक से हो जाय और जो बात उससे जानी जा सकती है वह जान सके, इसलिये यह आवश्यक है कि उसके समक्ष कोई आदमी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम की बात मुझे कुछ कहना है और वह यह कहना है कि प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में प्राविधिक संस्थायें खुली हुई हैं और स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में जैसा कि आपने इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल में लागू किया है, पिछले सालों का यह अनुभव बताता है कि जहां-जहां भी स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया, नितान्त असफल रही है। बावजूद इसके उन विद्यालयों की क्या दशा हो गई ? आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या आप अपने जनतांत्रिक भावनाओं को समर्पित कर सकेंगे। क्या जिन संस्थाओं का प्रभुत्व जनता के हाथ में होना चाहिये, समितियों का प्रभुत्व होना चाहिए उनसे छीनकर उस तन्त्र के हाथों में ले जाना चाहते हैं जो नौकरशाही तन्त्र है ?

आज इण्टरमीडियेट और हाई स्कूलों मे क्या देखने को मिलता है—जहां कहीं भी विद्यालयों में कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती है—क्लाज तो यह कहता है कि जहां कहीं भी राज्य सरकार को इस प्रकार की संभावना दिखाई पड़ती है, या ऐसी परिस्थितियां आ जायं तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाना चाहिये। वहां राज्य सरकार स्वयं अपने विवेक से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-सा ऐसा विद्यालय है उत्तर प्रदेश में जिसमें गड़बड़ी न हो। अध्यापकों की नियुक्ति में, स्कूल की प्रापर्टी के मिसयूज में, शिक्षण संस्थाओं को पैसा सरकार से मिलता है उसका गबन, फर्जी नैकरियां दिखाकर अपाइन्टमेंट करके तनख्वाह खींचना, यह सभी विद्यालयों में आम प्रक्रिया है। अब अगर सरकार के सामने किसी विद्यालय का मामला चला जाय और सरकार को विवेक करने की छूट हो तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसको सरकार अपने हाथ में न ले लेकिन इसका बेजा फायदा उठाया गया। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने या जिस अधिकारी ने, जिस को आपने अधिकार दिया है स्कूल के मैनेजमेंट को आपने हाथ में लेने का, जब यह देखा कि दो-चार बाबू इन्स्ट्रस्टेड हैं उस स्कूल को तो अपने हाथ में ले लिया—यानी हाथी का हाथी निगल गये—यानी किसी में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह निगल सके लेकिन कहने का मतलब यह है कि जहां चाहा वह किया।

अभी श्री जय नारायण कालेज का उदाहरण सामने आया था कि वह कालेज सब प्रकार से इस योग्य हो गया है कि उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में सरकार ले ले और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे, लेकिन नहीं किया गया ? सरकार का स्वविवेक कहां चला गया। निदेशक के पास सारे पावर दे दिये गये हैं और यह अधिकार दे दिया गया है कि स्कूलों से जो प्रस्ताव पास हों वह उनके पास जायं और अगर अनुमोदन मिल गया हो मान्यता दी जाये अथवा नहीं ? लेकिन फिर वही बात आ गई—यह जो महा भूत है कन्ट्रोलर, जिसको आपने जगह-जगह बैठा दिया है .....

एक सदस्य—

क्या कहा महा भूत.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप न कहिये नहीं तो आपके लिये आभूत हो जायेगा। मैं कह रहा था कि जिसको सरकार ने बैस्ट इकाई माना है, इस महा भूत को, कहीं ऐसा न हो कि उलटा ही भस्म कर दे। जिस प्रकार की शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था और उलटा उनको भस्म करना चाहा। कहीं ऐसा न हो कि उसी तरीके से इस सरकार को स्वाहा कर दे। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बुद्धि का दिवालियापन है यहां पर। आपको नये तरीके से सोचना चाहिये था कि क्या कंट्रोलर के माध्यम से अपने इस प्रदेश की उन संस्थाओं का संचालन करेंगे जहां पर जन प्रतिनिधियों को होना चाहिये था ? आपने हमको तो बलायें ताक रख दिया। चुने हुए लोगों को कह दिया कि यह निकम्मे हैं। चाहे जिस फैक्टरी को ले लें या स्कूल को ले लें उत्तर प्रदेश की ही नहीं सारे हिन्दुस्तान भर की रिपोर्ट है। एक बार यह चला कि सहकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े फार्म्स खोले जायंगे। सारे भारतवर्ष की रिपोर्ट है कि जितने भी हकारी

[श्री त्रिवेणी सहाय]

फार्म्स गवर्नमेंट के अधीन रहे उनमें घाटा ही रहा। जिस भूत को आपने बैठाया उसको एक साल की अवधि दे रहे हैं। उसके द्वारा ठीक हो रहा है या नहीं, आगे ५ साल की अवधि दे रहे हैं। आप उसके बाद भी छूट दें तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या आप चुनाव नहीं करा सकते? आप स्कूलों में जायं। एक-एक स्कूल में विद्यालय निरीक्षक चुनावों को टाल देता है। लेकिन आप ध्यान नहीं देते। हां, अगर जिला परिषदों का चुनाव कराना हो तो मिनटों में हो जाता है। लेकिन इंटरमीडियेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कराने के लिये पांच साल लग जाते हैं। कंट्रोलर को हटाने के लिये आपने कोई व्यवस्था सोची है? नहीं सोची जहां जो बैठ गया वहीं बैठ गया और वह मजा मार रहा है।

श्री राज मंगल पांडेय—

हजारों स्कूल आपकी पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमने इस भूत को कहीं नहीं बैठाया। लेकिन जहां पर आपस में लड़ेंगे और मेरे लिये कोई सूरत नहीं रह जायगी सिवाय कंट्रोलर के तो वहां भूत बैठाने की जरूरत है। आप हमें ऐसा मौका ही न दीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं समझ रहा हूं। जहां पर आप बैठाना चाहते हैं वहीं पर बैठायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

उनका कहना है कि जहां पर आप अवसर नहीं देंगे वहां नहीं बैठायेंगे। जब आप अवसर प्रस्तुत करेंगे तब बैठायेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

लेकिन श्रीमन् यह भूत तो बैठायेंगे। मेरा कहना है कि क्या आपने इस विशेष परिस्थिति की तरफ सोचने की कोशिश की? सरकारी कर्मचारियों ने एक बिल ड्राफ्ट कर लिया कंट्रोलर बिठाये जायेंगे। हर जगह स्कूल कालेजेज, विद्यालय समाज सेवा से प्रेरित हो कर खोले जाते हैं और वहां पर जन प्रतिनिधि होनी चाहिये और सरकारी अधिकारी को ला कर बिठा देंगे तो जनता की भावनाओं की कोई मान्यता नहीं होगी। प्राविधिक संस्थाओं की क्या दुर्गति हो रही है? कोई भी स्कूल प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर न हो। फिर कानून किस बात के लिये होता है? इसलिए होता है कि कानून की जकड़न में कोई भी आ जाय तो वह छुटे नहीं लेकिन होता क्या है? सरकारी अहलकार जब ड्राफ्ट करता है तो जहां घड़े में पानी भरने की व्यवस्था करता है वहां छेद भी कर देता है ताकि पानी बह जाय।

चोर पकड़ने की अगर व्यवस्था करता है तो यह भी व्यवस्था कर देता है कि चोर कैसे निकल जाय? अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है, यह क्यों लगाया जाता है? आप व्यवस्था ऐसी बनाइये जिससे आप हटेंगे नहीं। आप देखें कि प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बारे में प्रतिबन्ध यह है "प्रतिबन्ध यह है कि परिषद, निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।" इसके मातहत कोई व्यक्ति अनुभव तथा अन्य उपलब्धियों के कारण न्यूनतम अर्हताओं में छूट पा सकता है। ऐसे लोगों की गुंजाइश इसके अन्तर्गत हो सकती है जो मंत्रियों की दोस्ती का नाजायज फायदा उठा लें। एक संशोधन का मैं जरूर स्वागत करता हूं कि ऐसे अध्यापकों अथवा कर्मचारियों को निकालने के बारे में कमेटी को इस बात का अधिकार नहीं दिया गया है जो २० साल से सेवा कर रहा हो या जो मैनेजर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन स्कूल के फायदे के लिये काम कर रहा

है । उसको एक कलम से नहीं निकाला जा सकेगा इसका मैं स्वागत करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद—

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसको अगर संशोधित ही करना था तो विस्तार से इसमें जाने की आवश्यकता थी क्योंकि आज के युग में प्राविधिक शिक्षा का कितना महत्व है उसको ध्यान में रख कर, उसके मुताबिक संशोधन लाने की आवश्यकता थी । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कोई भी देश और समाज तभी उन्नति कर सकता है जबकि उसकी इस शिक्षा के अन्तर्गत ज्ञान-वर्द्धन अधिक हो । आज दुनिया वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं । हम उसके स्तर को किस तरह से ऊंचा कर सकते है इसके ऊपर भी गहराई से विचार करने की आवश्यकता थी । आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमको यह देखने की आवश्यकता थी कि जिस तरह से प्राविधिक शिक्षा दे रहे है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है ? आज जब लोग प्राविधिक शिक्षा लेकर निकलते है तो उनमें इतना भरपूर ज्ञान नहीं होता कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं से निकलने के बाद वे ठीक से कहीं भी काम कर सकें । यह भी देखना आवश्यक है जहां प्राविधिक शिक्षा दे रहे हैं, वहां जो प्रगति शिक्षा के अन्तर्गत होती है उसको हम कितना दे रहे हैं ? उसको भी देखने की आवश्यकता थी । फिर वहां से जो लोग शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं उनका सदुपयोग इस देश के बनाने में कितना हो रहा है ? कितनी उनमें बेकारी है ? उसे कैसे दूर किया जा सकता है ? ये सब बातें प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत आती हैं । सरकार द्वारा बहुत-सी संस्थायें चलायी जाती हैं और बहुत सी प्राइवेट संस्थायें भी हमारे प्रदेश में काम कर रही हैं । माननीय मंत्री जी ने सिर्फ दो-तीन संशोधन इसके अन्तर्गत किये हैं । एक तो कंट्रोल के लिये उन्होंने बात कही है, एक माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एक स्कीम लागू की गई थी उसे कार्यान्वित करने के लिये और एक प्रिंसिपल की नियुक्ति और उसे छूट आदि देने के सम्बन्ध में यह संशोधन लाया गया है । इसी तरह के दो-तीन संशोधन हैं । जहां तक प्राविधिक शिक्षा की मंशा है उसको ये तीनों चीजें अभी पूरी नहीं कर पाते हैं । इसलिए मैं चाहता था कि इस प्राविधिक शिक्षा के ऊपर व्यापक पैमाने पर विचार करने की आवश्यकता थी । मैं इसे इसलिये कह रहा हूं कि जब तक देश के अन्दर प्राविधिक लोग नहीं होंगे और जब तक हम उन्हें देश के पुनर्निर्माण में अच्छी तरह से ट्रेन्ड नहीं कर पायेंगे तब तक आज के वैज्ञानिक युग में हमारा प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है ।

प्रगति हम तभी कर सकते है जब कि हम प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें और उन्हें प्लानिंग के माध्यम से देश की तरक्की में लगा सकें मैं समझता हूं कि जहां तक प्रिंसिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में छूट देने का सम्बन्ध है उसमें सरकार को अधिक अधिकार तो होता ही है । वह जो चाहे कर सकती है लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंजीनियर नहीं है किन्तु वे प्रिंसिपल हैं । कुछ लोग ज्यादा अनुभवी हैं । उसी विभाग में काम करते-करते उन्हें काफी अनुभव हो गया है, योग्यता भी उनकी काफी मिलती-जुलती है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी की मंशा भी यही होगी इससे बाहर जाने की मंशा नहीं होगी । यदि उनकी मंशा बाहर जाने की होगी तो मैं समझता हूं कि उनको अधिक अधिकार मिल जायेंगे तो हौसा कि माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा है, उन अधिकारों का कभी-कभी दुरुपयोग भी हो सकता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है उससे प्रदेश की बेकारी की समस्या को

[श्री ऊदल]

टेकनिकल एजूकेशन के द्वारा दूर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमारी जो पंच-वर्षीय योजनायें हैं उनके अन्तर्गत आज हमें अपने देश का पुनर्निर्माण करना है और उसी के तहत हमें विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तभी हम आज के वैज्ञानिक युग में और दुनियां के कम्पीटिशन में बात कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस प्राविधिक शिक्षा को बृहद पैमाने पर विचार करें जिसमें ये सारी चीजें आती जायं। आज हालत यह है कि जहां-जहां प्राविधिक शिक्षा दी जाती है और वहां पर जो मशीनें आदि हैं वे खराब पड़ी हुई हैं जिससे सही ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। हमें सोचना चाहिये कि इस तरह की व्यवस्था हम कैसे करें। तभी हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं और तभी हम प्रदेश को दुनिया के समकक्ष प्रगति की घुड़दौड़ में आगे ले जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार इन प्रश्नों पर फिर से गम्भीरतापूर्वक सोचे और उसके अनुसार कार्य करे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, उसका बिरोध तो नही, लेकिन वह उन्होंने इतनी जल्दी में किया है कि मुझे इस पर कुछ कहना है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी ओर आज प्रदेश के नौजवान की आंख लगी हुई है विविधता के साथ, व्यापक दृश्टिकोण रखकर, काफी समय लगाकर आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है देश की प्रगति का या प्रदेश की प्रगति और इसके लिए कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंचे, यह आवश्यक है कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको ऐसी टेकनिकल एजूकेशन दी जाये, जिससे कि वह पड़ने वाली बेकारी की मार से बच सकें। आज जो इसका रुप है, उसमें इसको एक केन्द्रीयकरण सी स्थति हो गई है। मैं निवेदन कर रहा हूं यह ठीक है कि आपको साधिकार नियन्त्रण नियुक्त करना चाहिये, लेकिन मैं साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जितने भी प्राइवेट क्षेत्र में टेक्निकल संस्थाएं काम कर रही है, जो आपसे पैसा लेकर उसका दुरुपयोग करती है, जो टेकनिकल एजूकेशन को इम्पार्ट करती है, उन सब संस्थाओं को मुकम्मल तरीके से आपको अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मेरा निवेदन है आप कोशिश करें और शासन को उस दिशा में अगुवाई करनी चाहिये कि जितने हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें यदि लड़के टेकनिकल एजूकेशन चाहते है तो उनको प्राप्त हो जाए। वरना जब तक हमारी शिक्षा की नीति मैकाले की ही रहेगी, तब तक बेकारी की मार यहां के नौजवानों पर पड़ती रहेगी और उसका खामियाजा आप भोगेंगें और भोग रहे हैं। इसलिये हायर सेकेंडरी स्तर तक आप वैकल्पिक रुप से कोई टेक्निकल विषय अवश्य रखें। इसके अलावा जो आपका टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बना हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी दूर व्यक्ति मेम्बर्स हैं। उसमें कोई मेम्बर कहीं का है कोई कहीं का है और सचिव कहीं का है। देश के कोने-कोने से लोग आकर बोर्ड बनाए हुये हैं।

समय-समय पर जब भी बैठकें होती हैं, उनमें कोरम पूरा नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि प्रिंसिपल अपने इच्छानुसार निर्णय ले लिया करते हैं। मैं आपका ध्यान अपने जिले गोरखपुर के मालवीय इंजीनियरिंग कालेज की ओर विशेष रुप से दिलाना चाहूंगा जहां पर गुन्डागर्दी और अव्यवस्था पूरी तरह से छायी हुई है और वह कालेज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं आपको अभी पिछली २६ तारीख की ही घटना बताऊं। एक समूह के विद्यार्थियों ने जो प्रिंसिपल के पक्ष के थे, दूसरे समूह के विद्यार्थियों पर कट्टा से फायरिंग किया और जिसमें दो आदमियों की जान जाने से बची। एक गोल ने दूसरे गोल पर हमला किया था, पीड़ित पक्ष के लड़कों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, वहां के लोग असुरक्षित हैं। वह सीधे-सीधे दो गोल बने हुये है। एक प्रिंसिपल साहब का गोल है और....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

और आपके गोल का क्या हाल है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

अभी अवसर तो नहीं मिला था, लेकिन अब शायद आप हमको मौका दे रहे हैं गोल बनाने के लिये । उस मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल साहब का काम पूर्णतया असन्तोषजनक है । जहां हमारी मांग है कि वहां सीटें बढ़ाई जायें और जहां लोग एक-एक सीट की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं पूरे साल ४ सीटें खाली पड़ी रहीं इसका कारण यह है कि जिनको वह भर्ती चाहते थे, वे उस स्तर के नहीं थे, जिस स्तर के पहले भर्ती हो चुके थे। इसी तरह से एक छोटा-सा केस लेकर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और एक लड़के की जिन्दगी बर्बाद हो रही है । इस तरह से जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, मेरे क्षेत्र के विद्यालय में, उस पर अंकुश रखने के लिये वहां के प्रिंसिपल, जो पोलेक्टिकल प्रेशर में पड़े हुये है, को अविलम्ब वहां से हटाकर जो आरोप उनके विरूद्ध हैं उनकी खुली जांच होनी चाहिये। और मैं समझता हूं कि अगर उसकी खुली जांच करायेंगे तो मालूम होगा कि उनके गोल के लोग भी वही बात कह रहे है जो यहां इस वक्त कह रहा हूं । इस मामले में मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है । इसलिये मैं फिर अनुरोध करूंगा कि इसको डिसेन्ट्रालाइज करें और सारी शिक्षण संस्थाओं को अपने हाथ में ले लें और टेकनिकल एजूकेशन के नाम जो शिक्षा मंदिर जगह-जगह पर चलाये जा रहे हैं उनको बन्द करें । दूसरे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में करीकुलम में कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वहां टेक्निकल एजूकेशन पढ़ाया जावे । इसीलिये अच्छा हो कोई जल्दी तो है नहीं, थोड़ा समय लेकर सोच विचार करके एक अच्छा-सा विधेयक प्रस्तुत करें जो जनभावनाओं के और आज की आवश्यकतायें के अनुकूल हो ।

श्री अधिष्ठाता---

संशोधन प्रस्तुत कर्त्ता महोदय मौजूद नहीं हैं तो माननीय मंत्री आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कहें क्या वे इसमें कुछ कहने लायक हैं ही नहीं ।

श्री राज मंगल पान्डेय---

अब इसमें मान्यवर, कुछ ज्यादा कहने की बात है नहीं, एक बात कही गयी है कि टेकनिकल शिक्षा का और उद्योग का अधिक समन्वय होना चाहिये । यह बात सही है लेकिन इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय ले लिया है और एक समिति गठित कर दी गई है । इस संबंध में जो कुछ सुझाव उसके सामने आवेंगे उन पर विचार कर लिया जावेगा और जो कुछ करने योग्य होगा वह किया जावेगा । दुसरे प्रबन्ध समिति और अध्यापकों का प्रश्न है वह सब नियम की बात है, जब नियम बनेंगे तो उस समय हम इनको देखेंगे और रख लेंगे । सेवा निमयावली बनाने की बात है वह सही है । और नियमों की वह बात वह भी देख लेंगे । प्राविडेंट फंड आदि का जो प्रश्न उस पर भी हम विचार कर रहे हैं वह सब नियम की बातें हैं वह देखेंगे । लेकिन इन बातों से यह पता लगा कि सभी माननीय सदस्य इसके महत्व को स्वीकार करते हैं और व्यावहारिक कठिनाइयों के लिये जो संशोधन लाये गये हैं वह अपनी जगह पर सही है कि जो पदेन अधिकारी होते हैं और जो मीटिंगों में नहीं जाते थे उनको अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी का जो उनके समकक्ष हों या एक फलां स्थान के नीचे न हों वे अब कार्यवाहियों में अधिकृत होने पर भाग ले सकेंगे और मतदान भी कर सकेंगे । हम उनका निरीक्षण भी कर सकेंगे क्योंकि यह सभी ने माना है कि जो शिक्षण संस्थायें हैं उनकी कार्यक्षमता ठीक नहीं है, जो अध्यापक आदि

[श्री राज मंगल पांडेय]

हैं उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और जो अव्यवस्था फैली हुई हैं उनको हमें देखना है। उसके लिये आपका सुझाव है कि हम सारे इंस्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में ले लें। अभी तो एक अथाराइज्ड कंट्रोलर हम मुकर्रर करना चाहते हैं तभी त्रिवेणी सहाय जी को कांग्रेस का भूत नजर आ रहा है ।

श्री ऊदल—

हमने वह नहीं कहा ।

श्री राज मंगल पान्डेय—

वह तो ठीक है। तब इससे यह तो सिद्ध हो ही गया है कि त्रिवेणी सहाय जी का भूत सिर्फ उन्हीं के सिर पर है और किसी दूसरे माननीय सदस्य पर नहीं है। जितने भी माननीय सदस्य हैं सभी इस बात पर सहमत हैं कि जो नियमों की बातें हैं उनका हम नियमों में संशोधन कर देंगे तो फिर अब आगे इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १ मास में प्रस्तुत करे और जिसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ५, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १७, १९६२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में:—

(१) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

'(छछ)' "निदेशक" का तात्पर्य प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत धारा २२—क स २२—छ के

प्रयोजनार्थ निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी भी हैं जो उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद से नीचे का न हो;

(२) खण्ड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(जज) किसी सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतंत्र" अथवा "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति अथवा अन्य निकाय से है जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार सौंपा गया हो ।"

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ को पुनः संख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप धारा (१) में, खण्ड (१९) में शब्द "शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द, "शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)" रख दिये जायं,

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) उपधारा (१) के खण्ड (१६), (१७), (१९), (२०) और (२२) में उल्लिखित सदस्य परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो, यथास्थिति, उप मुख्य अभियन्ता या उपनिदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उस विशिष्ट बैठक की, जिसके लिये वे प्रतिनियुक्त किये जायें, कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे और ऐसी बैठक में मत देने के भी हकदार होंगे ।"

नई धारा २२-क से २२-छ तक का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"२२-क-(१) किसी विधि, लेख्य या डिग्री या न्यायालय के किसी आदेश या अन्य संलेख में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिये चाहे वह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७४ के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सम्बद्ध हुआ हो, एक प्रशासन योजना होगी ।

प्रशासन योजना

(२) प्रशासन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रबन्ध समिति संघटित करने की व्यवस्था होगी जिसमें सम्बद्ध संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध या संचालन करने का प्राधिकार निहित होगा ।

(३) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य प्रबन्ध समित का पदेन सदस्य होगा जिसे मत देने का अधिकार होगा ।

(४) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य उस दशा में प्रबन्ध समिति की बैठक में न तो उपस्थित होगा और न मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा जब कभी उसके व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित आरोप पर विचार-विमर्श किया जा रहा हो ।

(५) प्रशासन योजना में, किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, संबद्ध संस्था के प्रधानाचार्य और प्रबन्ध समिति की अपनी-अपनी शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का भी वर्णन होगा ।

(६) यदि एक से अधिक सम्बद्ध संस्था एक ही निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित हो तो प्रत्येक ऐसी संस्था के लिये, जब तक किसी वर्ग की सम्बद्ध संस्थाओं के लिये विनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, एक पृथक् प्रबन्ध समिति होगी।

(७) प्रत्येक सस्बद्ध संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदनाधीन होगी और ऐसी योजना में निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन बिना किसी समय न तो कोई संशोधन और न कोई परिवर्तन किया जायगा।

(८) प्रत्येक सस्बद्ध संस्था का प्रबन्ध इस धारा और धारा २२-ख तथा २२-ग के अधीन तथा उनके अनुसार बनाई गई प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा ।

अवधि जिसके भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत की जायगी

२२-ख--(१) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७४ के प्रारम्भ होने के दिनांक को पहले से ही सस्बद्ध संस्था की दशा में प्रशासन योजना का एक प्रारूप उक्त प्रारम्भ से छः मास के भीतर धारा २२-ग के अनुसार तैयार किया जायगा और निदेशक को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा तथा अन्य सभी मामलों में सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायगा।

(२) यदि कोई ऐसी संस्था जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधनियम, १९७४ के प्रारम्भ होने के समय पहिले से ही सम्बद्ध हो, व्यवस्थित अवधि के भीतर उप धारा (१) के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करती है तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उससे तीन मास की अग्रेतर अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने पर निदेशक स्वविवेक से, अवधि को अग्रेतर तीन मास के लिये बढ़ा सकता है।

(३) यदि योजना अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा २२-घ की उपधारा (३) के खण्ड (क) या (ख) के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

प्रशासन योजना के प्रारूप का अनुमोदन

२२-ग--(१) प्रशासन योजना का अनुमोदन करने के लिये सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुये निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय, या तो धारा २२-ख के अधीन प्रस्तुत की गई प्रशासन योजना के प्रारूप का अनुमोदन करेगा या उसमें किसी परिवर्तन अथवा परिष्कार का सुझाव देगा।

(२) यदि निदेशक उपधारा (१) के अधीन प्रशासन योजना के प्रारूप में किसी परिष्कार का सुझाव दे तो वह उसके लिये अपने कारणों को बताते हुए, उसकी एक प्रति सम्बद्ध संस्था की भेजेगा और ऐसी संस्था को, ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में विनिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक विनियमों में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर योजना के प्रारूप में किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो योजना का प्रारूप अनुमोदित समझा जायगा ।

(३) निदेशक उप धारा (२) के उपबन्धों के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना का अनुमोदन उसके मूल रूप में अथवा उक्त उपधारा के अधीन सुझाये गये परिष्कार के रहते हुए अथवा किसी अन्य परिष्कार के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिष्कार का प्रस्ताव करे तो वह सम्बद्ध संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में निर्विष्ट हो, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा ।

२२-घ---(१) निदेशक किसी सम्बद्ध संस्था का समय-समय पर निरीक्षण करा सकता है ।

सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण तथा त्रुटियों का निराकरण

(२) निदेशक निरीक्षण के समय अथवा अन्य प्रकार से पाई गई किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था के प्रबन्ध-तंत्र को निदेश दे सकता है ।

(३) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करें तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्--

(क) सम्बद्धता वापस लेने के लिये मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) उपधारा (४) के अधीन सम्बद्ध संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है।

(४) यदि उपधारा (३) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था का प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत संस्था की अथवा उसमें निहित भूमि, भवन, निधि तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं अपने हाथ में ले सकता है, और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता ।

(५) वह अवधि जिसके लिये उपधारा (४) के अधीन कोई आदेश दिया जा सकता है, प्रथमतः एक वष से अधिक न होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (४) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध अपने हाथ में तब तक रखेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधि पूर्वक संघटित हो गई है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उपधारा (४) या इस उप धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विखंडित कर सकती है।

(६) कोई व्यक्ति जो उपधारा (४) के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सद्भावना से किये गये कृत्यों के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा।

(७) उपधारा (४) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश संस्था के प्रबन्ध तथा नियंत्रण (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) से सम्बन्धित अथवा संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अंतर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे ।

(८) उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन सम्बद्धता वापस लेने के लिये परिषद् द्वारा दिये गये किसी आदेश और उपधारा (४) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(९) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति।

२२—ङ—(१) प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तथा अध्यापकों की अर्हतायें विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है ।

(२) प्रत्येक संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें ऐसी संस्था का अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य होगा ।

(३) किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य का चयन करने के लिये इसी प्रकार तीन सदस्यों की एक चयन समिति होगी, जिसमें से एक व्यक्ति उप धारा (४) में अभिदिष्ट संभागीय पेनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा चुना गया ऐसा व्यक्ति होगा जो उस जिले का न हो जहां सम्बद्ध संस्था स्थित हो ।

(४) निदेशक उप धारा (३) में अभिदिष्ट चयन समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये प्रत्येक संभाग के निमित्त व्यक्तियों का एक पैनल बनायेगा।

(५) उपधारा (२) तथा (३) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन उसकी बैठकों में कार्य संचालन, संभागीय पैनलों का तैयार किया जाना तथा अन्य विषय विनियमों द्वारा विनियमित ।

प्रधानाचार्य तथा अध्यापक के चयन की प्रक्रिया

22-च--(1) एतद्पश्चात् निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी सम्बद्ध संस्था में प्रधानाचार्य या अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि--

(क) विनियमों में निर्धारित अर्हतायें उसके पास न हों अथवा उसे धारा २२-ङ की उपधारा (१) के अधीन ऐसी अर्हताओं से छूट न दी गई हो;

(ख) उसके लिये उक्त धारा की उपधारा (२) या उपधारा (३), जैसी भी दशा हो, के अधीन संघटित चयन समिति द्वारा सिफारिश न की गई हो और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि किसी सम्बद्ध संस्था के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी जो विनियमों द्वारा निर्धारित सभी अर्हताएं रखता हो, नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है, तो वह सम्बद्ध संस्था को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति अस्थायी रूप में सेवायोजित करने की अनुज्ञा दे सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष की ऐसी अवधि निदेशक के पूर्वानुमोदन से बढ़ाई जा सकती है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि छुट्टी की रिक्ति अथवा सम्बद्ध संस्था के सत्र के किसी भाग के लिये होने वाली किसी रिक्ति की दशा में कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक नियुक्त करना प्रबन्ध समिति के लिये विधिपूर्ण होगा, और उस दशा में ऐसी नियुक्ति की सूचना निदेशक को तत्काल दी जायेगी।

(२) चुने गये अभ्यर्थी का नाम अनुमोदन के लिये निदेशक को सूची के साथ भेजा जायेगा जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों के जिन्होंने चयन के लिये आवेदन-पत्र दिया हो, नाम, अर्हतायें तथा ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किये जायें ।

(३) निदेशक उप धारा (२) में उल्लिखित संगत पत्रादि की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देगा । ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि अनुमोदन दे दिया गया है ।

(४) यदि निदेशक उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी नाम का अनुमोदन उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, न करें तो प्रबन्धतंत्र अननुमोदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है जिसका उस विषय में निर्णय अन्तिम होगा ।

(५) यदि उपधारा (२) के अधीन की गयी सिफारिश, अनुमोदित कर दी गई और उपधारा (४) के अधीन प्रबन्धतंत्र का अभ्यावेदन, यदि कोई हों, अस्वीकार कर दिया गया हो तो चयन समिति धारा 22—ङ तथा इस धारा में व्यवस्थित रीति से अनुमोदन के लिये दूसरे नाम का चयन और सिफारिश करने की कार्यवाही करेगी ।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन किया गया चयन पुनः अननुमोदित कर दिया जाय और अननुमोदन के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार न किया गया हो तो निदेशक रिक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी भी अर्हता प्राप्त-व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति अन्तिम होगी ।

अध्यापकों की पद च्युति या हटाया जाना आदि

२२—छ—(१) कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक, निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, न तो सेवा से उन्मुक्त या हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, न पंक्तिच्युत किया जा सकता है, न उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उस पर सेवा समाप्त करने की नोटिस तामील की जा सकती है । निदेशक का निर्णय ऐसी अवधि के भीतर जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, संसूचित किया जायेगा ।

(२) निदेशक दण्ड का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है अथवा उसे घटा या बढ़ा सकता है या प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित सेवा की समाप्ति की नोटिस का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी दण्ड की दशा में आदेश देने के पूर्व, निदेशक प्रधानाचार्य या अध्यापक को नोटिस की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित दण्ड का अनुमोदन क्यों न कर दिया जाय ।

(३) इस धारा की कोई बात किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको ध्यान में रखते हुए निलम्बन के किसी आदेश पर लागू न होगी ।

धारा २३ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक और गैर अध्यापक वर्ग के सदस्यों की अर्हतायें, सेवा की शर्तें, वेतनक्रम तथा संख्या,"

(२) खण्ड (द) में, अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय तथा उक्त खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(द—क) प्रधानाचार्य तथा प्रबन्ध समिति की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य;

(द ख) सिद्धान्त, जिसके अन्तर्गत किसी प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जा सकता है ;

(द ग) समयावधि, जिसमें धारा २२–ग की उपधारा (२) के अधीन निदेशक को अभ्यावेदन दिया जा सकता है;

(द घ) समयावधि, जिसकी समाप्ति पर किसी प्रशासन योजना के प्रारूप को धारा २२–ग की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जायगा;

(द ङ) समयावधि, जिसमें धारा २२–ग की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिया जा सकता है;

(द च) धारा २२–ङ की उपधारा (२) तथा उपधारा (३) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन, उनकी बैठकों में कार्य संचालन और सम्भागीय पैनलों का तैयार किया जाना;

(द छ) धारा २२–च की उपधारा (२) के अधीन निदेशक को अग्रसारित किये जाने वाले विवरण;

(द ज) सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित समस्त विषय ।"

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५ और खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम मंगल पांडेय––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, १९७३†

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, १९७३ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस संबंध में जो माननीय त्रिवेणी सहाय वगैरह का जो संशोधन है उस संबंध में सबके सुनने के बाद फिर उत्तर दे दूंगा । इसलिये वह अपना संशोधन पेश कर दें ।

---

†२५ जून, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय त्रिवेणी सहाय इसके लिये केवल आध घंटा का समय है । समय की परिधि को ध्यान में रखते हुये आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

आप जितना कहते हैं उतना ही मैं बोलता हूं । उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, १९७३ को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत कर दें ।

मान्यवर, जो यह बिल लाया गया है, यह इंग्लैंड के एक बिल के आधार पर आधारित है। १९५० में २८ जुलाई को उत्तर प्रदेश विधान सभा में पारित हुआ था । उस समय कोई बिल चीनी मिलों से संबंधित आया था जिसके संबंध में यह पता नहीं चल सका कि यह ऐक्ट कब खत्म हो रहा है और वह खत्म हो गया । सरकार की न जागरूकता के कारण ऐसा हो गया । बाद में उसे जारी करने का एक बिल लाया गया । उसमें राष्ट्रपति की असेंट ली गयी । बीच में जो अवधि बीती उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हो गयीं । बीच के काल पर भी वह ऐक्ट लागू हो जाय इसके लिये एक ऐसा बिल लाया गया जो पास हो गया । १९५० में पास हुआ था । पास होने के बाद तब से आज तक वह लागू हमारे प्रदेश में था । श्रीमन्, यह सन् ५० में बिल पास हो गया, तो १९७३ का यह बिल है । इसे माननीय उदित नारायण शर्मा जो जो उस समय विधायिका मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था । और इसमें आप देखेंगे कि क्लाज २ में लिखा हुआ है कि "१ सितम्बर, १९७२ से प्रवृत्त समझा जायगा । " मंत्री जी ने कुछ भाषण नहीं किया जो हम प्रश्न पूछते । अगर कोई गैप हो जाय या गवर्नर या राष्ट्रपति बाहर चले जायं और अगर गैप हो जाय तो इस गैप को पूरा करने का सीधा मंतव्य है । इसको लीगेलाइज करने के लिये हमको बिल लाना पड़ेगा और इसके कंटीव्यूशन के पहले आप बीच में लायेंगे । पिछले बिल में इतना प्राविधान था कि इसको कंटीन्यू करने के लिये लायेंगे । लेकिन इसमें इतना और बढ़ा दिया है कि इसको कंटीन्यू कर लेंगे और इसके साथ-साथ नये अमेंडमेंट भी जोड़ कर ले आयेंगे । मेरा यहां पर घोर विरोध है ।

इस तरह से आप इन बिलों को जिनको सदन में लाना चाहिये था और सरकार की जिमेदारी है कि जब कोई ऐक्ट खत्म हो या अवधि समाप्त होती हो तो इससे पहले ही सदन में चर्चा हो जानी चाहिये । लेकिन हम देखते हैं कि १ सितम्बर, १९७२ से इसे लागू कर रहे हैं । मेरी समझ में यह आता है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक आया था जिसमें आपने एक्सटेंशन लिया था । अब कोई भयंकर भूल हो गई है उसको ठीक करने के लिये जैसा कि ५० में वह बिल लाया गया था अब उसी को ठीक करने के लिये आप कहते हैं कि यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिल लायेंगे उसमें अमेंडमेंट लाकर कंटीन्यू करना चाहते हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि १ सितम्बर, १९७२ से इसको प्रवृत्त करने की बात क्यों करते हैं, उसको हमें समझा दें ?

अगर इसकी आवश्यकता है और आप कहते हैं कि गवर्नर बाहर चला गया था, इसलिये देर हो गई तब तो आपका कहना ठीक है और इसको ठीक मान सकते हैं । अगर यह बात नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है तो आज से लागू कीजिये या जब से गजट में प्रकाशित हो तब से लागू कीजिये। इसलिये मैं कहता हूं कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय। मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

श्रीमन्, यह विधेयक जो पेश है मैं समझता हूं कि माननीय सहाय साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि प्रवर समिति को भेजा जाय। इसे प्रवर समिति को जाने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। इसका मतलब यह है कि अक्सर बहुत से टेम्पोरेरी ऐक्ट्स होते हैं जो कि परमानेंट नहीं कहलाते हैं और किसी फिक्स्ड टाईम के लिये होते हैं और इसके लिये सदन में एक बिल पेश करना पड़ता है और वह पेश भी होता है और पास होने के बाद राज्यपाल की अनुमति लेने में देर हो जाती है और जब यहां सूचना आती है तो इसको लागू किया जाता है तो उसके बीच जो टाइम होता है उसको वैलीडेट करने के लिये यह विधेयक है। वैसे यह विधेयक 1950 में पास हो चुका है। तो प्रश्न यह है कि 2-4 दिन का जो इंटरवल होगा तो वह वैलीडेट हो जायेगा। इस प्रश्न को लेकर यह विधेयक लाया गया है। इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। नोटिस नहीं दिया। वैसे 50 वाले को कांटीन्यू कर सकते थे लेकिन कुछ संशोधन के साथ आना था। मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और किसी आर्गूमेंट का प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधियों को (समाप्ति संबंधी) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत कर दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, 1973 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, १९७३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अधिनियमों को बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार सहित जारी रखने के लिये अधिनियम पारित होने के पहले ऐसे अधिनियमों की समाप्ति से उत्पन्न हुई और हो सकने वाली असुविधा को दूर करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा।

जारी रखने वाले अधिनियम का प्रभाव

२—यदि राज्य विधान मंडल के किसी सत्र में किसी ऐसे अधिनियम को जो उस सत्र में अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने को हो (जिसे आगे समाप्त होने वाला अधिनियम कहा गया है), जारी रखने के लिये कोई विधेयक (जिसे आगे जारी रखने वाला विधेयक कहा गया है), पुरःस्थापित किया जाय और ऐसा अधिनियम जारी रखन वाले विधेयक पर, यथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गजट म अधिनियम के रप म जिसे आग जारी रखने वाला अधिनियम कहा गया है) प्रकाशित किये जाने के पूर्व समाप्त हो जाय तो जारी रखने वाले अधिनियम में अन्यथा विशेषतः की गयी व्यवस्था के सिवाय—

(क) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो तो जारी रखने वाले अधिनियम को प्रथम उल्लिखित अधिनियम की समाप्ति के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिये प्रभावी हुआ माना जायगा और होगा, मानो ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो, और

(ख) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम की किन्हीं परिष्कारों के साथ जारी रखना आशयित हो, तो जारी रखने वाला अधिनियम प्रथम उल्लिखित अधिनियम को, बिना किन्हीं ऐसे परिष्कारों के उक्त दिनांक से, जारी रखने वाले अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिये जारी रखता हुआ समझा जायगा मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट म प्रकाशित हो गया हो और उसमें उक्त परिष्कारों के लिए कोई व्यवस्था न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अन्तर्विष्ट किसी बात का यह विस्तार उस सीमा तक न होगा और न उससे यह समझा जायगा कि जारी रख गये अधिनियम की समाप्ति तथा उस दिनांक के, जब जारी रखने वाला अधिनियम वस्तुतः गजट में प्रथम बार प्रकाशित किया गया, बीच इस प्रकार जारी रखे गये अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृत या अकृत बात के कारण स्वरूप ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार के दंड, शक्ति तथा समपहरण का प्रभाव पड़े ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५० का निरसन

३—उत्तर प्रदेशीय विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम १९५० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, १९७३ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, १९७३ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४†

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इस पर मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक इस संशोधन विधेयक का सवाल है, आयोग के अध्यक्ष को इसमें अधिकार दिये जा रहे हैं अर्थात् एक ही व्यक्ति को इसमें अधिकार दिये जा रहे हैं । इस सिलसिले में मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि यह जो संशोधन है वह संविधान के विपरीत है और इसलिये आपके जरिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं । आयोग का जहां तक प्रश्न है अनुच्छेद ३१५ से लेकर संविधान के अनुच्छेद ३२० को आप पढ़ें । अनुच्छेद ३१५ में संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का विधान है और इनका काम है कि सेवा की व्यवस्था कैसे होगी, उनके इंम्तिहान वगैरह कैसे होंगे, ये सारी जिम्मेदारी केन्द्र के मामले में संघ आयोग की और राज्य के मामले में राज्य के आयोग की होगी और फिर इसी तरह से अनुच्छेद ३१६ में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का मामला है । जिसमें आयोग का अध्यक्ष भी शामिल है । अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति का एक ही विधान है, कोई अन्तर नहीं है । अनुच्छेद ३१७ में भी जो आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है, जो कारण हो सकते हैं, वे सब एक ही हैं । यह नहीं है कि अध्यक्ष के लिये कोई दूसरा कारण और सदस्यों के लिये कोई दूसरा कारण । फिर अनुच्छेद ३१८ को देखें । इसमें आयुक्त के सदस्यों और स्टाफ की सेवा शर्तें हैं, वे भी सब के लिये समान हैं और फिर ३१९ अवकाश होने पर भी नौकरी में जाने की जो शर्तें हैं, वे भी सब के लिये समान हैं, किसी सदस्य के लिये भिन्न नहीं हैं । तो अनुच्छेद ३१६ से ३२० तक में जहां-जहां आयोग शब्द का प्रयोग हुआ है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य में कोई फर्क संविधान में नहीं है केवल आयोग की व्यवस्था है और आयोग की हैसियत संवैधानिक है । उस हैसियत से को इस सदन में या और किसी व्यक्ति ने नहीं दिया । वह संविधान द्वारा क्रिएट किया गया है और अधिकार भी दिये गये हैं । ठीक इसी प्रकार से ३२१ अनुच्छेद की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आप संविधान के जो प्राविधान हैं उनको बता रहे हैं । यह जो बिल विचारार्थ है इसमें कौन-कौन सी कमियां हैं जिनको आप संविधान के विरुद्ध समझते हैं ?

---

†१८ जून, १९७४ को कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सेवक यादव--

यह जो अनुच्छेद मैंने बताये, इनमें आयोग एज सच के बारे में है किसी एक के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें किसी एक को अलग नहीं किया गया है और जो विधेयक हमारे सामन है उसमें आयोग के जो दूसर सदस्य हैं उनको अहमियत बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और अकेले अध्यक्ष को कार्य संचालन का पूरा अधिकार दिया जाता है। उनको ऐसा भी अधिकार दिया जा रहा है कि अगर वे चाहें तो कुछ नियम बनायें और नियम बनाकर किसी को प्रदर्शन करें और किसी को जानकारी दें और किसी को गोपनीय रखकर अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं और वह नियम जो जब बनेंगे तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से बनेंगे। तो इस तरह से जो आयोग के अन्य सदस्य हैं वह बिलकुल निरर्थक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, केवल एक सदस्य, अध्यक्ष ही महत्वपूर्ण स्थिति हासिल कर लेता है। तो जो संविधान में "आयोग" शब्द आया है और सारे अधिकार आयोग को मिले हुये हैं अकेले एक व्यक्ति को नहीं मिले हुये हैं, इस विधेयक के द्वारा उनको छीनने का प्रयास और कोशिश है। इसलिये मैं कह रहा हूं अधिष्ठाता महोदय, कि यह उसके विपरीत है।

इसी संदर्भ में मैं अनुच्छेद ३२१ की ओर ध्यान दिलाऊंगा। उसमें यह अधिकार दिया गया है कि लेजिस्लेचर अगर चाहे तो आयोग के अधिकारों को बढ़ा सकता है। तो इसके जरिये भी लेजिस्लेचर कोई कानून बनायेंगे तो दो बातें हैं। एक तो यह आयोग के अधिकार बढ़ाने का विधेयक नहीं है, केवल अध्यक्ष के अधिकार बढ़ाने का है। दूसरे इसमें आयोग के अधिकार बढ़ाने की बात कही है न कि छीनने की, जैसा कि इस विधेयक का मंशा है कि सारे सदस्य निरर्थक हो जायेंगे अध्यक्ष को छोड़ कर। और मैं बताऊं कि इसमें तो आगे चलकर अध्यक्ष भी निरर्थक हो जायगा, किसी मतलब का नहीं रह जायगा। तो संविधान के निर्माताओं की जो मनोभावना थी कि एक ऐसा सर्विस कमीशन हो जो निष्पक्ष हो और जिसका कार्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के हो और वह अपना ठीक से कार्य संचालन चला सके--उसको इस विधेयक के जरिये से खत्म किया जा रहा है।

एक निवेदन यह है कि यह जो अनुच्छेद आय हैं लेकिन लोक सेवा आयोग के बारे में, सारे के सारे गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ में जिस तरह की व्यवस्था थी उसी को उद्धृत इसमें कर दिया गया। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ में व्यवस्था थी उसी सिलसिले में एक आई० सी० एस० आफिसर ने जो कहा है उसको भी आपके सामने कहना चाहता हूं। जे० एच० डाविन स्वथायर सी० आई० ई० का १७-४-३७ का यह है --

"The regulations referred to above are limited in scope and do not deal in the manner in which the duties of the Commission should be performed, nor the procedure which the Commission should follow. The Government of India Act, 1935 does not empower the Governor or any other authority to make rules for the purpose."

उसने कहा कि इसका मतलब नहीं है कि वह उसके काम में किसी तरह का हस्तक्षेप करें और जो उनके अधिकार हैं कमीशन में किसी तरह की वह दखलन्दाजी करें और गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में गवर्नर को या किसी दूसरे अधिकारी को नियम बनाने का अधिकार नहीं है और इस विधेयक के जरिये से एक माने में राज्यपाल महोदय के जरिये से यह सरकार नियम बनाने का अधिकार ले रही है--यह मेरा आप से निवेदन है। अगर आप विधेयक को पढ़े तो उसमें है कि "राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से"। तो राज्यपाल के नाम से ही सरकार चलती है, उसके नाम से ही कार्य होते हैं, लेकिन असलियत में सरकार स्वयं काम करती है। तो राज्यपाल के नाम से यह सरकार नियम बनाने का अधिकार ले रही है जो कि न तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट का मंशा था और न ही जो अनुच्छेद ३१५ से लेकर ३२१ तक हैं उनका मंशा है। क्योंकि आयोग तो एक कलेक्टिव बाडी है। मिलकर सब लोग बनाते हैं न कि एक व्यक्ति है। और अगर

एक व्यक्ति काम कर बैठे तो आयोग का काम माना जायगा और अगर उसको चुनौती देने की बात हो तो काफी हद तक वह गैर-कानूनी नहीं होगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और आज यह यहां पारित भी हो जाय तो निश्चित रूप से यह सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जायगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसा काम जल्दबाजी में न हो जिससे ऐसी नौबत आये ! जहां तक भारत सरकार के दृष्टिकोण की बात है, वह भी यही है। जब इस प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था तो यहां से कुछ अध्यादेश निकाले गये थे और वह सब केन्द्र की कन्सल्टेटिव कमेटी के सामने गये। दूसरे अध्यादेशों को तो केन्द्र ने अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन जहां तक इस विधेयक का सवाल था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और स्वीकृत नहीं किया। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह एक संवैधानिक प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता--

आपने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है। जब कभी भी इस माननीय सदन के समक्ष इस तरह का सवाल उठा है तो माननीय अध्यक्षों का हमेशा यह निर्णय रहा है कि कोई भी कांस्टीट्यूशनल सवाल का फैसला चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं करेगा। मेरे इस स्थान से इस पर कोई निर्णय नहीं मिलेगा। सदन सर्वथा समर्थ है कि उस प्रश्न का स्वयं निर्णय करे। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी को भी जरा सुनने की कृपा करें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न कभी भी एक मद के चलते हुये नहीं उठा करता है। यह मद समाप्त हो जाय उसके बाद आप कहियेगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मेरे विचार से यह गैर कानूनी है यह बात मैं कहना चाहता हूं। मंत्री जी को सुविधा होगी यदि मेरी बात वह सुन लें। दोनों को जवाब मिल जायगा।

श्री राम सेवक यादव--

पहले मैं अपनी बात कह लूं। आपने जो बात रखी वह मुझे शिरोधार्य है। मैंने तो एक संवैधानिक प्रश्न पूरे सदन और खास तौर से सरकार के सामने रखा। आपने कहा कि मंत्री जी को सुन लें। तो मैं एक और बात भी रखना चाहता हूं। वह भी पूरी हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। फिर भी मंत्री जी कहें। वैसे अगर मेरी बात सुनना जरूरी नहीं है तो ठीक है, हम उनका उत्तर ही सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

अब जरा हमारे पूर्व अध्यक्ष का फैसला है....

श्री राम सेवक यादव--

वह ठीक है। आया कानून कांस्टीट्यूशनल है या अनकांस्टीट्यूशनल, यह तो अदालत ही फैसला करेगी लेकिन हम चाहते हैं आपके द्वारा सरकार और सदन से निवेदन करना कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे यह नौबत आये और चाहते हैं कि सचमूच एक अच्छा कानूनी मिल जाय जो हमारी दिक्कतों को दूर करें। अनुच्छेद १६६ मंत्री जी भी देख लें। उसमें राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का सवाल है और १६६(३) में मंत्रियों के बीच में कार्य के वितरण के संबंध में नियम बनेंगे और गवर्नर स्वविवेक से नियम बना सकता है और इस स्वविवेक को इस

[श्री रास सेवक यादव]

विधेयक के जरिये आप स्थानान्तरित कर रहे हैं दूसरे को। मैं समझता हूं कि स्वविवेक का स्थानान्तरण किसी दूसरे अधिकारी को हो नहीं सकता है। और इसी सिलसिले में ए० आई० आर० १९६७ के पृ० १६०१ से १६०२ के कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट आफ राजस्थान से संबंधित केस में दिये गये हैं। १९६७ का ही एक और भी केस हैं चन्द्रमोहन वर्सेस स्टेट आफ यू० पी०। तो प्रेमनाथ वर्सेस स्टेट आफ राजस्थान के केस में जो जजमेंट है उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं--

". . . . So far as direct recruitment is concerned, under Rule 21 it is the Committee which scrutinise the application and it is again the Committee which decide whom to reject and whom to call for interview. The High Court has nothing to do with the Selection Committee which interview the candidates considered eligible for appointment and not the High Court."

". . . . The consultation as provided in Article 233 is the consultation with High Court and not with any other authority such as the Selection Committee appointed under the rules . . . ."

". . . . The Rules, therefore, do not provide for consultation of the High Court and, therefore, contravene Article 233, which envisages consultation with the High Court and not with any other body such as the Selection Committee which cannot substitute the High Court even though the members thereof happen to be three judges of the High Court. The Learned Solicitor-General who appareed for the State frankly conceded that it was not possible for him to distinguish these Rules from the U. P. Higher Judicial Service Rules and therefore, the decision in Chandra Mohan's case A.I.R. SC 1966 SC 1987 (Supra) would apply to the present Rules. Consequently, the said Rules cannot be sustained and have to be declared invalid. The proceedings taken by the Selection Committee and following them the action taken must also be held to be invalid."

इस प्रकार मान्यवर, आयोग की जो व्यवस्था है वह संविधान में स्पष्ट है, वह अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इसमें जल्दबाजी न करें, अगर चाहें तो इसबें एडवोकेट जनरल की राय भी मंगा लें, यह सदन में उनकी राय को जान लें, फिर इस विधेयक को लायें तो अच्छा होगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

अधिष्ठाता महोदय अभी माननीय राम सेवक जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। एक दो बातें और कहना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग, मान्यवर, संविधान के आर्टिकिल ३१५ से ३२३ के अन्तर्गत बना है। अब जब तक संविधान में उसके लिये कोई परिवर्तन न किया जाय, कोई कार्य ऐसा नहीं किया जा सकता जो संविधान के प्रतिकूल हो या उस पर कोई प्रतिकूल असर डाले। इस विधेयक से इस आयोग के दो भाग बनते हैं। संविधान ने एक यूनिट बनाया, सदस्य और अध्यक्ष सब को मिला कर एक माना और जैसा कि इस विधेयक में भाग (२) में कहा गया है--"पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में आयोग के कार्यों का सुकर सम्पादन करने तथा उसके सदस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं) और अधिकारियों में उक्त कार्यों के आवंटन की व्यवस्था की जा सकती है।"

मेरा कहना यह है कि इस विधेयक से आयोग की जो एक यूनिट संविधान ने बनाया, वह अब दो भागों में बंट गया--एक अध्यक्ष और दूसरा सदस्यगण। संविधान में कहीं भी नहीं है, जहां अधिकारों का जिक्र है वहीं सदस्य और अध्यक्ष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। एक

ही यूनिट माना गया है और सब को बराबर का अधिकारी माना है। उद्देश्य में यह कहा गया है कि इसका कोई नियम नहीं है। यह तो सही बात नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के १९४० में नियम बन चुके हैं और आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को सूचित कर देना चाहता हूं कि १९६१-६२ में वे दोबारा छपे और आज उसी के अन्तर्गत वह कार्य कर रहा है। और जिस आयोग का नियम न बना हो, और जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट की तहत में हो जिसको बाद में हमने अपनाया है तो क्या आज तक लोक सेवा आयोग बिना नियमों के अपना काय करता रहा है? इसमें और स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) का अध्यक्ष, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से आयोग की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकता है।" संविधान में अध्यक्ष को अलग अधिकार नहीं दिया गया है और यहां इस विधयक से आप उसको अलग अधिकार दे रहे हैं। यह भेदभाव है। इससे सदस्य और अध्यक्ष के अधिकारों में बहुत फर्क पड़ता है।

एक यूनिट के बदले आपने दो यूनिट बना दिया तो यह कहां तक न्याय संगत है खण्ड (२) के उपखंड (२) में दिया हुआ है कि पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना--यानी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लोक सेवा आयोग के ६ सदस्य होते हैं। उन सभी का अधिकार एक आदमी में निहित हो गया, जिसका नाम अध्यक्ष है, तो क्या उनकी शक्ति की व्यापकता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा? एक आदमी पर असर डालना बहुत आसान है लेकिन सभी पर असर डालना बहुत कठिन है। एक तो इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के पूर्वानुमोदन आयोग की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकता है। अभी तक लोक सेवा आयोग अपने आप नियम बनाता रहा है, तो आज कौन-सी आवश्यकता पड़ी कि राज्यपाल के जरिये सरकार उसमें हस्तक्षेप करने लगी? तो यह कहां तक संवैधानिक है इसलिये इस पर मेरी आपत्ति है कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करें। इसमें कोई शीघ्रता की बात भी नहीं है। कानून बनाने से पहले इस बात पर विचार कर लें कि खवामखवाह पैसे भी खर्च हों और बाद में वह चीज संविधान के खिलाफ निकले तो यह उचित न होगा। यही मरी आपत्ति है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

अधिष्ठाता महोदय, ऐसा है कि जो अभी माननीय रामसेवक यादव जी ने आपत्ति उठायी है संविधान में जो प्रोविजन है उसके अन्तर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया दी हुई है कि ऐसे एप्वायंटमेंट करेंगे, ऐसे लोगों को हटायेंगे, कौन-कौन से लोग सदस्य होंगे उसमें एक प्रोविजन और है। मैंने सारे पहलुओं पर विचार कर लिया है। इसमें यह पहलू छोड़ दिया गया है कि किस सदस्य को कितना अधिकार दिया जाय। यह छोड़ दिया गया है या इसको संविधान ने उचित नहीं समझा। पब्लिक सर्विस कमीशन के हर मेम्बर को इक्वल राइट्स हैं और वे इक्अुल रैंक के लोग हैं। यह देने के लिये कहीं भी इस प्रकार की प्राविजन नहीं किया गया है कि अलग से वहां किसी एक मेम्बर को अधिक अधिकार दिये जायं। आप देख लें ३१८ में.....

Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.

श्री अधिष्ठाता--

यह राज्यपाल का अधिकार है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

लेकिन चेयरमन को अलग से अधिकार दे करके, इसको नियम बना करके, अपने नियम अपने अधिकार बना लें इसका अधिकार इसमें कहीं नहीं दिखाया गया है। आप देखें :

In the case if the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regulation.

दो चीजों के बारे में है।

a. determine the number of members of the Commission and their condition of service, and—

दूसरा है—

b. make provision with respect to the number of member of the staff of the commission and their conditions of service :

स्टाफ क बारे में कहा है।

Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

मैंने इसमें कहीं इस प्रकार का प्राविजन नहीं देखा कि अलग से वहां कोई चेयरमैन को अधिकार देने का नियम बना सकें।

श्री अधिष्ठाता—

राष्ट्रपति को तो अधिकार दिया है। मंत्री जी को आप सुन लें। आप बैठ जाइये।

बाबा रामनाथ (जिला मनपुरी)—

मान्यवर, ३१८ से ३२३ तक देखा जाय इसमें है कि अप्वाइंटमेंट कैसे होगा विधान में कहीं भी ऐसी चीज नहीं है। क्या दिक्कत थी जिससें यह विधेयक लाया गया है। इन आर्टिकिल्स को देख लिया जाय। जो विधेयक रखा गया है वह संविधान की मंशा को पूरा नहीं करता है। यह उसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं इन आर्टिकिल्स को पढ़ना नहीं चाहता हूं। मंत्री जी इसको देख लें, कि इसमें क्या प्राविजन किया गया है। वह तो विधेयक को सिर्फ पारित कराना चाहते हैं।

अधिष्ठाता—

आप मंत्री जी को सुन लें। तो शायद आपकी आपत्ति समाप्त हो जाय।

बाबा राम नाथ—

यह संविधान के बाहर की चीज है। इसको यहां पर लाना इसका वायलेशन है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, शेड्यूल ७ से ४१ तक के अन्दर सदन को अधिकार है कि वह परिवर्तन कर सके। अब जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव को अधिकार है तो हम यह मानकर चलते हैं कि सदन को अधिकार है, तो प्रश्न होता है कि क्या माननीय सदस्य, माननीय रामसेवक यादव जी को चिन्ता है कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम यह संशोधन लाये हैं, कोर्ट में इसको चैलेंज न कर दिया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में मैं उनसे ज्यादा चिंतित हूं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मंत्री जी ने अभी कहा कि सदन को अधिकार है कि वे लेजिस्लेट कर सकें। मुझे इस बारे में जानकारी है। इसमें ३२० में प्राविधान है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि किस बारे में लेजिस्लेट कर सकते हैं।

Provided that the President as respect the all-India services and also as respects other services and posts in connection with the affairs of the Union, and the Governor, as respects other services and posts in connection with the affairs of a State, may make regulations specifying the matter in which either generally, or in any particular class of case or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted.

तो यह अधिकार है इसको सब मानते हैं। यह विधान सभा का अधिकार है। मगर जो संशोधन लाया जा रहा है वह अधिकार के बाहर है।

श्री अधिष्ठाता—

४१ नम्बर को देखें तो उसमें राज्य लोक सेवायें और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई विधि निर्मित करने का अधिकार इस माननीय सदन को है, चेयरमैन असेम्बली का यह नहीं तय कर सकता है।

श्री रामसेवक यादव—

प्रश्न यह है कि कानून बनाने के लिये अख्तियार बहुत हैं लेकिन जो भी कानून बनायेगा वह इसी के तहत बनायेगा।

*श्री राज मंगल पांडेय—

तो मान्यवर मैं कह रहा था कि इसके पहले का जो ऐक्ट बना है हम उसके कोई विपरीत ज्यादा चीज नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आई हैं जैसे कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर पूरे कमीशन के मेम्बर्स बैठते थे और तब उन पर निर्णय होता था। इस विधेयक में देखेंगे कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४ कहलायेगा। रूल्स आफ बिजनेस को लेकर रोज खीचातानी होती थी और विलम्ब भी होता था क्योंकि छोटी बात के लिये भी कमीशन के सारे मेम्बर्स बैठते थे इसलिये हम इस विधेयक को लाये हैं। इसके द्वारा सुगमता यह हो जायगी कि छोटे मामले अध्यक्ष को मिल पायेंगे और बड़े मामले कमीशन के पास रहेंगे। इस तरह सारे पावर्स कमीशन के अध्यक्ष को नहीं मिलेंगे। इसलिये यह चिन्ता का कोई विषय नहीं है। मैं अनुरोध कर देना चाहता हूं कि कमीशन के जो सारे पावर्स हैं और जिनसे पूरा स्टेट प्रभावित है, हम उनको एक व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं और न कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं कि जिससे किसी माननीय सदस्य को चिन्ता हो। हम चाहते हैं कि छोटे मामलों में जैसे कि एप्लीकेशन को इन्टरटेन करना है तो वह तभी इन्टरटेन हो जबकि कमीशन बैठे। तो इस प्रकार के छोटे कार्यों को करने के लिये हम थोड़ा परिवर्तन करके दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहते हैं जिससे कि कार्य सुगमता से हो सके। इसलिये कार्य-संचालन नियमावली के प्रोसीजर को थोड़ा चेन्ज करना चाहते हैं राज्यपाल के प्रायर एप्रूवल से। तो, मान्यवर, जब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के पावर को जानती है और यह भी जानती है कि हम उनसे कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपना सकते जिससे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को कोई रोष हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

मान्यवर, अभी २९८ मुंसिफों को रखने की बात है। तो हम आज कैसे बतायें कि साल बाद परीक्षा हुई और उसमें फिर भी १०० आये। इस प्रकार इस प्रक्रिया में बहुत देर हो जाती है। क्योंकि इसमें सारे कमीशन के सदस्य बैठते हैं। इसलिये थोड़ा पहिचान कर देना चाहता हूं। इससे अध्यक्ष को कुछ पावर हो जायं और जिससे सारे कमीशन के सदस्यों को न बुलाना पड़े। लेकिन हम सारे पावर को नहीं लेना चाहते हैं इसलिये इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। क्योंकि जहां तक चिन्ता की बात है जितनी आप लोगों को है उतनी ही हमें भी है क्योंकि वह ऐक्ट चैलेंज हो सकता है? इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और इस विधान मण्डल को पूरा अधिकार है? दूसरी बात यह है हम तो केवल कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहते हैं और हम उनके किसी अधिकार को नहीं लेना चाहते।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे। अधिष्ठाता जी, मंत्री जी ने जो फरमाया कि हमारी कोई मंशा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अधिकार लेने की नहीं है, और न उनकी हैसियत कम करने की है, तब तो हमारी प्रवर समिति वाली मांग और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और जायज होती है उसका कारण यह है कि मंत्री जी तो कोई अधिकार लेना नहीं चाहते और न इसकी शीघ्रता कोई है क्योंकि मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को नियंत्रण करने का हमारे पास कोई नियम नहीं है और वह ३० साल से काम करता चला आ रहा है। तो एक महीने में कोई बड़ा भारी नुक्सान नहीं हो जायेगा और आसमान नहीं टूट जायेगा। जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस सदन को अधिकार है और सदन तय करेगा तो प्रवर समिति में इस बात पर विचार हो जायेगा और जो मुनासिब होगा वह यह सदन स्वीकार कर लेगा वरना रिजेक्ट कर देगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि सदन में उनका पक्ष ज्यादा है इसलिये वह पास करा सकते हैं लेकिन जो संविधान में अधिकार दिया है दफा ३१५ से ३२३ तक, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना तो लाजमी है—जैसा कि दिया हुआ है कि "पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन एवी स्टेट" यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके नियम क्या होंगे, वह कार्य कैसे करेगा, उसको ये राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से बना सकते हैं। मैंने अपनी आपत्ति में कहा था कि आज भी पब्लिक सर्विस कमीशन के नियम हैं और वह नियम के अन्तर्गत कार्य करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या ६ है लेकिन ४ कार्य रहे हैं। क्या कठिनाई थी सरकार को कि ६ सदस्य नहीं बना सकी, क्यों नहीं दो सदस्यों को और नियुक्त किया।

यह बात कही गई कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मम्बरों से पूछना पड़ता है तो ऐसा आभास दिया जा रहा है कि मानों १००–२०० मेम्बर्स हैं और कोई अमेरिका में रहता है, तो कोई इंगलैण्ड में और को केरल में। उसमें बड़ा समय लगता है और टी० ए० या डी० ए० देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। सदस्य सभी एक स्थान पर रहते हैं और वहीं काम करते हैं कौन सा कारण है जिस वजह से देरी होती है और अगर होती है तो वह एक स्वतन्त्र बाडी है संविधान से पूरा अधिकार मिला हुआ है कार्य करने का लोक सेवा वह संस्था है जिस पर आज भी जनता का विश्वास है काफी हद तक उसकी निष्पक्षता में। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप कर दिया गया। सरकार, अधिष्ठाता महोदय, एक पार्टी की होती है।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और यदि एक पार्टी का दखल हो गया तो उसमें ऐसा ही होगा जैसे आप बोर्ड बनाते हैं, कार्पोरेशन और कमेटी बनाते हैं। सरकार नामजदगी करती है। क्या कोई माननीय सदस्य इस ओर बैठा हुआ

मुझे बतला सकता है कि उसमें कितने इस ओर से जाते हैं ? एक राजनीतिक दल के आदमी ही उसमें होते हैं । इसलिये आप संविधान में अध्यक्ष को अधिक पावर देकर खुद कह रहे हैं कि अध्यक्ष को सशक्त बना रहे हैं । इसके उद्देश्य और कारणों यदि देखें तो आपने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष को इस बात के लिये सशक्त किया जाय कि वह नियम बना सके । इसके माने हुए कि डेमोक्रेटिक सेटअप बना हुआ है उसको खत्म करके एक डिक्टेटर बना दिया जिसका नाम अध्यक्ष रख दिया । संविधान में अध्यक्ष की कोई अलग शक्ति नहीं है। वह सब सदस्यों के बराबर अधिकार रखते हैं और यह भी अधिकार इसमें दिया जा रहा है कि अगर वह चाहे तो नियम बनाने के बाद पब्लिश करें या न करें।

अधिष्ठाता महोदय जरा विचार करें और आपके द्वारा मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे नियम भी होते हैं जो नियम गोपनीय रखे जायं ? जनता से, मेम्बरों से, अधिकारियों से गोपनीय रखे जायं और जिस समय आवश्यकता पड़े उस समय निकाल दिये जायं कि यह रहे नियम । नियम वह हैं जो सबके सामने रहें, हर आदमी को जानकारी रहे और वह कह सके कि नियम ठीक बने हैं या नहीं । इसलिये इसके तीसरे खंड में दिया है कि नियम का भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा यह भी अध्यक्ष तय करेंगे, यह भी माननीय सदस्य तय नहीं करेंगे । इस तरह से आपने सदस्य और अध्यक्ष के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क कर दिया और इस प्रकार सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया । मेरा कहना है कि यह सब बात बहुत महत्वपूर्ण है । अधिष्ठाता महोदय, यह भी उसमें हुआ है कि प्रेसीडेन्ट से ऐक्ट बनाने की बात कही गयी तो प्रेसीडेंट ने इस पर अपनी अनुमति नहीं दी । स्पष्ट है, अनुमति कैसे देते जो संविधान के विरुद्ध बात की जा रही है । इसके बाद मंत्री जी सदन के समक्ष आये । यदि यह सब अधिकार आयोग को दें तो बात समझ में आयेगी और वह चीज लोकतांत्रिक होगी, डेमोक्रेटिक होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा । लेकिन सदस्यों को ताक पर रख कर केवल अध्यक्ष को अधिकार दें तो उचित नहीं है । यह उनसे पत्र-व्यवहार करें कि क्या राय है तो वह उत्तर देंगे मैं सहमत हूं । इसका अर्थ होगा कि "हम सहमत हैं" यानी पूरे लोक सेवा आयोग की सहमति हो गयी । एक आदमी से पूछा और पूरे सदस्यों की सहमति प्राप्त हो गयी तो वह केवल जनतन्त्र के अधिकारों का हनन है वरन संविधान की मंशा के विपरीत है । एक आदमी को अधिकार देना उचित नहीं क्योंकि वह कभी भी दुरुपयोग कर सकता है । मंत्री जी ने कहा था कि इसमें अधिकार है कि यह विधान सभा और विधान परिषद् दोनों मिलकर रेजिस्लेशन कर सकते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि ३२० आर्टिकिल में स्पष्ट दिया हुआ कि लेजिस्लेचर या राज्यपाल महोदय ऐसा आदेश दे सकते हैं लेकिन १४ दिन के अन्दर वह आदेश विधान मंडल के सामने पहली मर्तबा में आ जाने चाहिये । अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से कोई बात निकालना चाहे और यह कहना चाहे जैसे कि पुलिस में भर्ती आयोग नहीं करेगा, सेनिटरी इन्सपेक्टर की भर्ती आयोग नहीं करेगा तो आप वह अधिकार उससे निकाल सकते हैं । यह अधिकार आपको है । लेकिन आप अध्यक्ष को आयोग से अलग करके पूरे अधिकार दे दें यह कहीं नहीं है मेरा निवेदन था कि प्रवर समिति की अत्यन्त आवश्यकता हो गयी कि इस पर सदन के सदस्य विचार करें और विचार विनिमय करने के बाद देखें कि आयोग की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है, कोई नाजायज हस्तक्षेप तो नहीं होने जा रहा है । माननीय मंत्री जी को इसमें क्या कठिनाई हो रही है कि जनता को सोचने दें आयोग की स्वतंत्रता में कोई हमें हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है ? क्योंकि वह उत्सुक है कि उसे हो जाना चाहिये । माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि वह किसी अधिकार को देना चाहते हैं तो अध्यक्ष को अधिकार देकर उसका हनन क्यों कर रहे है ? श्रीमन् इसमें जितने आर्टिकिल्स बतलायें संविधान के ३१५ से लेकर ३२३ तक उनमें अध्यक्ष के कहीं अधिकार अलग नहीं किये गये लकिन हमारे इस विधेयक में सब अधिकार अध्यक्ष

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

को दे रहे हैं और यह भी कहते जाते हैं कि व्यापकता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। अगर व्यापकता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा तो फिर ६ आदमियों के अधिकार एक आदमी में निहित क्यों किये जा रहे हैं ? मैं नहीं जानता कि कौन सी बात है इसमें जिससे व्यापकता बढ़ रही है। मेरी राय में तो व्यापकता समाप्त हो रही है। सरकार यह महसूस कर रही है कि लोक सेवा आयोग स्वतंत्रता से कार्य करता है और वह उसके हस्तक्षेप नहीं मानता तो उसको कैसे बाध्य किया जाय ताकि वह सरकार की बात को माने और वह जो जनता की निष्पक्ष सेवा करने का प्रयास करता है उसे वह न कर सके मेरा निवेदन यह है मंत्री जी से कि उनकी मंशा सही, सुन्दर अच्छी हो तो जैसी उन्होंने भावना व्यक्त की है प्रवर समिति उस पर विचार कर लेगी और जिस संस्था ने ३६ साल नियम नहीं बनाये, ३० दिन और नहीं बनेंगे तो कोई बड़ा नुकसान उससे होने वाला नहीं है प्रवर समिति में उस पर अच्छी तरह से गौर हो जाना चाहिये आपकी भी राय ले ली जाय। जल्दी में कोई विधेयक लाना और उसको पास करवाना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब आपके स्थान पर अधिष्ठाता जी थे, उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। कानूनी आपत्ति उठाई कि वह असमर्थ होंगे फैसला देने में तो यह कानूनी आपत्ति है, यह सदन को तय करना होगा। मेरा निवेदन आपके द्वारा मंत्री जी से यह है कि वह इस विवाद में न पड़ें और यही देखें कि क्या इससे संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं ? मेरा विचार है कि अध्यक्ष के हाथ में अधिकार देने से काम बनेगा नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जनता की मान्यता है वह मान्यता इससे घटेगी, बढ़ेगी नहीं। इस लिये इस संस्था को पवित्र रहना चाहिये ताकि जनता इसको मान्यता दे सकें कि आज लोक सेवा आयोग में वही सब अधिकार निहित हैं जो होते आ रहे हैं। मैंने जैसा निवेदन किया उनके पास नियम हैं। उन नियमों के अन्तर्गत वह काम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि "आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल सरकारी गजटमें अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाणीकृत किये जायंगे।" कौन सा अधिकारी वह होगा लोक सेवा आयोग का जो उनकी तरफ से प्रमाणित करेगा ? इसमें राज्यपाल महोदय का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त होगा। नियम प्रकाशित न भी करे तो भी उस अध्यक्ष को अधिकार होगा कि नियम पालन करने के लिये सदस्यों से कहा जाय, अधिकारियों से कहा जाय। लेकिन यह भी कर्त्तव्य होता है कि सदस्य को बतलाया जाय कि अगर ऐसा वह नहीं करेंगे तो इस तरह से नियमों का उल्लंघन होगा। लेकिन नियम वहां होंगे नहीं क्योंकि प्रकाशित नहीं होंगे। अध्यक्ष चाहेंगे तो प्रकाशित करेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं प्रकाशित करेंगे। अधिकारी कौन सी बात उनके सामने रखेंगे ? नियम के अनकूल काम नहीं होता है तो सदस्यों का विवाद रह जायेगा और वे भी इसी अन्दाजे पर कि शायद कोई नियम है, पास कर देंगे। अध्यक्ष भी राज्यपाल को लिखकर देंगे कि मेरी सहमति है। इस तरह से ऐक्ट लागू हो जायेगा। अतः श्रीमन्, यह जो विधेयक है वह पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक यूनिट् है उसको दो भागों में बांट रही है। एक अध्यक्ष और दूसरा सदस्य। सदस्य के स्टेट्स को बिलकुल नीचा कर रहे है और अध्यक्ष को पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और मुनासिब नहीं है। इसलिये इसे पास करना उचित नहीं है। अतः मंत्री जी कृपया इसे प्रवर समिति के पास भिजवा दें जो कि इस पर पूर्णरूप से विचार करे। मुझे विश्वास है कि यह सदन मेरे इस सुझाव को मान लेगा।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं उस बहस को नहीं उठाऊंगा जो मैंने संविधान के आधार पर उठानी चाही थी। जैसा कि अधिष्ठाता महोदय, ने कहा उसमें आप भी विवश हैं और सरकार तथा सदन ही उसमें मालिक है। मंत्री जी ने जबाव में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये कहा कि

उसे संविधान की किसी धारा का उल्लंघन नहीं होता है और वे ज्यादा चिन्तित हैं। चिंतित रहना भी चाहिये। लेकिन मेरा मामूली सा निवेदन यह है कि जो यह कहा गया है विधेयक के उद्देश्य और कारण में कि कोई प्रक्रिया क चलाने के लिये नियम नहीं है। मैं इस पर बहस नहीं करता। नियमों की पूरी प्रतिलिपि जो वहां पर संचालित होती है वह मेरे पास है किन्तु ये नये नियम बनाने की बात कहां से आ पड़ी....

श्री राज मंगल पांडेय---

इसका मतलब यह है कि जो वहां पर नियम थे वे व्यापकता की दृष्टि से ठीक नहीं उतरते थे। मामूली मैटर्स के लिये भी सब की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसलिये रूल्स आफ बिजनेस में यह किया जा रहा है कि छोटे-छोटे अधिकार अध्यक्ष को दे दिये जायं और बाकी वैसे ही रहें।

श्री राम सेवक यादव---

दूसरे जो इस विधेयक की मंशा है वह यह है कि हम अकेले आयोग के अध्यक्ष को अधिकार दे दें और उसके लिये जो तर्क दिया जाता है वह यह दिया जाता है कि सदस्यगण इकट्ठा नहीं हो पाते और जब इकट्ठा नहीं हो पाते तो कार्य-संचालन में और नियम आदि बनाने में दिक्कत होती है। मैं कहता हूं कि आपके मंत्रि-परिषद् के सदस्य भी अलग-अलग ही रहते हैं और वे लोग तो एक ही जगह पर रहते हैं। तो यह तर्क कहां तक उचित है। यदि इस उद्देश्य को मान भी लिया जाय तो जो संयुक्त जिम्मेदारी संविधान में दी गई है वह सारी की सारी खत्म हो जाती है और इस विधेयक के जरिये वह अलग हो जाया करते हैं। एक दिक्कत यह भी बतायी गई कि यह दिक्कत सदस्यों की नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं बल्कि वहां के जो सचिव हैं, मुझे जानकारी मिली है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं या दूसरे सदस्य हैं वे जब कोई फाइल मांगते है तो वह (सचिव) दो-तीन महीने और कभी-कभी वर्षों तक फाइल रोके रहते हैं और नहीं देते है जिससे दिक्कत हो जाती है। यह विधेयक उसे दूर करने के लिये नहीं है बल्कि इसके लिये है। अगर यह पास हो जायेगा तो रूल बनाने का अधिकार आयोग के अध्यक्ष को मिल जायेगा तो राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और राज्यपाल की पूर्वानुमति का मलतब है सरकार की अनुमति। अगर वह व्यक्ति कमजोर होगा तो वह नियम सरकार के मन का बनेगा और यदि वह व्यक्ति स्वतंत्र होगा..... (व्यवधान) सोचने का सवाल नहीं है, हो सकता है, कल इस सदन में हम और आप दोनों न हों और कल दूसरी सरकार बन जाये। तो सवाल यह है उस हालत में यह उसकी कठपुतली बनेगा, कठ पुतली नहीं बनता तो नियम ही नहीं बनेंगे। इस तरह दिक्कत कम करने के बजाय इसमें दिक्कत बढ़ाने का ही उपक्रम किया गया हो। तो दिक्कत दूर करने का तरीका इसमें ठीक नहीं उतरता। इसमें आयोग या तो निरर्थक हो जायेगा या फिर कठपुतली बनेगा, यदि वह निष्पक्ष होगा तो रूल बनेगा ही नहीं। पूर्व अनुमति मिलेगी ही नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आजकल की दिक्कतें आप जानते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से नियम बनाता है। आयोग को अधिकार है कि नियमों का एक हिस्सा चाहे तो गोपनीय रखे और यहां तक कि यदि कोई अदालत में भी जाना चाहे तो वहां पर भी पेश करने से उसे रोक दिया गया है। आयोग के सदस्यों से भी गोपनीय रखेगा, पब्लिक से भी गोपनीय रखेगा या सरकार से गोपनीय रखेगा, यह कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब आपने उसे खुला, अधिकार दे दिया है कि वह गोपनीय रखेगा तो वह किसी से भी गोपनीय रख सकता है। इस प्रकार से आप आयोग का एका और उसकी सेक्टिरी तोड़ रहे ह और संविधान में निहित मंशा को समाप्त कर रहे हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके प्रवर समिति में जाने से यदि यह दिक्कतें दूर हो सकती है, जिन्हें हम महसूस करते हैं, आयोग की मर्यादा,

[श्री रामसेवक यादव]

निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रह सकती है, तो जैसा हम लोगों ने संशोधन किया है, उनकी रोशनी में सोचा जा सकता है। लेकिन इस तरह से कह कर कि केवल ३ लाइन का विधेयक है, नजरन्दाज इतनी महत्व की चीज को कर देना ठीक नहीं है। कहने को तो यह तीन लाईन का है, लेकिन इसमें गागर में सागर भरने वाली बात है, जैसा कि मूर्ति तो छोटी है, लेकिन प्रसाद ज्यादा उठता है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस संशोधन का मान लें और उसको यदि इसे मानने में दिक्कत है तो बड़ा ही मासूम तरीका यह है कि जो इसमें विभिन्न संशोधन दिये गये हैं, उन्हें वह मान लें, यदि प्रवर समिति में भेजने में उन्हें कोई एतराज है। लेकिन यह जल्दी ही एक महीने में होना चाहिये। समय की बात भी नहीं उठनी चाहिये, क्योंकि यदि इतने दिन तक दिक्कत नहीं हुई तो और एक महीने में कौन सी दिक्कत हो जायेगी। मैं उनसे पुनः चाहूंगा कि वह कोई ऐसा काम न करें, जिससे प्रजातांत्रिक आधार का धक्का लगे, जिसमें जनता का विश्वास न हो और जनमानस पर यह असर पड़े कि एक आदमी के हाथ में या सरकार अपने हाथ में इतने विस्तृत अधिकार लेना चाहती है। इसलिये प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि हम तो छोटे-मोटे अधिकार जिनमें देर होती है, उनको अध्यक्ष को देना चाहते हैं, तो कौन छोटा-मोटा अधिकार है और कौन बड़ा होगा, इसकी कोई व्यवस्था तो उसमें हुई नहीं है? तो क्या केवल छोटी-मोटी बातों से अध्यक्ष जी सशक्त होंगे?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसमें चर्चा काफी हो चुकी है। सेक्शन २ के क्लाज (२) में आप देखेंगे--पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में आयोग के कार्यों का सुकर संपादन करने तथा उसके सदस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है) और अधिकारियों में उक्त कार्यों के आवंटन की व्यवस्था की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पावर्स कमीशन ऐज सच के रूप में है उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी अध्यक्ष को नहीं देना चाहेगा वह पावर्स अध्यक्ष का कभी नहीं दिये जावेंगे। अभी माननीय रामसेवक जी ने कहा कि दो-दो वर्ष हो जाते हैं सेक्रेटरी से फाइल मांगता है नहीं मिलती थी, इसीलिये तो यह अधिकार दिये जाने चाहिये कि जब भी अध्यक्ष फाइल मांगेगा तब मजबूरन उसको देनी पड़ेगी। सेक्रेटरी एकाउंटेबिल है पूरे कमीशन के, अगर पूरा कमीशन न बैठे और जितना कोरम है उतना कोरम न पूरा हो और कमीशन की बैठक न हो तो फिर फाइल अध्यक्ष को नहीं मिल सकती थी। तो जब स्वतः महसूस करते हैं तब बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये कामों को सुचारु रूप से चलाने के लिये अगर अध्यक्ष को अधिकार मिल जायें कि वह कामों को आवंटित कर सकता है तो क्या नुकसान होगा?

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, इसमें मंत्री जी बतलावें कि वे इसमें व्यापकता पर प्रभाव कैसे नहीं डाल रहे हैं? पहले जो ६ मेम्बर्स की सलाह से बनता था अब वह केवल आप अध्यक्ष में ही सीमित कर रहे हैं तो क्या इससे आप व्यापकता पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं? कैसे मालूम होगा कि व्यापकता पर प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं?

श्री राजमंगल पांडेय---

वह आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। जहां तक उनकी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है या स्कीम आफ एक्जामिनेशन का सवाल है उनको आप देखें कि स्कीम

आफ एक्जामिनेशन में अब कौन-कौन से लोग होंगे जिनको हम कापी सेट करने के लिये देंगे, जो एक्जामिनर्स होंगे वे कौन-कौन होंगे यह सारे अधिकार जैसे पहले कमीशन को थे वह अब भी उनको ही होंगे। किसी एप्लीकेशन को एन्टरटेन करने के लिये या रिजेक्ट करने के लिये अब कोई नियम बना दिये गये हैं तो उसको तो कमीशन आन दि होल बैठ कर करेगा कि किस अधिकार से किस नियम के अधिकारों के अधीन वह अधिकृत किया जायेगा, उन्हीं के अधीन वह रिजेक्ट या इन्टरटेन करेगा। तो इस पर व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना काम सुचारु रूप से चलाने के लिये तो कमीशन करेगा लेकिन काम आन दि होल ऐसे हैं जिनमें बैठक की जरूरत है....

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

वही जरूरत तो कौन तय करेगा, जरूरत की सम्भावनाओं को कौन निश्चित करेगा।

श्री राज मंगल पांडेय---

इसके निश्चित करने का अधिकार तो स्टेट लिस्ट जो है उसको आप देखें, उसमें राज्य सरकार को विधान मंडल को अधिकार है शेड्यूल ७ के आर्टिकिल ४१ में पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लिस्ट के अन्दर है और उसके लिये विधान मंडल को अधिकार है कि वह उसके रूल्स आफ बिजिनेस को नियमित कर दे और इसीलिये वह अध्यक्ष के अधिकार को नियमित कर दे रहा है कि वह लोक सेवा आयोग के कार्यों को इस तरह से आवंटित करे जिससे कार्यों में कोई बाधा न पड़े और बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ही वह सारे कार्य सम्पादित हो सकें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपनी रिपोर्ट १ माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन

२—(१) राज्य लोक सेवा आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) का अध्यक्ष, राज्यपाल के पुर्वानुमोदन से आयोग की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकता है।

(२) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में आयोग के कार्यों का सुकर संपादन करने तथा उसके सदस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है।) और अधिकारियों में उक्त कार्यों के आवंटन की व्यवस्था की जा सकती है।

(३) अध्यक्ष, यदि वह लोक हित में उचित समझे यह निदेश दे सकता है कि उक्त नियम अथवा उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति में शब्द "राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से" के स्थान पर शब्द "आयोग के सदस्यों की सलाह से" बढ़ा दिया जावे ।

श्रीमन्, जैसा मैंने बार-बार निवेदन किया फिर यही कहूंगा कि आयोग की स्वतंत्रता पर हमला मत कीजिये । इसमें आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को अधिकार दीजिये कि वह ऐसा करें । राज्यपाल का अनुमोदन उनको न लेना पड़े । अगर यह फैसला नहीं होता है तो फिर राज्यपाल का अनुमोदन लेंगे और वह उस परिवर्तन को कर देंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय---

स्वीकार नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं केवल इतना ही कहता हूं कि आखिर यह सरकार किसी संस्था को स्वतंत्र रहने देगी या नहीं । वहां भी अपना हस्तक्षेप सरकार चाहती है । सबसे बड़ा साधन गवर्नर है । और गवर्नर महज एक रबर स्टैम्प है जो सरकार कहती है उसमें उसकी लाचारी है । अब गवर्नर को पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ला रहे हैं जिसमें अभी तक हमारी कुछ हद तक आस्था थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन इंडेपेंडेंट है, नहीं तो टेलीफोन से उसकी कार्यवाही पर असर डाल देते हैं । जब गवर्नर के अनुमोदन के लिये यह जायगा तब तो अनर्थ हो जायगा । हर तरह से आप चाहते हैं कि जितना जबरदस्त पंजा हर पहलू पर प्रशासन पर हो सके लगाया जाय । जो माननीय सदस्य ने मूव किया है और विचार व्यक्त किया है मैं भी अनुमोदन करता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने तो कह दिया मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति में शब्द "राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से" के स्थान पर शब्द "आयोग के सदस्यों की सलाह से" बढ़ा दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "और अधिकारियों" को निकाल दिया जावे ।

अब तक यह हो रहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं करें । अब पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों में काम कैसे बटे, यह भी सरकार यहां से निर्णय करेगी । राज्यपाल का अनुमोदन को सरकार का अनुमोदन है । मेरा संशोधन है कि अधिकारियों को निकाल दीजिये । उनको तो बचा रहने दीजिये ।

श्री राजमंगल पांडेय---

स्वीकार नहीं है, मान्यवर,

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

फिर तो सरकार को अपने हाथ में सारी चीज ले लेनी चाहिये । जब पब्लिक सर्विस कमीशन में यह कह दिया है कि जो मेम्बर होंगे वह रिटायर होने के बाद गवर्नमेन्ट सर्विस नहीं पा सकते । ऐसा ही यूनियन गवर्नमेन्ट में भी है । जब इतना रखा गया है प्रतिबन्ध कि उनको

निष्पक्षता पर आंच न आये। अधिकारियों को बीच में लाकर जो अपनी तरफ है उसको भी नष्ट कर देते हैं। यह तो मान लीजिये, कम से कम।

श्री राजमंगल पांडेय---

स्वीकार नहीं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "और अधिकारियों" को निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ उपखंड (३) निकाल दिया जावे।

श्रीमन्, आप देखें इस खंड ३ में श्रीमन्, आप देखें कि मन्त्री जी यह कहें कि मुझे स्वीकार नहीं है कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वह तर्क दें तो सदन सुन सकता है। लेकिन मन्त्री जी कोई तर्क नहीं देते हैं। इसमें लिखा है कि "अध्यक्ष, यदि वह लोकहित में उचित समझें, यह निदेश दे सकता है कि उक्त नियम अथवा उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा।" आप विचार करें कि सरकार कोई नियम बनाती है और उसको प्रकाशित न करे तो कैसे किसी को मालूम होगा कि किस नियम के अन्तर्गत यह कार्य करते हैं। नियम बना सकते हैं लेकिन वह केवल अध्यक्ष और राज्यपाल महोदय को ही मालूम हो, तीसरे को मालूम न हों और नियम के अन्तर्गत कार्य होगा तो यह कैसे सम्भव होगा। मेरी समझ में यह नहो आता है। नियम बने और प्रकाशित न किये जायं तो अधिकारियों और सदस्यों को क्या मालूम होगा कि कैसा नियम बना है, जनता को कैसे मालूम होगा कि कैसे नियम बने हैं। नियम बनें तो उनको प्रकाशित होना चाहिये जिससे ईमानदारी और निष्पक्षता का पता चले। यह अधिकार कहीं नहीं होगा कि बने और प्रकाशित न हों। यह अधिकार आप अध्यक्ष को दे रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मेरे संशोधन को अवश्य मानिये। जनतंत्र की आस्था में ख्याल करके इसको मानिये। नियम बनाकर प्रकाशित न करें तो नियम बनाने की क्या जरूरत है? इसमें कहीं पकड़ नहीं होगी। इसमें संदेह होता है। नियम बनायें और कहें कि हमने यह नियम बनाये हैं। लेकिन नियम बनाकर प्रकाशित न करना अप्रजातांत्रिक है, गलत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं एक शब्द कह दूं। वैसे कुछ कहना व्यर्थ है क्योंकि मन्त्रीजी कह देते हैं कि मुझे स्वीकार नहीं है। या वह कह देंगे कि लोकहित में मुनासिब नहीं है कि मैं प्रश्न का उत्तर दूं। यही बात वह पब्लिक सर्विस कमीशन में जोड़ देंगे। वह कह देंगे कि लोकहित में नियम प्रकाशित नहीं करेंगे। आपका हृदय भी विद्रोह करता होगा। भविष्य क्या कहेगा? मैं भी इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, अगर इसको मान लिया जाय तो एक्जामिनेशन की सीक्रेसी का परपज ही नष्ट हो जायगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मन्त्री जी कहते हैं कि एक्जामिनेशन की सीक्रेसी खत्म हो जायगी। इसको कौन जानना चाहता है। आप कह रहे थे कि छोटे-छोटे मामलों में सलाह लेनी पड़ती है तो आप उनकी बात कीजिये।

श्री राजमंगल पांडेय---

इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाकी सदस्यों से गुप्त रखना चाहते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्जामिनेशन की गोपनीयता रखना हमारा उत्तरदायित्व है और हमारा अधिकार है कि हम उसको रखें । अगर गोपनीयता भंग हो जाती है तो वह ठीक नहीं होगा । आर्टिकिल १६६ में लिखा है कि जिस चीज को अध्यक्ष समझें कि गोपनीयता भंग होने को है तो उसकी प्रतिलिपि न दी जाय और फलां व्यक्ति को अधिकृत करेंगे तो उसके द्वारा वह चीज हो जायेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

फिर इसकी क्या जरूरत है । यह तो पहले ही था ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ का उपखण्ड (१) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

आयोग के आदेशों तथा निर्णयों का प्रमाणीकरण

३---आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाणीकृत किये जायेंगे, और किसी ऐसे आदेश या निर्णय की, जिसे इस प्रकार प्रमाणीकृत किया जाय, विधिमान्यता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि यह आयोग द्वारा दिया गया आदेश अथवा निर्णय नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा उसके कार्य-संचालन की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ की पहली पंक्ति में शब्द "राज्यपाल" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जाये ।

मान्यवर, इसका भी वही आर्गूमेंट है। आप राज्यपाल को अधिकार न दें और आयोग को अधिकार दें। आयोग को यह काम करने दें । राज्यपाल को अधिकार देकर सरकार के अधिकार को न बढ़ावें ।

श्री राज मंगल पांडेय–

किसी भी सरकार के प्रति इतनी शंका नहीं करनी चाहिये। यह मान्यवर, स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ की पहली पंक्ति में शब्द "राज्यपाल" के स्थान पर शब्द 'आयोग' रख दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड ३, खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय––

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

अध्यक्ष––

नियम ५१ में १२ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री मोहन लाल कपूर का ग्राम बिसौला थाना इंचौली जिला मेरठ के श्री कर्ण सिंह को पुलिस की लापरवाही के कारण जेल में मृत्यु से सम्बन्धित है। यह अल्पसूचित प्रश्न का है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री शिव कैलाश और श्री जंग बहादुर वर्मा का क्रांति दिवस कार्यक्रम बलिया से लौटे हुए यात्रियों को बस दुर्घटना में मृत्यु से सम्बन्धित है। यह भी अल्प सूचित प्रश्न का विषय है।

श्री राम सेवक यादव का सी० पी० एम० टी० परीक्षाफल को संविधान के विपरीत घोषित किये जाने से असंतोष के सम्बन्ध में है। यह अस्वीकृत है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है।

श्री श्याम लाल मिश्र का लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में है। यह एक प्रशासनिक मामला है। अस्वीकृत किया।

श्री श्रीनारायण का लखनऊ स्थित लखनऊ इन्टर कालेज की इन्टर कक्षाओं को प्रबन्धकों द्वारा तोड़ने से उत्पन्न संकट के विषय में है। इस पर भी अल्प सूचित प्रश्न किया जा सकता है।

[श्री अध्यक्ष]

श्री काशीनाथ मिश्र का वाराणसी के विदेशी पर्यटकों के साथ क्लार्क होटल के ड्राइवरों तथा व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की घटना के सम्बन्ध में है। यह भी अल्प सूचित प्रश्न का विषय है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद का इटावा के विरोधी दल के विधायकों की तथा कथित हत्या की षडयंत्र एवं पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। यह भी अस्वीकृत है।

श्री फिरंगी प्रसाद का ट्रेन नं० १७ वैशाली एक्सप्रेस के कोच नम्बर २११३ बी में माननीय सदस्यों की चोरी के सम्बन्ध में है। यह एक कानून की बात है। इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी होगी और उस पर कार्यवाही होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय का इलाहाबाद शहर में अव्यवस्थित बिजली की सप्लाई से संकट के विषय में है। यह भी अल्प सूचित प्रश्न का विषय है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा चन्दौसी–मुरादाबाद थर्मल पावर हाउस के विक्रय में यथा कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)––

चन्दौसी-मुरादाबाद थर्मल पावर हाउस के तीन पुराने जनरेटिंग सेट्स व पांच पुराने बायलर मय अन्य सहायक कल पुर्जों के बेचने के लिये राज्य विद्युत परिषद् के इलेक्ट्रिसिटी मेन्टीनेन्स डिवीजन, बदायूं द्वारा निम्नलिखित सात दैनिक समाचार पत्रों में निविदा (टेण्डर) आमन्त्रित किये गये थे:––

१––हिन्दुस्तान टाइम्स
२––पायनियर
३––नेशनल हेराल्ड
४––स्वतंत्र भारत
५––नव जीवन
६––आज
७––दैनिक वीर भारत

यह निविदायें दिनांक २७ जून, १९७४ को ३ बजे टेण्डर देने वाली फर्मों की मौजूदगी में खोले गये। इन टेण्डरों पर राज्य विद्युत परिषद् की सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज कमेटी ने ९ जुलाई, १९७४ की मीटिंग (नवम्बर ७, ७४) में विचार किया तथा निम्नलिखित सात फर्मों के टेण्डर उनके द्वारा निविदा में दी हुई धनराशि के अनुसार ठीक पाये गये:––

	धनराशि
१––सर्वश्री मुजफ्फरनगर स्टील लिमिटेड, मुजफ्फरनगर ..	१,०१,११,०००.००
२––सर्वश्री इन्डस्ट्रियल इन्टर प्राइजेज, गाजियाबाद ..	८६,६४,९९८.००
३––सर्वश्री राठी इस्पात लिमिटेड, गाजियाबाद	७२,१३,०००.००
४––सर्वश्री वैद्य स्टील लिमिटेड, लखनऊ	६३,११,०००.००
५––सर्वश्री भगवान इन्डस्ट्रीज, लखनऊ	५७,५१,०००.००
६––सर्वश्री सरस्वती स्टील्स एण्ड एलाय, मुजफ्फरनगर ..	५६,००,०००.००
७––सर्वश्री मीना स्टील्स लिमिटेड, कानपुर	१५,००,०००.००

सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज कमेटी के यह तय किया कि उपरोक्त ६ फर्मों को बुलाकर उनसे बात चीत की जाय जिससे कि उपकरण और अच्छे दामों में बिक सकें। १८ जुलाई, १९७४

को उपरोक्त फर्मों से अलग-अलग विचार विमर्श किया गया। ६ फर्मों में एक फर्म सर्वश्री वैद्य स्टील्स लिमिटेड, लखनऊ का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा और उनका टेण्डर भी "अरनेस्ट मनी" के न जमा किये जाने के कारण इनवैलिड हो गया था। सब फर्मों से यह कहा गया कि वे अपने अधिक से अधिक दाम तथा पूरी कीमत देने की तारीख लिखकर बतलावें जिस पर वे उपकरण खरीदना चाहेंगे। सर्वश्री मुजफ्फर नगर स्टील्स लिमिटेड ने जिनका टेण्डर सबसे अधिक था कहा कि उनके टेण्डर में गल्ती से १,०१,११,०००.०० रुपये के बजाय १,११,११,०००.०० रुपये छप गया है। (तीन जनरेटिंग सेट्स के लिए ७५,००,००० तथा पांच बायलर के लिए २६,११,०००.०० रु०) और वे १,०१,११,०००.०० रु० से अधिक न ले पायेंगे। उन्होंने यह भी बतलाया कि तिहाई कीमत "सेलआर्डर" के साथ जब उपकरण लेंगे तथा बाकी धनराशि छः माह में मासिक किश्तों में देंगे।

सर्वश्री भगवान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ ने अपने टेण्डर में ५७,५१,०००.०० दी हुई धनराशि को बढ़ाकर १,०५,०६,०००.०० कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सेल आर्डर' के साथ ३३ प्रतिशत तथा शेष धनराशि को ४५ दिन के अन्दर भुगतान कर देने को कहा।

इस प्रकार सब फर्मों से बात चीत करने के पश्चात् सर्वश्री भगवान इन्डस्ट्रीज का टेण्डर जो सबसे अधिक धनराशि का था मान लिया गया और उन्हें १९ जुलाई, १९७४ को सेल आर्डर संख्या सी–४५१/ई०एस० आई सी०-सी० ई० एच० (सेल)–२४/७४ जारी कर दिया गया। इस सब कार्य में न तो कोई अनियमितता हुई है और न कोई जालसाजी जैसा शिकायत में कहा गया है। इसके अतिरिक्त परिषद् को कोई नुक्सान भी इसकी वजह से नहीं हुआ बल्कि उल्टे टेण्टर में दी गई धनराशि से कुछ अधिक धनराशि ही मिल गई।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

इसमें लिखा है कि ९ जुलाई, १९७४ को ७ टेण्डर्स सही पाये गये और फिर १८ जुलाई, को दुबारा जब निरीक्षण किया गया तो एक टेण्डर अरनेस्ट मनी न होने के कारण इन्वैलिड करार दिया गया तो ९ जुलाई को ७ फर्मों के टेंडर जब ठीक पाये गये और उन्हें ऐक्सेप्ट किया गया तो १८ जुलाई को उस फर्म का क्यों खत्म कर दिया गया और यह जो कहा गया कि अरनेस्ट मनी न होने के कारण खत्म कर दिया गया, तो यह कंट्रेडिक्शन क्यों आया है?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसमें कंट्रेडिक्शन का सवाल नहीं है टेंडर का ठीक पाया जाना और चीज है, अरनेस्ट मनी न होने के कारण कैंसिल होना और चीज है। अरनेस्ट मनी न होने के कारण तो वह इनवैलिड हो सकता है। यह अधिकार जरूर है कि अगर कोई फर्म इतनी रिलायेबिल हो तो यह जरूरी नहीं है कि वेव आफ न करें।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो वक्तव्य हुआ, उसके अनुसार एक फर्म का टेंडर १ करोड़, १ लाख, ११ हजार का था और दूसरे का कम था और मुजफ्फरनगर स्टील्स ने उस पर अरनेस्ट मनी जमा कर दिया तो फिर क्या कारण था कि बिजली बोर्ड ने उनसे दोबारा पूछा, कौन-सी मुख्य बात रह गयी थी?

श्री राजमंगल पांडेय—

असल में तीन जेनरेटिंग सेट्स के लिए ७५ लाख था और 5 बायलर्स के लिए २६ लाख ११ हजार था और दोनों का जोड़ १ करोड़, १ लाख ११ हजार रुपया होता है। गलती से वह अगर १ करोड़ ११ लाख ११ हजार लिख गये और उन्होंने कह दिया कि १ करोड़ एक लाख ११ हजार से ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो फिर भगवान इण्डस्ट्रीज वालों ने अपने टेंडर बढ़ाकर

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

१ करोड़ ५ लाख, ६ हजार कर दिया तो यह हमें उनको दे देना चाहिए था। उनका प्रतिवेदन यह है कि जब टेंडर नहीं है और चीज हमारी खराब हो रही है, बुक वैल्यू करीब उसकी ४ लाख ८० हजार के आ चुकी थी। यानी सारा माल १९३७ में ४८ लाख रुपये पर खरीदा गया था और अब उसकी बुक वैल्यू ४ लाख ८० हजार रुपये आ गयी थी, अगर उसके खिलाफ हमें १ करोड़ ५ लाख रुपया मिला तो अधिकारियों ने कोई बेईमानी इसमें नहीं की।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, ये जो टेंडर कोट किये गये हैं, यह तो बहुत स्पष्ट है कि सबसे संदेह की बात यह है कि १ करोड़ ११ लाख पर अर्नेस्ट मनी एक परसेंट उन्होंने जमा किया और मुझको सूचना है कि बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब तिवारी जी ने बुला कर के उनसे इस तरह का लिखवाया कि गलती से छप गया था, जिसमें कि उसको न देना पड़े और फिर एक करोड़ ५ लाख बढ़वा कर दें। तो मेरी निश्चित सूचना है कि वह १ करोड़ ११ लाख देने को तैयार था और बाद में यह अपील किया गया तो फिर १ करोड़ ५ लाख में देने का क्या तुक था ?

श्री राजमंगल पांडेय---

अलग-अलग टेंडर में रकम लिखी हुई है। अगर भूल से गलती हो जाय तो उसको बईमानी कहें---इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने बता दिया कि ३ जनरेटिंग सेट्स और ५ ब्वायलर्स के लिये अलग-अलग रकम लिखी हुई थी जिसका जोड़ १ करोड़ १ लाख ११ हजार होता है। अब वह १ करोड़ १ लाख के बजाय जोड़ में १ करोड़ ११ लाख हो गया। यह गलत था क्योंकि ७५ लाख और २६ लाख अलग-अलग लिखा था।

श्री चितरंजन स्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)---

सर्वश्री भगवान इंडस्ट्रीज को जब ५१ लाख के स्थान पर १ करोड़ ५ लाख ६ हजार का टेन्डर भरने की इजाजत दी गयी तो क्या मुजफ्फरनगर स्टील्स को भी इस तरह की इजाजत दी गयी कि १ करोड़ ११ लाख के स्थान पर उससे अधिक कर सके?

श्री राजमंगल पांडेय---

जितने भी टेन्डर देने वाले थे सबसे अलग-अलग बातचीत हुई। १ करोड़ १ लाख देने वाले ने साफ इन्कार कर दिया कि हम इससे ज्यादा एक पैसा नहीं देंगे और ६ महीने में भुगतान करने की बात की। तो जब १ करोड़ १ लाख से ज्यादा देने की बात ही नहीं की तो उससे ज्यादा देने वाले को दे दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

जब टेन्डर आपने आमन्त्रित कर लिया फिर टेन्डर देने वालों को अलग बुलाकर अलग से बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात यह है कि १ करोड़ ११ लाख का अर्नेस्ट मनी उसने जमा किया और दूसरे ने ५१ लाख का ही टेण्डर दिया हुआ है लेकिन बाद में १ करोड़ के करीब चला जाता है, यानी दूने दाम बढ़ा देता है। तीसरे, जैसा मिश्रा जी ने कहा, क्या माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने उसको बुलाकर धमकी देकर टेण्डर को कम करवाया, मन्त्री जी इसकी जांच करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जब तीन जेनरेटिंग सेट्स का और 5 बायलर्स का अलग-अलग टेन्डर ७५ लाख और २६ लाख ११ हजार का दिया हुआ है तो ऐड करने का सवाल क्या था। यह तो एक क्लरिकल मिस्टेक थी जो जोड़ में १ करोड़ १ लाख के बजाय १ करोड़ ११ लाख हो गया। और फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन कौन इतना अफलातून है जिसकी ऐट की वजह से कोई झूठ बात लिख देगा।

श्री हुकुम सिंह---

मन्त्री जी ने फरमाया कि मुजफ्फरनगर स्टील्स ने १ करोड़ १ लाख से ज्यादा देने को मना कर दिया। क्या कोई लिखित नोटिस उनको इस बात की दी गयी कि १ करोड़ ११ लाख रुपये देने को तैयार हैं या नहीं और क्या कोई लिखित नोटिस उनकी तरफ से आयी कि हम १ करोड़ १ लाख से ज्यादा देने के लिये तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो उसकी तारीख बतायें।

श्री राजमंगल पांडेय---

मुजफ्फरनगर स्टील्स ने जो वर्ड्स में लिख कर दिया है वह है वन करोर वन लैक ऐंड एलेवेन थाउजैन्ड ओनली।

श्री धीरेन्द्र सहाय---

जो प्लान बेचा गया उसका असेसमेंट कराया गया कि इसकी क्या वैल्यू है? दूसरे हमारी जो जानकारी है कि यह सब चेयरमैन ने स्वयं किया है, बोर्ड की भी इसमें अनुमति नहीं ली गयी थी, तो क्या बोर्ड से इसकी स्वीकृति ली गयी थी ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसकी अनुमानित लागत १९३७ में ४८ लाख की थी और उसकी बुक वैल्यू २५-२६ साल के बाद ४ लाख ८० हजार रुपये थी। इसके अर्नेस्ट १ करोड़ ५ लाख कुछ हजार रुपया मिला।

श्री धीरेन्द्र सहाय---

इस वक्त क्या वैल्यू है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

२७ वर्षों के बाद उसकी वैल्यू का क्या असेसमेंट होगा ? जब हमको टेन्डर मंगाना है तो हायेस्ट टेन्डर को देंगे। जब हम उससे बिजली जनरट कर रहे थे तो १९ पैसे प्रति यूनिट पड़ती थी जबकि हाइडिल की ५ या ६ पैसे आती थी। तो १९ पैसे की जब कास्ट आयी तो उस जनरेटिंग सेट को रख कर हम कुछ कर नहीं सकते थे। वह एक लायबिलिटी थी। इसलिये उसको डिस्पोज आफ करने की सोची ताकि उससे बोर्ड की हालत कुछ सुधारी जा सके। इसमें न कोई अनियमितता हुई और न कोई बेईमानी हुई। उनकी मान्यवर, जो एप्लीकेशन थी वह मैंने पढ़ कर सुना दी कि वे उससे ज्यादा देने को तैयार नहीं थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मुजफ्फरनगर स्टील लिमिटेड को क्या कोई लिखित नोटिस भी दिया गया या नहीं कि आज के मुकाबले भगवान इन्डस्ट्रीज इतना रुपया देने को तैयार हैं, आप इससे ज्यादा दे सकते हैं अथवा नहीं ? अगर लिखित नोटिस नहीं दिया गया तो क्या यह पक्षपात नहीं समझा जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय---

१८ तारीख को दोनों ही लोगों से बातचीत हुई थी.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जब भगवान इन्डस्ट्रीज ने १ करोड़ ५ लाख ६ हजार का टेन्डर दिया तो क्या उसके बाद मुजफ्फरनगर स्टील फर्म को लिख कर नोटिस दिया गया कि तुम एक करोड़ ५ लाख से ज्यादा देने को तैयार हो या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय–

मान्यवर, उनका यह लेटर है जो उन्होंने लिखा है, मैं उसे पढ़े देता हूं––"विद रेफ़रेंस टु ग्रवर टाक विद योर गुडसेल्फ" .....

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

मान्यवर, उन्होंने क्या लिखा है वह मैं नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या उस फर्म को लिखित कोई नोटिस दिया गया या नहीं ? केवल इसका उत्तर चाहता हूं ? उस लेटर में क्या लिखा है वह मैं नहीं जानना चाहता, वह तो मन्त्री जी पहले ही बता चुके हैं ? उस फर्म को लिखित नोटिस दी या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय––

१८ तारीख को ही मुजफ्फरनगर स्टील वालों ने कहा कि हम एक करोड़ १ लाख, ११ हजार से अधिक नहीं देंगे और भगवान इन्डस्ट्रीज वाले १ करोड़ ५ लाख देने को तैयार हो गये तो उनको दे दिया गया ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने तो बड़े ही विनम्र शब्दों में जो उनको बतलाना था, वह बतला दिया, लेकिन वे इस बात का कोई खयाल नहीं रख रहे हैं कि आखिर जब टेन्डर की सीक्रेसी ही नहीं रखी जायेगी, टेन्डर खोलने के बाद सौदेबाजी अधिकारीगण करेंगे, तो हर सरकारी अधिकारी मालिक हो जायेगा, वह सौदा करेगा, और उससे सरकार को कितना नुकसान होगा क्या इस पर मन्त्री जी ने सोचा है ?

श्री राजमंगल पांडेय––

प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अगर समझती है कि टेन्डर की रकम कम है तो वह बातचीत के द्वारा रकम बढ़वाने के लिये बातचीत भी कर सकती है । ऐसी व्यवस्था है नियमों में ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसकी ओरीजिनल कीमत २९ लाख रुपये थी और आज के हिसाब से उसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है । तो जो लोग खरीद कर ले जायेंगे उससे मुनाफा ही कमायेंगे, तो क्या कारण है कि सरकार ने स्वयं मरम्मत वगैरह करा करके इसको इस्तेमाल करने का इरादा ही छोड़ दिया और उसे दूसरों के हाथ बेच दिया ?

श्री राजमंगल पांडेय––

मैंने पहले ही कह दिया है कि पहले उसकी क्षमता १९ मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की थी जो अब जाकर केवल ३६ हजार यूनिट रह गयी थी । साथ ही अगर कोई प्राइवेट आदमी जेनरेटर की मरम्मत करा कर ५० पैसे यूनिट के हिसाब से भी बिजली पैदा करके उसे अपनी फैक्टरी में इस्तेमाल करता है या ऊंची दर पर किसी को बेचता है तो वह ऐसा कर सकता है लेकिन हम तो इतनी ऊंची दर पर बिजली किसी को दे नहीं सकते । इतना अधिक पैसा लगाने का लाभ उसको तो यह है कि स्वतः उसको अपनी फैक्टरी के लिये बिजली मिल जाती है और महंगी बिजली पैदा करके भी वह दूसरों के हाथ महंगी बिजली बेच सकता है जो कि हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे यहां तो प्रति यूनिट बिजली पैदा करने का खर्च ५–६ पैसे ही आता है । फिर इससे ज्यादा पर हम कैसे बेच सकते थे । इसलिए मजबूर होकर चूंकि हमें अच्छी कीमत मिल गयी, इसलिये उनको निकाल दिया । उसको रख कर हम क्या करते, हमारे लिये तो वह एक बोझ ही बना रहता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने मन्त्री जी से प्रश्न पूछा था कि मुजफ्फरनगर की स्टील फर्म जिसने १८ तारीख को एक करोड़ एक लाख का टेंडर दिया था, जब बाद में ५७ लाख वाले का टेंडर एक करोड़ ५ लाख का मंजूर किया गया तो उसके बाद मुजफ्फरनगर वाली फर्म से लिखकर पूछा गया या नहीं तो इसका कोई उत्तर नहीं मिला। उसी सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि १९ तारीख के बाद उस फर्म का टेंडर जब स्वीकार हो गया तो २० या २१ को मुजफ्फरनगर की फर्म ने माननीय मुख्य मन्त्री से रिक्वेस्ट किया था लिख कर और यह शिकायत की थी कि सबसे ज्यादा उसका टेंडर होते हुए भी दोबारा उसे कोई सूचना नहीं दी गयी। तो क्या इस प्रकार की कोई लिखित सूचना उसने भेजी थी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

18 तारीख को ही उसने लिखा कि 1,01,11,000 रुपये से एक पैसा भी ज्यादा देने को वे तैयार नहीं हैं। जब बातचीत के बाद भगवान इंडस्ट्रीज को १,०५,००,००० रुपये पर फाइनलाइज करके आर्डर दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम उससे ज्यादा रकम देने को तैयार हैं। जब एक व्यक्ति को आर्डर दे दिया गया और उसका फाइनलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद ज्यादा पैसे देने का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि प्लान्ट इसलिये बेच दिया था कि वह अनइकोनामिक था। लेकिन शुगर फैक्टरी से जो ८० पैसे से लेकर डेढ़ रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदती है क्या यह उचित है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जहां तक मेरी जानकारी है किसी शुगर फैक्टरी से बिजली नहीं खरीदी गयी है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

जिस पार्टी ने १ करोड़ ११ लाख रुपये का टेंडर दिया और बाद में उसे खरीदने से इन्कार कर दिया, तो उसकी जमानत जब्त क्यों नहीं की गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में थानाध्यक्ष द्वारा गरीबों की मदद में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

(श्री मोहम्मद रफी खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप अपने विचार इस विषय पर रखें।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, किस्सा यह है कि थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली में थानाध्यक्ष द्वारा एक कलचरल प्रोग्राम किया गया था इस मामले में गड़बड़ियों की शिकायत डी० आई० जी० और अन्य अधिकारियों से की गयी थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

[श्री मोहम्मद रफी खां]

१ मई को उन्होंने अपने थाने में गरीबों की मदद के लिये एक रंगारंग प्रोग्राम रखा। १० तवायफें आयीं और नाच गाना हुआ। यह कल्चरल प्रोग्राम हुआ। इसमें जो पैसा आया था वह गरीबों पर खर्च करने के लिये था। अंदाजा है कि इस तरह से लगभग 42 हजार रुपया वसूल हुआ था। बड़े-बड़े आदमियों, ग्राम प्रधानों से यह सब बातों की जानकारी की जा सकती है। हलवाई खाना बनाने के लिये बुलाये गये थे और उन्होंने खाना पकाया। यह थाना नेशनल हाइवे २४ पर स्थित है और इस जश्न को हजारों आदमियों ने, ट्रक ड्राइवरों, टैक्सी ड्राइवरों और अनेक सैकड़ों बाहर के लोगों ने देखा है और मुझे आज भी बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कहा गया है कि ऐसा कोई वाक्या नहीं हुआ। सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि पहली मई, १९७४ को जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी में थानाध्यक्ष द्वारा गरीबों की मदद में कोई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। अतः इस कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक के उपस्थित होने तथा किसी प्रकार का धन एकत्र करने का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, असेम्बली एक सुप्रीम बाडी है। इसमें जब कोई ऐसा मामला जिसमें करप्शन हो, उठाया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिये कि वह छानबीन करे। लेकिन छानबीन नहीं हुई। इसीलिये नियम 49 में डिस्कशन के लिये इस मामले को मैंने रखा है। यह वाक्या जरूर हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है।

इन थानेदार साहब के बारे में और कहता हूं कि:—

३२ बोरी चीनी का मामला है। इन्होंने यह चीनी पकड़ ली और कहा कि यह ब्लैक की है। यह 32 बोरी चीनी १६–१६ बोरी अलग-अलग कोटों की थी। अदालत से आर्डर हुआ कि चीनी वापस की जावे। सिर्फ १६ बोरी चीनी वापस हुई परताप सिंह को जो इस चीनी के मालिक हैं उनको दिये जाने का आर्डर हुआ। क्योंकि दरोगा ने सिर्फ १६ बोरी चीनी ही रोजनामचे में दिखायी थी। दरोगा जी ने, ३–३–७४ का यह किस्सा है, १६ बोरी चीनी जयन्ती प्रसाद, मेम्बर टाउन एरिया के यहां से उठवाकर थाने में रखी और १६ बोरी जो और चीनी थी उसको जगदीश शरण के यहां रखा। इस मामले की शिकायत डी० आई० जी० को भी की गयी कि १६ बोरी चीनी गायब है लेकिन कोई सुनवायी नहीं हुई प्रताप सिंह ने, जब कोई जांच नहीं हुई तो एक प्रार्थना पत्र नेता विरोधी दल, श्री चरण सिंह को भी लिखा जिसका जवाब क्रम संख्या ९८२०/७४ दिनांक १७–६–७४ को मिला। इसमें था कि यह पत्र जरूरी कार्यवाही करने के लिये होम सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, जब ऐसे बेईमान अफसर हैं तो फिर यह प्रदेश कैसे चलेगा। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि ऐसा वाक्या नहीं हुआ। इस पर बड़ा अफसोस होता है। आप इस बारे में सी० आई० डी० से जांच करायें और इस पर बड़े-बड़े आदमियों के बयान लें। ट्रेड यूनियन के लीडरों से बयान लें। सियासी पार्टियों के आदमियों के बयान लें। मान्यवर, यहां गलत सूचना दी गयी है। करप्ट लोगों के खिलाफ, ऐसे अफसरों के खिलाफ आप क्य कार्यवाही करेंगे? जब सदन को ऐसी गलत सूचना देंगे।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, पहले इस सम्बन्ध में कुछ रिपोर्ट आयीं थीं। जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से यह है कि दरोगा जी थे, उनके यहां उत्सव था, किसी बच्चे के बारे में मनाया जा रहा था। उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें तमाम व्यक्ति इकट्ठे हुए थे और नाच भी कुछ हुआ था। माननीय सदस्य की उत्सुकता को देखते हुए कि इसकी जांच सी०आई० डी० द्वारा

करा ली जाय जिससे कि तथ्यों को पता लग सके। तो इसलिये मैं इसकी जांच कराऊंगा और यदि जनता से मजहब के नाम पर चन्दा इकट्ठा किया गया है तो उनके खिलाफ में कार्यवाही करूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लार (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस दरोगा का क्या नाम है जिसके विरुद्ध यह शिकायत की गई है और क्या यह सही है कि उनका कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसका उत्सव मनाया जा रहा था ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मामले को सी० आई० डी० की इंक्वायरी के लिये लिखेंगे। दूसरे बच्चे के उत्सव में जिसके पास होता है तो वह लाखों रुपये खर्च कर देता है। इसलिये मान्यवर, मेरा ताल्लुक है कि यदि उन्होंने अपने पैसे खर्च किये हैं तो उनको खर्च करने का हक है, परन्तु यदि उन्होंने चन्दा लेकर यह किया है तो गलत है। यह साबित हो जाने के बाद उसको सख्त सजा दी जायगी। यह कहना कि उनका कोई लड़का नहीं है तो मान्यवर, गोद लिया भी हो सकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें डिटेल में क्या लिखा गया है ? क्या गरीबों से चन्दा लिया गया है और उसमें कोई फंक्शन हुआ था।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, रिपोर्ट में नाचरंग की बात नहीं है। परन्तु उत्सव में इलाके के लोग बताये गये हैं। उसमें चन्दा की वसूली की बात भी नहीं है। इसलिये सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिये मैं कह रहा हूं कि इस मामले की सी० आई० डी० इन्क्वायरी की जायगी और साबित हो जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)---

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और मैं थाना फतेहगंज पूर्वी से ढाई मील की दूरी पर रहता हूं। मैं मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जिस दिन यह रंगारंग प्रोग्राम 1 मई को हुआ उस दिन फतेहगंज पूर्वी कस्बे से आटा, सब्जी तथा मसाले आदि उधार लिये गये और उसका भुगतान भी नहीं किया है। यदि इन्क्वायरी करायेंगे तो क्या उन लोगों को भुगतान आप करायेंगे ? दूसरी बात उस थाना अध्यक्ष के पास एक ट्रक और एक ट्रैक्टर है। वहाँ से गुजरने वाली टक्सियों से वह डीजल जबरिया वसूल करता है। एक हदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरा निजी ट्रैक्टर बरेली से ड्राइवर ला रहा था। और उसमें पीछे एक ट्राली लगी थी जिसमें कुछ सामान भी लदा हुआ था। वह सामान हमारे वहां के भूतपूर्व एक एम० पी०, श्री सेठ का था। थानाध्यक्ष ने ड्राइवर से कहा कि रुको और ट्राली को अलग कर दो। इस पर हमारे ड्राइबर ने उनको बताया कि यह ट्रैक्टर एम० एल० ए० साहब का है। तो इस पर उसने ड्राइबर को डंडे लगाये और भगा दिया। तो मान्यवर, इसकी लिखित रिपोर्ट एस० पी०, बरेली को दी गई है और यदि आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, सरकार के अधीन यह कार्य नहीं है कि किसी से उधार यदि लिया है तो उसको दिलवायें। यहां यदि यह साबित हो जाय कि चन्दा लिया गया है तो उसको सख्त सजा

[श्री राजमंगल पांडेय]

दी जायगी । माननीय सदस्य उधर के यदि इन्क्वायरी इस पर चाहते हैं तो लिखकर दे दें और उसे सी० आई० डी० को भेज दिया जायगा । दूसरी बात ड्राइवर को पीटे जाने के संबंध में कही है तो माननीय सदस्य लिखकर इसको भी दे दें जिसको कि मैं अपने नोट के साथ उसको इन्क्वायरी के लिये एस० पी० को भेज दूंगा । कि वह इन्क्यारी करें मुझको इन्टीमेट करें ।

एक सदस्य---

मैंने जो प्रश्न किया था जवाब नहीं आया कि क्या दुकानदारो को पैसा दिलवायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

सजा देना मेरा काम है , पैसा देना नहीं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या रंगारंग कार्य क्रम आयोजित किया गया अथवा नहीं गरीबों की इमदार के लिये, उसका जवाब नहीं । अगर और कोई फंकशन हुआ हो, उसका सवाल नही है ।.....

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, जो जवाब आया है वह यह है कि उत्सव के सिलसिले में लोग इकट्ठा हुये थे उसमें भोज हुआ, नाच भी हुआ । मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर इन्क्वायरी से यह बात साबित हो गई कि गरीबों के नाम पर चन्दा लिया गया है तो निश्चित रूप से जांच के बाद दरोगा को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

जैसा क्वेश्चन करने वाले की मंशा थी उसका वह जवाब न आकर दूसरा जवाब आया तो क्या मंत्री जी को उसको मंजूर कर लेना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

नियम ४९ के अन्तर्गत और भी बातें सामने आयी हैं , उस दिन भी आयी थं ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे और यह मानकर चलेंगे कि जनता से कोई पैसा वसूल नहीं किया गया और स्वयं थानेदार....

श्री राजमंगल पाडेय---

मैंने कहा कि निश्चित जांच के लिये सी० आई० डी० को आदेश दे दिये गये हैं अगर उसमें यह प्रमाणित हो जाय कि गरीबों के नाम पर चन्दा लिया गया है और सब है तो सजा होगी। मैंने नहीं कहा कि गरीबों से पैसा नहीं लिया।

श्री भीखालाल---

मैं कह रहा था कि अगर दरोगा जी ने स्वयं अपने पैसें से कार्यक्रम किया तो क्या यह भी जांच करायेंगे कि उसकी इतनी हैसियत थी या नहीं ?

श्री राज मंगल पाडेय---

यह दूसरी बात है उसके लिये प्रिवेन्शन आफ्र करेप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत सेक्शन ३/५ उसमें देखा जायगा कि सक्षम था या नहीं ।

एक सदस्य---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरश पूंछना चाहता था, नीति का सवाल मंत्री जी ने उठाया है। उधार के सिलसिले में मुख्य सचिव ने एक सरकुलर निकाला जिसमे कहा गया है ....

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल है इससे मतलब इसका नहीं है।

श्री मोहम्मद रफी खां---

फर्ज कीजिये, कि सी० आई० डी की रिपोर्ट से यह आता है कि लोगों से चन्दा लिया, यह आता है कि जबरजस्ती रुपया लिया गया, लोगों से सामान उधार लिया गया, २ हजार आदमियों को खाना खिलाया.....

यह सही है कि उन्होंने रात भर नाच गाना करवाया और शराब पिलवाई लेकिन चूंकि गरीबों की इमदाद का नाम नहीं था तो कोई जुर्म नहीं बनता। आपने कहा है कि गरीबों की इमदाद के नाम पर अगर लिया है तो सजा देंगे। जब मैंने अपनी पर्सनल नालेज से बतलाया कि ऐसा हुआ है फिर गवर्नमेन्ट उसको डिफेन्ड करे तो यह मुनासिब नहीं है।

श्री राज मंगल पाडेय---

अगर आप उसको डिफेन्ड करना मानते हो तो बात दूसरी है। हमने तो सी० आई० डी० को दे दिया कि जांच करें और अगर उसके बिरुद्ध कोई बात पायी जाती है तो उसको कठोर सजा दी जायेगी। इसमें डिफेन्ड करने का प्रश्न कहां है।

श्री अध्यक्ष---

आप इसकी खुली जांच क्यों नहीं करवाते? सी० आई० डी० द्वारा क्यों करवा रहे हैं?

श्री राजमंगल पाडेय---

उससे क्या फायदा होगा?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपकी सहूलियत के लिये कह रहा था।

श्री राजमंगल पाडेय---

मान्यवर, अगर सी० आई० डी० की रिपोर्ट में उसके बिरुद्ध यह बात सही निकली तो फिर यह क्रिमिनल फाअेन्स बनता है, ३८४ में जायगा, प्रीवेन्शन आफ करेप्शन ऐक्ट में जायगा। आई० पी० सी० में आफेन्स बनेगा। उसके ऊपर पन्द्रहों आफेन्स लगेंगे। वह जेल जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ अगस्त, १९७४

नत्थी "क"

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२१ पर)

अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित सूची

(१) पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उपभोक्ता सहकारी समितियों का स्थान ।

(२) सहकारी समितियों के माध्ययम से खाद्य वितरण ।

(३) सहकारी समितियों के माध्यम से गल्ले की खरीद ।

(४) सहकारी समितियों को दिये गये ऋणों की अतिदेय धनराशियों की वसूलयाबी ।

(५) शीर्ष सहकारी संस्थाओं का प्रबन्ध पेशेवर व्यक्तियों को सौंपना ।

(६) सहकारी समितियों से संबंधित नियम इत्यादि के लिये गाइड लाइन्स ।

(७) पांचवीं योजना ।

(८) निबन्धकों की बैठक की संस्तुतियां ।

संसद भवन

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३८ (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३९ पर]

जनपद मुरादाबाद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष १९७१–७२, १९७२–७२ एवं १९७३–७४ में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य लिया गया था जिसके निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार है:—

क्रम-सं०	विकास खंड का नाम	सड़क का नाम	प्रगति
१	२	३	४
१	मुरादाबाद ..	अगवानपुर रोड ..	सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
२	मूढ़ा पाड़े ..	सरकड़ा खास रोड ..	,, ,,
३	मूढ़ा पाड़े ..	संकटू नगली रोड ..	,, ,,
४	असमोली ..	चौधरपुर रोड ..	सड़क पर पत्थर कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल पेंटिंग का कार्य बाकी है।
५	विलारी ..	स्योडारा-वेरनी रोड ..	सड़क का निर्माण काय पूर्ण हो चुका है।
६	ठाकुर द्वारा ..	ठाकुरद्वारा-रतुपुरा रोड	,, ,,
७	डिलारी ..	जटपुरा-राजपुर मेसरिया रोड	,, ,,
८	अमरोहा ..	नौगावां-कौराल रोड ..	,, ,,
९	बहजोई ..	मझोला-रामपुर कलां रोड	,, ,,
१०	बहजोई ..	खजरा रामताल रोड ..	सम्पूर्ण सड़क पर रोलिंग का कार्य एवं १–५ कि०मी० सड़क पर पत्थर कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल १–० कि० मी० पर पत्थर कुटाई एवं २-५ कि०मी० सड़क पर पेंटिंग का कार्य बाकी है।
११	जोया ..	काला खेड़ा-सरकड़ा कमाल रोड	समस्त सड़क पर ईट की सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल पत्थर कुटाई एवं पेंटिंग का कार्य शेष है।
१२	बनिया खेड़ा ..	गुमथल-बरौली रोड ..	३–० कि० मी० सड़क पूर्णरूपेण बन चुकी है। केवल १ कि० मी० सड़क पर पत्थर कुटाई एवं पेंटिंग का कार्य बाकी है।

१	२	३	४
१३	दजलैट (कांठ)	गोपालपुर-नत्था नगला रोड	४ कि० मी० सड़क पूर्ण रूपेण बन कर तैयार हो गई है । केवल १–० कि० मी० सड़क पर पत्थर कुटाई एवं पेंटिंग का कार्य शेष है ।
१४	धनौरा ..	धनौरा-कमेलपुर रोड ..	२–३ कि० मी० सड़क पूर्णरूपेण बन कर तैयार हो गई है । केवल २–७ कि० मी० सड़क पर पेंटिंग एवं १–० कि०मी० सड़क पर पत्थर कुटाई का कार्य शेष है ।
१५	संमल ..	रिठाली-लखौही रोड ..	समस्त सड़क पर ईट सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है । केवल पत्थर कुटाई एवं पेंटिंग का कार्य शेष है ।
१६	गंगेसरी ..	दौदारा-पौरारा रोड ..	२–० कि० मी० सड़क बन कर पूर्ण हो चुकी है तथा शेष २–० कि० मी० सड़क पर पत्थर कुटाई का कार्य भी पूर्ण हो चुका है केवल पेंटिंग का कार्य बाकी है ।
१७	गजरौला ..	चकन वाला रोड ..	समस्त सड़क पर पत्थर कुटाई तक का कार्य पूर्ण हो चुका है । केवल पेंटिंग का कार्य बाकी है ।
१८	डिलारी ..	फरीदपुर-हाजीरोड ..	समस्त सड़क पर अर्ध कार्य पूर्ण हो चुका है । ०–५ कि० मी० सड़क पर सोलिंग एवं पत्थर कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है । ०–३ कि० मी० सड़क पर सोलिंग पत्थर कुटाई का कार्य शेष है एवं समस्त सड़क पर पेंटिंग का कार्य भी बाकी है ।

नत्थी "ग"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४० पर]

तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर का संलग्नक (क)

आय-व्यय के आंकड़े

वर्ष		आय	व्यय
		रु०	रु०
१९६९–७०	..	२६,९४,४९७.२४	३९,६७,१३२.७४
१९७०–७१	..	६५,१९,५९५.८८	७३,३१,८६४.४४
१९७१–७२	..	८६,५१,२१४.२५	९४,९५,४६१.२६
१९७२–७३	..	१,००,६६,५१३.२०	१,०९,९२,०५१.३३
१९७३–७४	..	१,०१,७१,८००.०० (अनुमानित)	१,०६,२९,७५०.०० (अनुमानित)

तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर का संलग्नक (ख)

दुग्ध प्राप्त के आंकड़े

वर्ष		दुग्ध जो वर्ष भर में प्राप्त हुआ
१९६९–७०	..	१९,८६,५९४ लीटर
१९७०–७१	..	३९,३७,४३३ लीटर
१९७१–७२	..	३८,१२,७४४ लीटर
१९७२–७३	..	४०,४२,७४५ लीटर
१९७३–७४	..	३७,९५,४६७ लीटर

नत्थी "घ"

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४१ पर]

बकायेदार प्रमुख विधायकों से सम्बन्धित विवरण

क्रम-सं०	नाम	पद	नाम समिति जिसके बकायेदार हैं	बकाया धन	कब से बकायादार हैं	पद	समिति में जमा हिस्सा
१—श्री पारसपति सिंह		प्रमुख, कायिमाबाद	(१) सा० स० बड़ागांव (२) सा० स० मीरानपुर	२,५२२.००	१-७-७४	सदस्य	३५०.००
२—श्री रामसूरत सिंह	..	भू० पू० कासिमाबाद	सा० स० बहराइच	२,८००.००	३०-६-७४	,,	४२५.००
३—श्री विन्ध्यवासनी राय	..	प्रमुख जगानिया	सा० स० देवरिया	४७६९.८३	१-७-७२	,,	१९४.५०
४—श्री विजयशंकर सिंह	..	भू० पू० विधायक	क्रय-विक्रय समिति यूसुफपुर	३०१४.८८	३०-६-७१	,,	२.००
५—श्री रामकरन सिंह यादव	..	भू० पू० विधायक	से० स० खानपुर	६२७९.५०	३०-६-७१	संचालक	८००.००
६—श्री रामनाथ सिंह यादव	..	प्रमुख मनिहारी	सा० स० हंसरामपुर	१३२००.००	जून, १९७३	सदस्य	२९५.००

नोट:—जनपद के किसी भी संसद सदस्य (वर्तमान/भूतपूर्व) के जिम्मे किसी भी सहकारी समिति का कोई बकाया नहीं है।

काशी प्रसाद,
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उ० प्र०,
गाजीपुर।

प्रमुखों विधायकों/संसद सदस्यों के परिवार से सम्बन्धित सूचना

क्रम-सं०	नाम प्रमुख/विधायक	परिवार के सदस्य का नाम जो बकाया-दार हैं	प्रमुख/विधायक से सम्बन्ध	समिति जिसके बकाया-दार हैं	ऋण देने की तिथि	ऋण का उद्देश्य	कुल बकाया	बकाया पड़ने की तिथि
१—	श्री विन्ध्यवासनी राय प्रमुख, जमानिया ।	चन्द्रबली राय	भाई	सा० म० देवरिया	९–७–६५	कृषि कार्य	२४३२.३७	१–७–६६
		कृष्णकुमारी देवी	पत्नी	,, ,,	२६–६–७०	,,	९९०.६२	१–७–७१
		दुलारी कुवर	माता	,, ,,	२९–५–७३	,,	३२७४.१५	१–७–७४
		सोनिदीपा कुंवर	माता	,, ,,	२९–५–७३	,,	३३७७.२०	१–७–७४
		बसंती	भाई की पत्नी	,, ,,	६९–७०	,,	१६११.६७	७०–७१
२—	श्री विजय शंकर सिंह, भूतपूर्व विधायक ।	तुमेश्वर नरायन सिंह	भतीजा	सा० सा० कुन्डेसर	१३–१२–७२	,,	९९९.८७	१–७–७३
		त्रिजुगीनरायन सिंह	पुत्र	,, ,,	२८–११–७२	,,	४१७८.७०	१–७–७३
		सतेन्द्र नरायन सिंह	भतीजा	,, ,,	,,	,,	४०२२.१५	१–७–७३
		इन्द्रावती देवी	पत्नी	क्रय विक्रय, यूसुफपुर	१९–४–७०	बन्धक	३४७०.५२	१–७–७१
		रघुराज सिंह	भाई	,, ,,	,,	,,	३२७२.२६	१–७–७१
		नारायणी देवी	भाई की पत्नी	,, ,,	,,	,,	३१०९.७८	१–७–७१
		त्रिजुगीनरायन	पुत्र	,, ,,	,,	,,	१५६४.९६	१–७–७१
		तुमेश्वर नारायन	भतीजा	,, ,,	,,	,,	३९६६.६४	१–७–७१
		केदार नरायन	,,	,, ,,	,,	,,	३९९७.७२	१–७–७१
		सतेन्द्र नरायन	,,	,, ,,	,,	,,	३४८५.१२	१–७–७१
		वीरेन्द्र नरायन	,,	,, ,,	,,	,,	३९५५.७४	१–७–७१
३—	श्री कृष्णानन्द राय भूत पूर्व विधायक	केशव राय	भाई	सा० स० बैजलपुर	६८–६९	कृषि काय	२५२५.६८	१–७–६९
		सदानन्द राय	भतीजा	,, ,,	,,	,,	२०१७.५२	१–७–६९
४—	श्री राम करण सिंह यादव	रामधनी सिंह यादव	भाई	क्षे० स० खानपुर	३०–६–७०	,,	६२७९.५०	१–७–७१

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां उ०प्र०
गाजीपुर ।

५ हजार से ऊपर के बकायेदारों का विवरण

क्रम-सं०	नाम बकायादार	समिति का नाम	ऋण देने की तिथि	ऋण का उद्देश्य	कुल बकाया	बकाया पड़ने की तिथि
१	श्री बनवारी राम यादव ..	.. सा० स० नेवाद	३०-६-७०	कृषि कार्य	७४०५.८१	१-७-७१
२	श्री शिवराम सिंह ..	.. ,, धामपुर	२६-२-७१	,,	६५४४.६९	१-७-७१
३	श्री चन्डी राय ..	.. ,, लोवाइन	६६-६७	,,	५३४१.६०	१-७-६७
४	श्री रमाशंकर राय ..	.. ,, लोचाइन	,,	,,	५२७९.२०	१-७-६७
५	श्री शिव शंकर राय ..	.. ,, लोचाइन	,,	,,	५२२३.७०	१-७-६७
६	श्री रुद्र नारायन राय ..	.. ,, लोचाइन	,,	,,	७७२३.००	१-७-६७
७	श्री राधेश्याम सिंह ..	.. ,, कुन्डेसर	६७-६८	,,	३२५२२.००	१-७-६९
८	श्री मदन मोहन लाल ..	.. ,, हुसेनपुर	,,	,,	५२००.००	१-७-६९
९	श्री जवाहर तिवारी ..	.. ,, मादूपुर	,,	,,	२०१५१.००	१-७-६९
१०	श्री हरिहर तिवारी ..	.. ,, मादूपुर	,,	,,	१८०४१.००	१-७-६७
११	श्री कृष्णा नन्द तिवारी ..	.. ,, बालापुर	६८-६९	,,	१५२००.००	१-७-७०
१२	श्री जगर नाथ यादव ..	.. ,, बैजलपुर	,,	,,	५६९४३.००	१-७-७०
१३	श्री रामनरायन कुशवाहा ..	.. ,, गौसपुर	,,	,,	१९६१२.००	१-७-७०
१४	श्री प्रेम चन्द्र लाल ..	.. ,, जोगापुर	,,	,,	७२२७.००	१-७-७०
१५	सीताराम ..	.. ,, दाउदपुर	,,	,,	६१०७.००	१-७-७०
१६	श्री सूबेदार सिंह ..	.. ,, कादीपुर	,,	,,	१४२२५.००	१-७-७०

(ह०) अपठनीय
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उ० प्र०
गाजीपुर ।

बकायादारों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही का विवरण

क्रम-संख्या	नाम बकायेदार	पद	दावा दायर करने की तिथि	निर्णायक का नाम	निर्णय की निर्धारित तिथि	सुनवाई की तिथि	निर्णय देने की तिथि	इजराय की तिथि
१	श्री पारसपति सिंह	प्रमुख	१-७-७४ का बकाया है		..	..	..	..
२	श्री राम सूरत सिंह	भू० पू० प्र०	,,		..	..	..	..
३	श्री विन्ध्यवासनी राय	प्रमुख	,,		..	..	..	..
४	श्री राम नाथ सिंह यादव	प्रमुख	२-४-७४	सहायक विकास अधिकारी (सह०) मनिहारी	..	..	..	..
५	श्री विजय शंकर सिंह	भू० पू० विधायक	,,	,,	..	..	..	..
६	श्री राम करन सिंह यादव	,,	१५-४-७४	स० वि० अ० स०	..	..	..	..
७	श्री चन्द्र बली राय	सदस्य	..	,,	..	..	..	..
८	श्री कृष्ण कुमारी	,,	१५-११-७०	स०वि०अ०स०, जमानिया	१२-२-७१	१२-२-७१	१२-२-७१	३१-१२-७१
९	श्री बसन्ती	,,	१५-१२-७०	,,	१५-१-७२	१५-१-७२	१५-१-७२	१६-४-७२
१०	श्री दुलारी	,,	१०-१०-७१	,,	३१-१२-७१	३१-१२-७१	३१-१२-७१	१६-४-७२
११	श्री सोनदीपा	,,	५-१२-७१	,,	२९-१-७१	२९-१-७१	२९-१-७१	१६-४-७२
१२	श्री राधेश्याम सिंह	भू०पू०सरपंच	६-७-६९	,, मुरादाबाद	३१-८-६९	३१-८-६९	३१-८-६९	१६-१-७०
१३	श्री मदन मोहन लाल	,,	१०-६-७३	,,	३०-७-७३	३०-७-७३	३०-७-७३	१६-४-७४
१४	श्री जवाहर तिवारी	खजांची	१५-१०-६८	,,	३०-१२-६८	३०-१२-६८	३०-१२-६८	१६-३-६९

क्रम संख्या	नाम बकायेदार	पद	दावा दायर करने की तिथि	निर्णायक का नाम	निर्णय की निर्धारित तिथि	सुनवाई की तिथि	निर्णय देने की तिथि	इजराय की तिथ
१५	श्री हरिहर तिवारी	सदस्य	१५-१०-६८	स०वि०अ०स० महमूदाबाद	३०-१२-६८	३०-१२-६०	३०-१२-६८	१६-३-६९
१६	श्री कृष्ण नन्द तिवारी	सचिव	१३-२-७३	,,	३०-११-७३	३०-११-७३	३०-११-७३	१५-१२-७४
१७	श्री जगर नाथ यादव	भू०पू०सचिव	११-७-६९	,,	१५-११-६९	१५-११-६९	१५-११-६९	१५-१२-६९
१८	श्री राम नारायन कुशवाहा	,,	१०-७-६७	,,	३०-६-७०	३०-६-७०	३६-६-७०	१५-५-७१
१९	श्री शिवराम सिंह	सरपंच	२६-२-७१	अ०जि०स०अ०	३१-३-७१	३१-५-७१	३१-५-७३	१५-६-७१

नोट:--बकायादार प्रमुखों/विधायकों, उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य बकायादारों को जो सूची प्रेषित की गई है उनमें उपरोक्त के विरुद्ध सालसी कार्यवाही की जा चुकी है ।

(ह0) अपठनीय,
जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उ०प्र०,
गाजीपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४२ पर]

विकास खण्ड घियौली, जिला आनमगढ़ अलीगढ़

ग्राम साधन सहकारी समिति, पालीमकीमपुर

क्रम-संख्या	नाम बकायादार मय वल्दियत	३१-५-७४ को बकाया		३१-५-७४ के बाद वसूल धन		विवरण
		तिथि कब से बकाया है	धन जो बकाया है	धन	तिथि	
१	२	३	४	५	६	७
१	ओम प्रकाश पुत्र भूपाल	३०-६-७१	१०००.००	१०००.००	११-६-७४	
२	सुरेश चन्द पुत्र घासी राम	,,	५००.००	५००.००	२१-६-७४	
३	राम चन्द पुत्र भुभुवाल	,,	१०००.००	१०००.००	१३-६-७४	
४	निरंजन लाल पुत्र भूपाल	,,	५००.००	५००.००	९-७-७४	
५	दुधाधारी पुत्र बरगद	,,	५००.००	५००.००	१३-६-७४	
६	रामचन्द पुत्र नौबत राम	,,	१६७.००	१६७.००	१३-६-७४	
७	तारा चन्द पुत्र बंशीधर	,,	१०००.००	१०००.००	१३-६-७४	
८	राधेश्याम पुत्र किशनलाल	,,	५००.००	५००.००	८-७-७४	
९	डूंगरमल पुत्र भूपाल	,,	५०५.००	५०५.००	२१-६-७४	
१०	यादराम पुत्र किशनलाल	,,	५०५.००	५०५.००	८-७-७४	
११	उदय राम पुत्र प्रान सुख	,,	५००.००	५००.००	१३-६-७४	
१२	राम प्रसाद पुत्र गंगा सहाय	,,	५००.००	५००.००	१८-७-७४	

१	२	३	४	५	६	७
१३	लीलाधर पुत्र बल्देव	३०-६-७१	५००.००	५००.००	११-७-७४	
१४	रोशनलाल पुत्र जालिम	,,	५००.००	५००.००	९-७-७४	
१५	बाबूलाल पुत्र मुंशीलाल	,,	२००.००	२००.००	११-७-७४	
१६	नन्दनलाल पुत्र पीतम्बरदास	,,	२५०.००	२५०.००	१८-७-७४	
१७	किशन लाल पुत्र भूरे	,,	५००.००	५००.००	२१-८-७४	
१८	किशनलाल पुत्र चेतराम	,,	१००.००	१००.००	११-७-७४	
१९	भीम सिंह पुत्र कुन्दन	,,	४००.००	४००.००	२१-६-७०	
२०	सोनपाल पुत्र नोबतराम	,,	१०२.००	१०२.००	२१-६-७४	
२१	श्री राम पुत्र शान सिंह	,,	५००.००	५००.००	११-७-७४	
२२	महादेवी पत्नी कुंवरजी लाल	,,	१००५.००	१००५.००	१३-७-७४	
२३	बहोरीलाल पुत्र पूरनमल	,,	५००.००	५००.००	११-७-७४	
२४	घनश्याम पुत्र भूपाल	,,	५००.००	५००.००	१३-६-७४	
२५	रूपराम पुत्र भूपाल	,,	५००.००	५००.००	१३-६-७४	२१-६-७४
२६	नेत्रपाल पुत्र मेमसिंह	,,	५००.००	५००.००	२१-६-७४	
२७	गेंदालाल पुत्र भूपाल	,,	५००.००	५००.००	१३-७-७४	
२८	रघुवीर पुत्र बोढ़िल	,,	५००.००	५००.००	२१-६-७४	
२९	परसादी पुत्र छिद्दू	,,	१०००.००	१०००.००	२१-६-७४	
३०	पुन्ना पुत्र भूपाल	,,	१०००.००	१०००.००	२१-६-७४	
३१	बीघाम्बर पुत्र परमसुख	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
३२	हर प्रसाद पुत्र मलखान	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
३३	परमसुख पुत्र लोधी	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
३४	पन्ना लाल पुत्र मुंशी	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
३५	गनवारी लाल पुत्र रामसहाय	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
३६	कुंवरसेन पुत्र पूरन	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
३७	मानसिंह पुत्र बी राम	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
३८	गंगावासी पुत्र पूरन	३०-६-७१	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
३९	भूदेव प्रसाद पुत्र मिश्री लाल	,,	१००.००	१००.००	९-७-७४	
४०	मिश्रीलाल पुत्र ताराचन्द	,,	२००.००	२००.००	२१-६-७४	
४१	हरीशंकर पुत्र छीबरपाल	,,	१००.००	१००.००	११-७-७४	
४२	राम सहाय पुत्र बाँकेलाल	,,	१५०.००	१५०.००	१८-७-७४	
४३	महेशचन्द पुत्र यादराम	,,	१००.००	१००.००	९-७-७४	
४४	प्रेमवती पत्नी देवीराम	,,	१५०.००	१५०.००	८-७-७४	
४५	देवीसरन पुत्र उदय राम	,,	१००-००	१००-००	९-७-७४	
४६	विलावती देवी पत्नी देवीसरन	,,	१००-००	१००-००	८-७-७४	
४७	चन्द्रपाल पुत्र शोभाराम	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
४८	शोभाराम पुत्र तुलाराम	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
४९	श्यामादेवी पत्नी गुलजारी लाल	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
५०	रामग्रौतार पुत्र रामजी लाल	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
५१	केवल सिंह पुत्र तुलाराम	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
५२	ग्रीसचन्द पुत्र रामलाल	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
५३	सुलाली पुत्र शोभाराम	,,	१००.००	१००.००	९-७-७४	
५४	रामसरन पुत्र नत्थू	,,	१००.००	१००.००	९-७-७४	
५५	रामस्वरूप पुत्र धरनपाल	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
५६	यादराम पुत्र माले	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
५७	मलिखान पुत्र पूरन	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
५८	मुन्नालाल पुत्र मिश्रीलाल	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
५९	मनुवा पुत्र पीताम्बर	,,	५०.००	५०.००	११-७-७४	
६०	सुरेशचन्द पुत्र बाबूलाल	,,	१५०.००	१५०.००	११-७-७४	
६१	प्यारेलाल पुत्र किशनलाल	,,	१५०.००	१५०.००	९-७-७४	
६२	विसम्भर लाल पुत्र घासीराम	,,	१००.००	१०००.००	१३-६-७४	
		योग ..	२१३८४.००	२१३८४.००		

नत्थी "च"

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ ११४४ पर]

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	सड़क का नाम	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
१	बरौली अहीर	बिसेरी भांड सड़क ..	२८-१२-७२	सड़क पेंटिंग सहित पूर्ण है ।
२	वरौली अहीर	गुतिला सड़क ..	६-१-७२	" "
३	विचपुरी	गडसानी सड़क ..	१२-१-७२	इस सड़क पर २.० कि० मी० भाग पर पेंटिंग हो चुकी है शेष २-५ कि० मी० भाग पर सोलिंग एवं गिट्टी कुटाई हो चुकी है जिस पर पेंटिंग का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आशा है ।
४	बिचपुरी	लड़ामदा सड़क ..	४-९-७२	सड़क पेंटिंग सहित पूर्ण है ।
५	अकोला	रामानगर-अकोला ..	२६-१-७२	" "
६	अछनेरा	पाली सदर सड़क ..	९-१-७२	" "
७	अछनेरा	सुरकुटी सड़क ..	१-१-७२	" "
८	फतेहपुर सीकरी	डावर-खानावार सड़क	१८-१-७२	" "
९	खेरागढ़	भिलावती सड़क ..	१३-१२-७२	" "
१०	जगनेर	जगनेरा देवरी सड़क ..	६-२-७२	" "
११	बाह	रुदमुली सड़क ..	९-१-७२	केवल १-० कि० मी० भाग पर पेंटिंग का कार्य शेष है ।

१२	जैतपुर कलां	..	..	शाहपुरा-पारना सड़क	..	१०-१-७२	सड़क पेंटिंग सहित पूर्ण है।
१३	फतेहाबाद	..	..	पैंतीखेड़ा-मिश्री सड़क	..	३०-१-७२	सड़क पेंटिंग सहित पूर्ण है।
१४	शमशाबाद	..	..	गड़ी जहान सिंह सड़क	..	२-१-७२	,, ,,
१५	खन्दौली	..	..	उजरई सड़क	..	१३-१-७२	,, ,,
१६	फिरोजाबाद	..	..	लालऊ सड़क		११-१-७२	,, ,,
१७	फिरोजाबाद	..	..	रूपसपुर सड़क	..	१५-१०-७२	किसानों द्वारा भूमि न देने के कारण केवल ०-७ कि० मी० भाग पर मिट्टी का कार्य करके छोड़ दिया गया।
१८	टुण्डला-कोटला	..	..	पचोखरा-नारखी सड़क		२६-१२-७१	८-५ कि० मी० सड़क पर पेंटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। केवल १.५ कि० मी० भाग तक पेंटिंग का कार्य शेष है जिसे शीघ्र पूरा किये जाने की संभावना है।
१९	एत्मादपुर	..	..	बरहन अहारन सड़क	..	२-१-७२	३ कि० मी० भाग सड़क पर सोलिंग की कुटाई हो चुकी है तथा२ कि० मी० भाग पर गिट्टी की कुटाई भी हो चुकी है। शेष भाग पर कार्य होना बाकी है जिसे शीघ्र पूरा किये जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५२ पर)

उत्तर प्रदेश पशु सेवक संघ की मांगों तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

संघ की मांग	कृत कार्यवाही का सारांश
(१) पदोन्नति एवं प्रोन्नति के अधिक अवसर प्रदान किये जायं	पशुपालों को निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति दी जाती है :— १—कुक्कुट निरीक्षक २—बिन इन्सपेक्टर ३—शियरिंग इन्सट्रेक्टर ४—स्टोर सुपरवाइजर इसके अतिरिक्त पशुपालों को वेतन आयोग द्वारा कुल संख्या का १० प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड भी २५०–४२५ रु० के वेतन मान में संस्तुत किया गया है। यह मामला विचाराधीन है ।
(२) वेतन असंगतियों का निवारण किया जाये ।	वेतन असंगति का मामला विचाराधीन है ।
(३) पदनाम में परिवर्तन किया जाये	संघ की मांग है कि पशुपालों को "कनिष्ठ पशु चिकित्सक" के नाम से संबोधित किया जाय। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।
(४) पशुपाल प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में वृद्धि की जाये ।	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा पशुपालों के प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि आवश्यक नहीं है ।
(५) पशुपाल प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाये	तदैव
(६) कृत्रिम गर्भाधान, पोर्टर एलाउंस तथा प्रतिकर भत्ता में वृद्धि की जाये	यह मामला विचाराधीन है ।
(७) स्थायीकरण किया जाये ।	विभाग में इस समय ३४२१ पशुपाल के पद स्वीकृत हैं । इनमें से ११४८ पद पहले से स्थायी हैं तथा १६०० पद इस वर्ष स्थायी किये गये हैं । इन पदों पर पशुपालों के स्थायीकरण के मामले में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी "ज"

[देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६० पर]

नान बायोलाजिकल

क्रम-संख्या	जिला	लाइसेंस प्राप्त कर्त्ता की संख्या	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता आदि	प्रश्नगत क्रम अंग्रेजी दवा बनाती हैं कि आयुर्वेदिक	लाइसेंस देने की तिथि
१	२	३	४	५	६	७
१	मेरठ	..	मे० टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।	लोनी खेडा, गाजियाबाद	अंग्रेजी	१९६९
२	"	..	मे० जेल सील फार्मा ..	इंडस्ट्रीयल स्टेट, गाजियाबाद	"	७-११-६९
३	"	..	मे० अजन्ता सर्जिकल मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ।	७६९/१ सोतीगंज ..	"	१४-१-७०
४	"	..	मे० इम्सन एण्ड कम्पनी ..	बी-१८-साइट नम्बर ३ इण्डस्ट्रीयल स्टेट, गाजियाबाद ..	"	३-२-७०
५	"	..	मे० इथीकेम प्रा० लिमिटेड ..	मुरादनगर	"	२१-३-७०
६	"	..	मे० पीअरसन्स केमिकल्स कारपोरेशन	८४-रैजादगंज	"	२-५-७०
७	"	..	मे० जेनिथ कारपोरेशन ..	५-ए जैन नगर	"	२-५-७०
८	"	..	मे० न्यू इन्डिया सर्जिकल एण्ड ड्रेसिंग एण्ड इंक्यूपमेंट कारपोरेशन । ..	८८(१) निकट पुलिस स्टेशन, सोतीगंज	"	२६-८-७०
९	"	..	मे० गाजियाबाद सर्जिकल ड्रेसिंग ..	५० नयागंज, गाजियाबाद ..	"	१५-१-७१
१०	"	..	मे० सूरज सर्जिकल इन्डस्ट्रीज ..	बी-१९ इन्डस्ट्रीयल स्टेट प्रतापपुर ..	"	४-५-७१
११	"	..	मे० लिबर्टी सर्जिकल मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ।	५३-गांधी नगर ..	"	२२-९-७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
१२	मेरठ	..	मे० जी० डी० फार्मास्युटिकल प्रा० लि०	राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद ..	अंग्रेजी	६-१०-७१
१३			मे० ईगल सर्जिकल कारपोरेशन ..	५०, शिव शंकर पुरी ..	,,	२५-१०-७१
१४	,,	..	मे० मोदी गैस एण्ड केमिकल्स ..	मोदीनगर	,,	६-१२-७१
१५	,,	..	मे० डी० सी० लैबोरेटरीज ..	४४-राजेन्द्रनगर, पी० मोहन नगर, गाजियाबाद।	,,	३-२-७२
१६	,,	..	मे० ए० बी० एस० रिसर्च, इन्स्टीट्यूट (नान बायोलाजिकल)।	मोहल्ला राजेन्द्र नगर रेलवे रोड, हापुड़	,,	४-७-७२
१७	,,	..	मे० हमदर्द (वक्य) लेबोरेटरीज	बी/२, साइट नम्बर ३, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।	,,	११-७-७२
१८	,,	..	मे० अजन्ता सर्जिकल मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन।	२२४-लक्ष्मीनगर, सूरजकुंड ..	,,	२६-६-७२
१९	,,	.	मे० नियान लेबोरेटरीज ..	शिवाजी रोड ..	,,	४-१०-७२
२०	,,	..	मे० समुख ट्रेडर्स ..	१६७/१, आनन्द पुरी रेलवे रोड	,,	२६-१०-७२
२१	,,	..	मे० मोहसिन ट्रेडर्स ..	११-ए भवानी नगर, हापुड़ रोड ..	,,	१८-१-७३
२२	,,	..	मे० टेकनो फार्मा इंडिया ..	आर/४-११८, न्यू राजनगर, गाजियाबाद	,,	९-४-७३
२३	,,	..	मे० हिमालिया सर्जिकल ..	१६४-जैदीबरा ..	,,	१८-४-७३
२४	,,	..	मे० माडर्न साइंटिफिक इन्डस्ट्रीज ..	विलेज एण्ड पी० ओ० शाहपुर बमेटा	,,	२०-५-७३
२५	,,	..	मो०अंबिका सर्जिकल ट्रेडर्स सोतीगंज, मेरठ	खसरा नं० ८८०-८८१, तहसील गाजियाबाद	,,	२०-५-७३
२६	,,	..	यू० यू० पी० सर्जिकल ..	डी० एन० १८, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, प्रतापपुर	,,	११-६-७३
२७	,,		मे० स्वास्तिक सर्जिकल मैन्यूफेक्चरिंग कारपोरेशन।	१०६/१ सकेत रोड, मनोरंजन पार्क, शाहाबाद, गाजियाबाद,	,,	२३-६-७३
२८	,,	..	मे० एनवी फार्मास्युटिकल	ई-१०४ सराय नजर अली	,,	१६-१०-७३
२९	,,	..	मे० फैनी फार्मास्युटिकल	जी० टी० रोड, गाजियाबाद	,,	१९-१०-७३
३०	,,	..	मे० भारत केमिकल	ट्रांसपोर्ट नगर, बागपत रोड	,,	१३-१२-७४
३१	,,	..	मे० एक्मे सर्जिकल एण्ड डेंसिंग	सर्जिकल बिल्डिंग, रेलवे रोड	,,	१४-१२-७३
३२	,,	..	मे० केम इंडिया फार्मास्युटिकल	गली नम्बर ४ पंचशील कालोनी	,,	२६-३-७४

१	२	३	४	५	६	७
३३	मेरठ	..	मे० इथिको फार्मास्युटिकल (बायलाजिकल)	भगढ़ रोड भवानी नगर, हापुड़ रोड	अंग्रेजी	२८–३–७४
३४	,,	..	मे० यूनीकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड	१०, आनन्द इन्डस्ट्रियल स्टेट निकट मोहन नगर जी० टी० रोड, गाजियाबाद	,,	२–३–६६
३५	,,	..	मे० नेशनल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल	पी० ओ० बाक्स नं० १६, गाजियाबाद	,,	३–६–६६
३६	,,	..	मे० लारेमेडिया	१३०/२, माडल टाउन, गाजियाबाद	,,	२१–३–६७
३७	,,	..	मे० कासमो फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड,	गुलधर पी० ओ० गाजियाबाद	,,	२१–३–६७
३८	,,	..	मे० पिया फार्मास्युटिकल वर्क्स	मोहन नगर, गाजियाबाद	,,	५–४–६७
३९	,,	..	मे० लिली इंडिया	गाजियाबाद	,,	२६–३–६८
४०	,,	..	मे० मोहन मेकिन ब्रेविरीज लिमिटेड	मोहन नगर, गाजियाबाद	,,	११–१–६९
४१	,,	..	मे० सुपर फार्मा	१५ रमतेराम रोड, गाजियाबाद	,,	१४–२–६९
४२	,,	..	मे० इमसन एण्ड कम्पनी	बी-१६, साइट नम्बर ३, इंडस्ट्रियल स्टेट, गाजियाबाद।	,,	३–२–७०
४३	,,	..	मे० नियान लेबोरेटरीज	शिवाजी रोड	,,	२१–३–७०
४४	,,	..	मे० जेल सील फार्मा	इन्डस्ट्रियल स्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद।	,,	२–५–७०
४५	,,	..	मे० सुपरफार्मा	रमतेराम रोड, गाजियाबाद	,,	३१–१२–७०
४६	,,	..	मे० जी० डी० फार्मास्युटिकल प्रा० लि०	राजेन्द्र नगर, गाजिय बाद	,,	६–१०–७१
४७	,,	..	मे० पेइरल केमिकल वर्क्स लि०	१२७, माडल टाउन, गाजियाबाद	,,	१६–११–७१
४८	,,	..	मे० ए० बी० एम० रिसर्च इन्स्टीट्यूट (बायोलाजिकल)	श्री नगर, रेलवे रोड, हापुड़	,,	४–७–७२
४९	,,	..	मे० हमदर्द (वक्फ) लेबोरेटरीज	बी-२, साइट नगम्बर ३ इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।	,,	१२–७–७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
५०	मेरठ	..	मे० नियान लेबोरेटरीज	शिवाजी रोड	अंग्रेजी	४-१०-७२
५१	,,	..	मे० मेडिसन्स ट्रेडर्स	११-ए, भवानी नगर, हापुड़ रोड	,,	१८-१-७३
५२	,,	..	मे० एनवी फार्मास्युटिकल्स	सहोबाबाद डी-४/५ सहीबाबाद	,,	१६-१०-७३
५३	,,	..	मे० फैनी फार्मास्युटिकल्स	ई-१०४, सरायनजर अली, जी० टी० रोड, गाजियाबाद।	,,	१९-१०-७३
५४	,,	..	मे० केम इंडिया फार्मास्युटिकल्स	गली नं० ४, पंचशील गढ़ रोड	,,	२-३-७४
५५	,,	..	मे० इथिको फार्मास्युटिकल्स	भवानी नगर, हापुड़ रोड	,,	२८-३-७४
			रि-पैकिंग			
५६	,,	..	मे० रामजी फार्मास्युटिकल्स	मेरठ	,,	५-६-६५
५७	,,	..	मैं० नियाज लेबोरेटरीज	जन्द्रिका शिवाजी रोड	,,	२८-६-६५
५८	,,	..	म० केन्डोर फार्मास्युटिकल्स	बेगम ब्रिज रोड	,,	१९-३-६८
५९	,,	..	मे० बम्बे केमिकल्स	कुमार भवन, जी० टी० रोड, गाजियाबाद	,,	८-५-६९
६०	,,	..	मे० स्वरूप फार्मास्युटिकल	४९-अरजन नगर, गाजियाबाद	,,	१५-१-७०
६१	,,	..	मे० डलटस	६ नवयुग मार्केट, गाजियाबाद	,,	२-९-७०
६२	,,	..	मे० अपोलो केमिकल कारपोरेशन	सब्जी मंडी, हापुड़	,,	१४-२-७०
६३	,,	..	मे० टेकनू फार्मास्युटिकल	१९, चन्द्रपुरी, गाजियाबाद	,,	९-११-७१
६४	,,	..	मे० इण्डोकेम लेबोरेटरीज	७२, सदर	,,	५-२-७२
६५	,,	..	मे० उपासना केमिकल इंडस्ट्रीज	४/७५१ (२), पट्टी मीरापुर, बरौत	,,	१०-४-७३
६६	,,	..	मे० बाम्बे केमिकल्स	कुमार भवन, जी० टी० रोड, सिविल चिकित्सालय के सामने, गाजियाबाद	,,	५-३-७४
६७	,,	..	मे० ओमेगा लेबोरेटरीज	१२७-ए, रंगसाज मुहल्ला, सदर बाजार	,,	२७-२-७४
			लोन			
६८	,,	..	मे० मडिकास प्रोडक्ट्स	६/१, मोहन नगर, गाजियाबाद	,,	१७-९-६६
६९	,,	..	मे० सोनिया एन्ड संस	बरौत	,,	२४-९-६६
७०	,,	..	मे० इण्डोकेम आफ इंन्डिया	१३०/२, माडल टाउन, गाजियाबाद	,,	११-४-६६
७१	,,	..	मे० मेडीकास प्रोडक्ट्स	गाजियाबाद	,,	१९-३-६८

१	२	३	४	५	६	७
७२	मेरठ	..	मे० गार फार्मा	मेरठ	अंग्रेजी	१४–४–६९
७३	,,	..	मे० जोयना फार्मा प्रा० लि०	गाजियाबाद	,,	८–४–६९
७४	,,	..	मे० टेलटास	६, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद	,,	२६–९–६९
७५	,,	..	मे० महावीर मेडिसिन हाउस प्रा० लि०	माडल टाउन, गाजियाबाद	,,	१६–४–७०
७६	,,	..	मे० स्वास्तिक फार्मास्युटिकल्स	५६, दयानन्द नगर, गाजियाबाद	,,	२५–५–७०
७७	,,	..	मे० टाइम फार्मा	बी/७११ खैर नगर स्ट्रीट	,,	१४–९–७०
७८	,,	..	मे० स्पेसिया फार्मास्युटिकल्स	७११, खैरनगर स्ट्रीट	,,	१४–९–७०
७९	,,	..	मे० डेलटास	६, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद	,,	३१–१२–७०
८०	,,	..	मे० मेडीकुरा ट्रेडर्स	बुधाना गेट	,,	४–५–७१
८१	,,	..	मे० यूनी–यू०सी०बी० इंडिया प्रा०लि०	गाजियाबाद	,,	३०–१०–७१
८२	,,	..	मे० कन्डोर फार्मास्युटिकल्स	बुलाक़ी दास बिलडिंग, बेगम स्ट्रीट	,,	१९७२
८३	,,	..	मे० टाइम फार्मा	बी–७११, खेर नगर	,,	२८–४–७२
८४	,,	..	मे० स्पसिया फार्मास्युटिकल्स	७११ खेर नगर स्ट्रीट	,,	२८–९–७२
८५	,,	..	मे० इन्डकिम लेबोरेटरीज	७५, बाउन्डी रोड	,,	४–७–७२
८६	,,	..	मे० ए० बी० फार्मा	२१, गांधी नगर होम नं० २, गढ़ रोड	,,	२६–१०–७२
८७	,,	..	मे० एम० एम० लैब्स	डी-१०, इंडस्ट्रियल एरिया	,,	१–२–७३
८८	,,	..	मे० प्रकाश फार्मास्युटिकल	सुनबहावेली	,,	१९७३
८९	,,	..	मे० प्रसीकेम लेबोरेटरीज	१२८, शिवाजी रोड	,,	११–५–७३
९०	,,	..	मे० बायोफार्मास्युटिकल्स	३०२, वेस्ट्रन कचहरी रोड	,,	१९७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६२ पर)

तालिका

१--राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में पूर्व स्नातक छात्रों की संख्या तथा इस अवधि के व्यय का विवरण:--

वर्ष		पूर्व स्नातक क्षात्रों की संख्या	व्यय की गई धनराशि
१९६९-७०	..	३४४	९,६३,७०४.३७
१९७०-७१	..	३२४	९,९४,३७१.१८
१९७१-७२	..	२८८	११,४६,३५३,७२
१९७२-७३	..	२८७	१३,७६,९२८.९६
१९७३-७४	..	२९१	१४,३०,६३७.३७
	योग ..	१५३४	५९,११,९९५.६०

२--ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में पूर्व स्नातक क्षात्रों की संख्या तथा इस अवधि के व्यय का विवरण:--

वर्ष		पूर्व स्नातक छात्रों की संख्या	व्यय की गई फनराशि
१९६९-७०	..	३७९	७,१८,८२१
१९७०-७१	..	३९७	३,९०,७८५
१९७१-७२	..	४७१	६,५१,९०७
१९७२-७३	..	४७२	६,५५,०७५
१९७३-७४	..	४६१	६,६९,१३७
	योग ..	२१८०	३०,८५,७२५

नत्थी "ञ"

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६३ पर]

संलग्नक

कानपुर थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० (मयाबाजार)
कन्ट्रोल कपड़ा जो दिया गया ब्लाकवार

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	अक्तूबर, १९७३ से जून, १९७४ तक (गांठ)
१	कल्याणपुर	१
२	सरसौल	१६-१/७
३	विधनू	१७
४	पतारा	६
५	भीतरगांव	१७
६	घाटमपुर	३५
७	अमरोधा	३१-२/१४
८	राजपुर	२४
९	मलासा	५०-१/७
१०	डेरापुर	३२-३/१४
११	झींझक	३०-१/७
१२	रसूलाबाद	४८-४/७
१३	संदलपुर	२१
१४	अकबरपुर	२८
१५	मैथा	१७
१६	सरवनखेड़ा	१९-१/१४
१७	बिल्हौर	७८-१/७
१८	शिवराजपुर	२०
१९	ककवन	४३-१/७
२०	चौबेपुर	१५-१/७
	योग ..	५४९-६/७

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३२ वि० सभा—(१६३१)—१९७५—८४५ ।